राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का २९वां दिवस [संख्या २२

शुक्रवार, दिनांक २० मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

—

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

—

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, सिंचाई, स्वायत्त शासन, सिंचाई, गृह खाद्य, चिकित्सा व राजस्व-विभाग)

—

प्रश्न संख्या ५४७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई ।

फसल को नुकसान-जिला बांसवाड़ा

५४८. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६३ में जिला बांसवाड़ा में वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल की पहली बुवाई बिल्कुल नष्ट हो गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि कुछ क्षेत्र में जो रबी की फसल बोई गई थी वह भी नष्ट हो गई ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील कुशलगढ़ की कई पंचायत समितियों में फसल बिल्कुल खराब हो गई है और रही सही कपास की फसल भी पाले के कारण नष्ट हो गई है ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने इन काश्तकारों की समस्या को सुलझाने की क्या व्यवस्था की है और फसल में सरकार ने कितनी पैदावार व कितना नुकसान माना है ?

(५) क्या यह सही है कि पैदावार व नुकसान के आंकड़े सरकार के अधिकारियों ने गलत दिये हैं ?

(६) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के काश्तकारों के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

Page No. 2

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं, इस जिले में केवल तीन गांवों में वर्षा के अभाव से खरीफ की फसल की पहली बुवाई नष्ट हुई थी ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(५) जी नहीं ।

(६) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री हीराभाई : माननीय मन्त्री बतावेंगे कि ये तीन गांव कौन कौन से हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनके नाम रंगा राखो, पाटोडी हैं ?

श्री हीराभाई : आपने सब का जवाब दे दिया, 'जी नहीं' । मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री को यह जानकारी देनी चाहिये थी कि पाले से सब फसलें साफ हो गई । चना और गेहू पानी जल्दी बन्द हो जाने से उगे नहीं और जमीन से बाहर निकल कर ही रह गये । फिर भी माननीय मन्त्री कहते हैं जी नहीं ।'

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने खरीफ का पूछा था रबी का नहीं पूछा । पाले का पूछा था वह बता दिया है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : पाले से नष्ट कौनसी फसल होती है ? यह आपको मालूम होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न नं० ३ में पूछा गया है कि कई पंचायत समितियों में फसल बिल्कुल नष्ट हो गई और रही सही कपास की फसल भी पाले के कारण नष्ट हो गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका उत्तर मैंने दिया है । पाले से नष्ट हुई थी मगर वह बाद में वापिस ठीक हो गई । किसी गांव में कोई खराबी नहीं है । जहां तक आपके इलाके का प्रश्न है रबी में इतनी तो हो जाती है ।

श्री रामकिशन (नैर) : प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा गया है कि पाले के कारण कपास की फसल नष्ट हो गई, क्या यह सही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : फसलों को नष्ट करने वाला पाला नहीं पड़ा है । पाला जरूर पड़ा है ।

श्री रामकिशन : आपके पास क्या रेकार्ड है ? कितने पर्सेन्ट नुकसान पर मानते है कि फसल नष्ट हो गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जब ८ आने से ऊपर फसल नष्ट हो जाती है तो मानते हैं कि फसल नष्ट हो गई ।

श्री रामकिशन : तो फिर आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, सरसों, कपास और अरहर पाले को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, शत प्रतिशत ही नष्ट होती हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं समझती हूँ माननीय सदस्य को वहां की जानकारी नहीं है और जबरदस्ती ही इस सम्बन्ध में बोल रहे हैं ।

श्री रामकिशन : मैं हर वक्त वहां जाता रहता हूँ ।

श्री हीराभाई : मैं चैलेंज के साथ अर्ज करूंगा कि इस बारे में जांच कमिन न मुकर्रर किया जाय । पूरे बांसवाड़ा में दो बार फसल बोई गई है, कुशलगढ़ घाटोल, गढ़ी में दो बार फसल नहीं बोई गई हो तो मैं सदन छोड़ने को तैयार हूँ, और यह सही हो तो मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिये । गलत बयान सदन में देना ठीक नहीं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों की जानकारी पटवारी, तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कलेक्टर, इन चार चार जरियों से कर ली है तो आप जितना जोर से यह कह रहे हैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं ।

श्री रामकिशन : १२ आना नष्ट होती है तब मानी जाती है, पर हर गांव में एक जैसी स्थिति नहीं होती है आप अनुभव से नहीं समझ सकतीं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गिरदावरी की रिपोर्ट हर गांव की होती है, चार बार चैकिंग करने के बाद भेजी जाती है ।

श्री हीराभाई : मैंने यह पूछा है कि कितना नुकसान हुआ है तो वहां के लिए कितना नुकसान मानते हैं ?

श्री रामकिशन : पूरे आंकड़े मांगे गये हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गांववार, तहसीलवार विस्तृत सूची नहीं मांगी है, इसलिए जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उसका दे दिया । अगर चाहेंगे तो पूरे गांवों की सूची मंगा कर उनको बाद में दे दी जायेगी ।

श्री रामकिशन : भाग (५) में पूछा है कि क्या सरकार अकाल नहीं मानती ...

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है कि कितने गांवों में काश्त खराब हुई । जिनमें खराब हुई उनके नाम बता दिये । जिनमें नुकसान नहीं हुआ उनके नाम मैंने नहीं दिये ।

श्री विजय सिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने खरीफ और रबी दोनों को मिला दिया है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने दोनों का अलग अलग दिया है । (३) में रबी का दिया है और भाग (२) में खरीफ का दिया है ।

श्री विजयसिंह झाला : पाले से फसल नष्ट हुई है, गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास नहीं है, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ । यदि आपके पास है तो जिन्स गिरदावरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें । मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि रबी की गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई है, आपने गलत फहमी में खरीफ की ही रिपोर्ट मंगाई है । पाले से नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट आपके पास नहीं आई है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : रबी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है ।

श्री विजयसिंह झाला : अभी आपके पास नहीं है । यह इन्फार्मेशन चाही थी कि

Page No. 4

(श्री विजयसिंह झाला)

खरीफ में कितनी फसल नष्ट हुई, आपने केवल खरीफ की जांच कराई, पहले भाग को ही पढ़ा। बाकी की जांच नहीं करवाई। मैं चैलेंज देता हूं कि रवी की गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य का चैलेंज इसलिये गलत है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके आधार पर ही सूचना दी है। डिटेल्ड तो बाद में आयेगी। दुबारा बरसात होने के कारण ठीक हो गई।

श्री विजयसिंह झाला : आप बरसात की बात करती हैं और बात है पाले से फसल नष्ट होने की।

श्री रामकिशन : प्रारम्भिक रिपोर्ट में पूरी जानकारी नहीं की जाती।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मौके पर गिरदावर जाकर रिपोर्ट तैयार करता है।

श्री रामकिशन : सभी गांवों में नहीं जाते।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सभी गांवों में जाते हैं। जिन गांवों में नहीं गये हों माननीय सदस्य मुझे बतायें, जांच करवाई जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): यह गलत आरोप है, गांव गांव में पटवारी जा कर जांच करता है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, या तो इस प्रश्न को मन्त्री महोदय दुबारा जांच करा के संतोष करायें या मेरा चैलेंज स्वीकार करें कि या तो मैं इस्तीफा दूं या वे दें। मैंने दोनों फसलों के लिये साफ पूछा है कि कितना नुकसान मानते है? आपने कहदिया जी नहीं'। 'जी नहीं' का मतलब यह होता है कि रेवेन्यू विभाग है वह १२ आना खरीफ की वसूली करता है ४ आना रिसैटलमैंट का आंकड़ा है, रवी में वसूली की जाय वहां पूरी वसूली करते है, आपको जानकारी नहीं है। आपने बिल्कुल गोलमाल में जवाब दिया है, यह बिल्कुल अन्याय है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है :

क्या यह सही है कि तहसील कुशलगढ़ की कई पंचायत समितियों में फसल बिल्कुल खराब हो गई है और रही सही कपास की फसल भी पाले के कारण नष्ट हो गई है?

तो एक तहसील में कई पंचायत समितियां कहां से होंगी ?

श्री हीराभाई : मेरे इलाके में पंचायत समितियां ४ है। खेड़ा पठेता में अनाज बिल्कुल नहीं मिलता है, वहां फसल बिल्कुल खराब हो गई है।

श्री रामकिशन : कुशलगढ़ के एरिया में दो तीन पंचायत समितियां हैं। माननीय सदस्य ने जो चैलेंज दिया है, इस्तीफा देने की बात कही है क्योंकि वे महिला हैं, सदन में तो रहना चाहिए गलत होने पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दें।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : जनता ने भेजा है, परवारे थोड़े ही आ गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५४६।

Page No. 5

नौलाजी का तालाब, तहसील चित्तौड़गढ़

५४६. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पालेर (तहसील चित्तौड़गढ़) पंचायत सादी में नौलाजी का तालाब नाम का तालाब है ?

(२) क्या यह सही है कि अब उस तालाब को खेत में बदला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त तालाब के मालिकों के पास पट्टे इस तालाब से सम्बन्धित हैं ?

(४) क्या सरकार पानी की कमी को देखते हुए इस तालाब को बंधवाना चाहती है ? यदि हां तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) जी हां

(२) सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(३) सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह झाला : यह कोई जवाब है ! इस विभाग का नहीं है तो सम्बन्धित विभाग को देना चाहिए । माननीय अध्यक्ष, आपने कई बार आदेश दिये हैं कि इस तरह के प्रश्न को सम्बन्धित विभाग के पास भेज कर जवाब दिया जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : छोटा तालाब है और पंचायत के कब्जे में है । इर्रिगेशन के पास नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : पहले भाग को तस्लीम किया है । कि तालाब है बीच के दोनों भागों को छोड़ दिया जाय कि प्रोपर्टी इर्रिगेशन की है या नहीं है, यह डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है पर अन्त के भाग में पूछा है कि क्या सरकार पानी की कमी को देखते हुए इस तालाब को बंधवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब आपने दिया है कि 'प्रश्न नहीं उठता' । तो यह प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इसलिये नहीं उठता कि पंचायत के कब्जे में है । पेटे में काश्त होती है, इर्रिगेशन बिल्कुल नहीं होता । उसके बनाने की गुंजायश नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुन: जांच करवायें, पंचायत के कब्जे में नहीं है । तालाब नवलाजी पटेल का है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले नवलाजी पटेल का विजय नगर जागीर का नाला है पर अब पंचायत के कब्जे में है, इर्रिगेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं इतना ही अर्ज करता हूँ कि आप फरमाते हैं कि इर्रिगेशन का नहीं है । सवाल तालाब को बनाने का आता है । नौलाजी खुद उस तालाब को डोनेट करना चाहते हैं । तालाब को यदि बनवा दिया जाय तो आस पास के और वहां के मवेशियों को पीने के लिये पानी मिल जाय

(श्री अब्दुल जब्बार)

चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और वहां पर पानी रोकने का यही एक जरिया है । तालाब का उनके पास पट्टा है और मेरे पास यह मौजूद भी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके पास पट्टा होगा । आप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि प्राइवेट आदमी का तालाब है । इसकी प्रोबेबिलटी क्या है, इसको बना सकते है या नहीं- मैं इसके लिए इस समय कुछ नहीं कह सकता जब तक कि इसका सर्वे न करा लिया जाय कि इससे कितनी गुन्जाइश हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

हाउस टैक्स असेसमेन्ट के विरुद्ध अपीलें, बांदीकुई

४५०. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बांदीकुई कस्बे में हाउस टैक्स लगाने के विषय में जनता द्वारा कोई उजरात सरकार के समक्ष भेजे गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय दिया गया ?

(२) बांदीकुई कस्बे में हाउस टैक्स के असेसमेंट के विषय में कितने उजरात व अपीलें एस० डी० ओ०, दौसा के पास प्रस्तुत हुईं और क्या अपीलेन्ट्स व उजरदारों की सुनवाई की ? नियमानुसार सूचना दिये बगैर उन पर निर्णय नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने मामलों में और क्यों ?

(३) क्या सरकार उक्त नियमानुसार कार्यवाही न होने की जांच करके जनता को राहत देने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, स्वायत्त-शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां । गृह-कर का कार्य नियमानुसार होने से पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(२) ८० अपीलें प्रस्तुत हुईं, सब पर नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय दे दिया गया और उजरदारी सुनने की सूचना सब को दी गई थी ।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जिस वक्त यह हाउस टैक्स लगाया गया था उसके नियमानुसार एक्ट में प्रावधान हैं—सरकार के सामने हाउस टैक्स लगाने से पहले प्रपोजल्स आये थे, सरकार ने उन पर मंजूरी दी और बाद में हाउस टैक्स लगाया गया या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : (स्वायत्त शासन मंत्री) : जो गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेन्टेशन्स आये उनको बोर्ड के पास भेज दिया और बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह कर उनको रद्द कर दिया कि इनके लिए स्पेसिफिक रिलीफ मौजूद है । कुछ लोगों ने एस० डी० ओ० को अपील की और उनकी अपीलें स्वीकार की गई और उनका फैसला किया । तीन दिन अपीलें सुनीं । १६-१-६४ को अपीलें सुनीं । ७ को इन-ऑर्डर फाइन्ड किया गया और दस केसेज में असेसमेन्ट रिड्यूस किया गया । १७-१-६४ को फिर अपीलें सुनी गई । १६ केसेज को इन-ऑर्डर पाया गया । १६ केसेज में असेसमेन्ट रिड्यूस किया गया । फिर २०-१-६४ को

(श्री बरकतुल्ला खां)

सुनवाई हुई । १७ को इन-ऑर्डर पाया गया और ६ को रिजेक्ट किया गया और २ को रिविजन के लिए भेजा गया ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : टैक्स लगाया तो नियमों के अलावा भी एक्ट में प्रावधान है कि सरकार से इस टैक्स को लगाने से पहले मंजूरी लेना चाहिए । इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाउस टैक्स लगाया गया, जनरल सक्यूंलर तो है लेकिन प्रावधान के अनुसार आज तक मंजूरी नहीं ली गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो कम्पलसरी है । टैक्स लगाया और लगाने से पहले प्रपोजल्स गवर्नमेन्ट को भेजते हैं जिनको एप्रूव करते हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कम्पलसरी है । नोटिफिकेशन जारी किया है लेकिन जिस तरह का एक्ट में प्रावधान है २१२ का प्रोसीजर अख्तियार करके मंजूरी ली गई है या नहीं ? मंजूरी ली गई तो कौनसा तरीका है उस प्रोसिजर को एडोप्ट करने का ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मैं समझा हूँ लेवी करने के लिए गवर्नमेन्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : एक्ट में प्रावधान है टैक्स लेवी करेंगे । एक्ट का प्रावधान है धारा ७६ है उसके अन्दर एतराज होकर पब्लिक से आ जावेंगे, असेसमेन्ट के लिए सरकार से मंजूरी चाही जावेगी और मंजूरी के लिए २०८ और २१२ में किया जा सकता है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन प्रावधानों के अन्तर्गत आप से मजूरी ले ली गई या नहीं ? कौनसा तरीका काम में लाया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, जहां तक हाउस टैक्स का ताल्लुक है गवर्नमेन्ट ने पहले से ही इजाजत दे दी है अब इसकी जरूरत नहीं है । गवर्नमेन्ट ने रेट्स तय की हैं । इन्सीडेन्स ऑफ टैक्स क्या होगा, किस स्लेब पर कितना होगा - यह टैक्स तो पूरा का पूरा क्लीयर करके लगा रखा है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अब भी उस प्रश्न का जवाब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने लीगल नेचर का प्रश्न पूछा है और प्रोविनियन सरकार की चाहते हैं । आप यह चाहते हैं कि यह करना चाहिये और मंत्री महोदय यह कहते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो अदालत में इस प्रश्न को उठाया जा सकता है ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : यह अन-अाथोराइज्ड किया गया है । उस पर कोई निर्णय न सरकार से और न एस.डी.ओ. से लिया गया है । इसलिए यह बताया जाय कि किस प्रोसीजर के तहत सरकार से मंजूरी ली गई ? एक्ट में इसका प्रावधान है और मंजूरी लेनी चाहिये थी । आपने इसको एक्जामिन किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : This is not allowed. This is a legal debate.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा है कि ८०

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

अपीलों की सुनवाई तीन रोज तक हुई। जिन लोगों ने एतराजात किये तो उन लोगों को डेट्स देकर सुनवाई के लिए बुलाया जाकर उनके सामने सुनवाई की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : This is also not allowed.

प्रश्न संख्या ५५१

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): कोई कोई प्रश्न लम्बा वक्त ले लेता है उसके लिए टाइम का सीलिंग हो जाय। बाकी के प्रश्न रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

एक माननीय सदस्य: श्री रघुवीरसिंहजी है।

अजमेर सागर के तालाब की पाल सब-तहसील सरमथुरा

५५२. **श्री रघुवीरसिंह** (बाड़ी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तालाब अजमेर सागर सब तहसील सरमथुरा जिला भरतपुर जागीर पुनर्ग्रहण के बाद सरकार के चार्ज में आ चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तालाब की पाल उसी समय (१९५४) से एक ओर से गिर चुकी है और उसकी रिपेयर का सरकार से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि तालाब टूटने से कई लाख रुपये की हानि हो सकती है ? यदि हां, तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) व (३) उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन (वैर) : सुना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया इसको फिर से दोहराइये।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं।

(२) व (३) : उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरसिंह : क्या यह तालाब सरकार के चार्ज में जागीर पुनर्ग्रहण के बाद नहीं आया ?

श्री दिनेशराय डांगी : इरिगेशन के चार्ज में नहीं आया।

श्री रघुवीरसिंह : किसके चार्ज में है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब यह

(श्री दिनेशराय डांगी)

जानते है कि कोई तालाब रेवेन्यू के अन्दर में होता है और कोई पंचायत के अन्दर में होता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय शायद नहीं जानते कि रेवेन्यू के अन्तर्गत कोई तालाब नहीं होता पंचायत के अन्तर्गत होता है।

श्री दिनेशराय डांगी : २५ हजार से कम के तालाब होते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के बारे में कुछ कहें उसके पहले आप स्वयं सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इनको जबरदस्ती पकड़ रखा है इनको निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

पुलिस थाना बनेडा में दर्ज एफ. आई. आर.

५५३. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पुलीस थाना बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा) में सहकारी विभाग की तरफ से तारीख ११-१२-६३ को कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(३) अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी नहीं, सहकारी विभाग की ओर से कोई रिपोर्ट थाना बनेड़ा में तारीख ११-१२-६३ को प्राप्त नहीं हुई।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस प्रश्न के तीन कालम में यह कहा गया है, पहले में तो यह है कि ऐसी रिपोर्ट दायर नहीं की, दूसरा यह है कि प्रश्न नहीं उठता, तीसरे में यह है कि प्रश्न नहीं उठता। मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूँ .....

श्री अध्यक्ष : ११-१२-६३ को दर्ज नहीं हुई तो उसके आस-पास दर्ज हुई ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : २१ तारीख को दर्ज हुई और सहकारी समिति के सेक्रेटरी ने दर्ज करवाई है और बाकायदा इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन्सपेक्टर कोआपरेटिव सोसाइटी तीन दिन तक बनेड़ा में रहे। थानेदार वहां पर मौजूद। उसको ढूंढने के लिए हमीरगढ़ गये। हथकड़ी डालकर वापिस लेकर आये। यह मेरे पास है सबूत।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जैसा निवेदन कर रहा हूँ आधारों पर ही कर रहा हूँ। नहीं रजिस्टर हुआ केस। Nor any F.I.R. was registered in the year 1963 or 1964 up to date.

श्री अध्यक्ष : आज तक दर्ज नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में कोई केस ?

(विराम)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह अर्ज करना चाहता हूँ । एफ. आई. आर. दी, केस क्यों नहीं रजिस्टर किया गया ? एफ. आई. आर. दी या नहीं यह तो बता दें ? दी तो रजिस्टर क्यों नहीं किया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या एफ आई. आर. नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने मेन रिपोर्ट को ही चैलेन्ज किया है। रिपोर्ट थाना बनेड़ा में प्राप्त नहीं हुई है जिसका मतलब एफ. आई. आर. होता है । रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई तो केस किस प्रकार रजिस्टर होता है, दोनों प्रश्नों पर इन्कवायरी की है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के सेक्रेटरी ने इस तरह की एफ० आई० आर० दर्ज कराई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बिल्कुल ही मना किया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चैयर से मैं एश्योरेन्स चाहता हूँ कि अगर मैं यह साबित कर दूं कि जो यहां पर जवाब दिया गया है वह गलत दिया गया है तो क्या मंत्री महोदय के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ।

श्रीरामकिशन (वैर) : क्या आप लोगों ने यह तय कर रखा है कि बनेड़ा की किसी चीज का जवाब ही न दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

राजस्थान केनाल के मजदूरों को खांड का कोटा

५५४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

राजस्थान केनाल के मजदूरों में जून ६३ से जुलाई ६३ तक खांड का कितना कोटा तकसीम किया गया ?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): राजस्थान केनाल के मजदूरों को जून ६३ से जुलाई ६३ तक कोई अलग स्पेशल कोटा खांड का तकसीम नहीं किया गया ।

श्री केदारनाथ : वहां के मजदूरां को गुड़ इसलिये नहीं मिल सकता कि किसी पंचायत समिति में नहीं है । मजदूरों को खांड का कोटा मिल सके क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक खांड का कोटा देने का सवाल है कहीं भी इस प्रकार मजदूरों को अलग से नहीं दिया गया है। इनको अलग से गुड़ का कोटा जरूर दिया गया है । ५० टन का अभी दे दिया गया है और जरूरत के मुताबिक और आवश्यकता हुई तो और भी भेजा जा सकता है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या आपको पता है कि गुड़ का भाव शक्कर से भी ज्यादा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप ही कह रहे हैं ।

श्री हीराभाई : आप यह कैसे कहते हैं कि मजदूर ज्यादातर शक्कर काम में नहीं लेते हैं और गुड़ लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा कि मजदूर लोग ज्यादा गुड खाना पसन्द करते हैं इसलिये उनको स्पेशल कोटा गुड़ का दिया गया है।

श्री हीराभाई : क्या किसी मजदूर ने शक्कर खाने से इन्कार किया है जो आप उनको शक्कर न देकर गुड दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया शक्कर का अतिरिक्त कोटा हमारे पास नहीं है जिससे राजस्थान केनाल के मजदूरों को अलग से शक्कर का कोटा दे सकें। यदि एक जगह इस प्रकार देने लगेंगे तो राजस्थान में कई जगह प्रोजेक्ट्स है सभी जगह देना होगा। या तो इनके लिये अलग अलग कोटा मुकर्रर करें जिस डिस्ट्रिक्ट का कोटा होता है: या तो उसमें से अलग निकाल कर उनको दिया जाय या जो कोटा मिलता है, उसमें से दिया जाय। लेकिन हमारे पास इतना कोटा है नहीं जो इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें।

एक माननीय सदस्य : क्या भारत सरकार ने हमें कोटा कम इसलिये दिया है कि यहां मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है और वह गुड़ इस्तेमाल करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस चीज का मैं दो-तीन बार जिक्र कर चुका हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : गुड़ और शक्कर के भाव में ज्यादा फर्क नहीं है. इसके अलावा गुड़ की अपेक्षा शक्कर में मिठास ज्यादा होता है इसलिये शक्कर मजदूरों को अवश्य दी जानी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नतीजा केवल आपके कहने से निकाला नहीं जा सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मजदूरों को तो गुड़ दिया जाय और शहरवालों को शक्कर दी जाय-क्या आप इसे समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; समाजवादी व्यवस्था क्या है यह हम जानते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जानते होते तो ऐसा नहीं करते।

प्रश्न संख्या ५५५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

सस्ते गल्ले की दुकानें जयपुर

५५६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. जयपुर नगर में चीनी के लिये कुल कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड दिये गये हैं ? क्या जितने व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हैं वे जयपुर की जनसंख्या से अधिक है ?

२. जयपुर नगर में चीनी व सस्ते गल्ले की कुल कितनी दुकानें हैं और इन दुकानों में सामान बिक्री के हिसाब को चैक करने की क्या व्यवस्था है ?

३. क्या राज्य सरकार जयपुर नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

४. सस्ते गल्ले की दुकान की आज्ञा किसके द्वारा दी जाती है और क्या इस प्रकार की दुकान की आवश्यकता किस स्थान पर विशेष है, इस विषय में नगर के चुने हुए प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जयपुर में ८८,०८४ राशन कार्ड दिये गये हैं जिसकी आबादी पांचलाख पचास हजार उनचास हैं। राशनकार्ड जयपुर की जन-संख्या से अधिक नहीं बने हैं।

(२) जयपुर नगर में १०२ दुकानें चीनी की हैं तथा कुल २३५ दुकानें सस्ते गल्ले की है। इन दुकानों की चैकिंग राज्य सरकार के २ निरीक्षकों द्वारा एवं भारत सरकार के एक निरीक्षक द्वारा की जाती हैं। डी० एस० ओ. तथा ए० एस० ओ० (District Supply Officer-Ass. Supply Officer) भी नियुक्त हो गये है जो समय समय पर निरीक्षण करेंगे। इनके साथ साथ उद्योग एव वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों द्वारा भी जांच की जाती है।

(३) मांग की परिस्थिति के अनुसार सस्ते गल्ले की दुकानों की वृद्धि की जावेगी।

(४) संबन्धित कलेक्टर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सस्ते गल्ले की दुकान खुलवाता है और यह कार्य पूर्णतया उसी की जिम्मेवारी पर है। इस संबन्ध में चुने हुए प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं लिया जाता है ! हां, भविष्य में चुने हुए प्रतिनिधियों से परामर्श करने का विचार जरूरत पड़ने पर किया जावेगा।

श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर): सिरोही जिले में शक्कर नहीं मिल रही है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : शक्कर के कोटा का एलॉटमेन्ट करते हैं उसके लिये आपने क्या नियम बना रखा है ? किसी दुकान को मन चाहा जितना कोटा दे दिया और किसी को बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपने इस प्रकार की व्यवस्था का नियम बना रखा है ? ऐसा है कि कई दुकानों पर आवश्यकता से अधिक चीनी पहुंच जाती है और कई दुकानों पर बिल्कुल नहीं पहुंचती। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं को आवश्यकता से अधिक चीनी मिल जाती है और किन्हीं किन्हीं को बिल्कुल नहीं मिलती। तो आपने क्या डिस्ट्रिब्यूटिंग ऑथोरिटी को यह अधिकार दे दिया है कि वह चाहे जिस दुकान को, जितना चाहे वह कोटा दे दें ? आप इस व्यवस्था के विषय में प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कलेक्टर को कोटा एलॉट करते हैं उसी के हिसाब से वे शहरों और गांवों को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। आबादी के हिसाब से और कार्डों के हिसाब से कोटा देते हैं। इसके डिटेल्स में इस वार्ड में कितने आदमी है, कितने राशन कार्ड हैं, कितने लोग रहते हैं इस वार्ड में इन सब बातों का जरूर ध्यान रखा जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी दुकान पर हर आदमी के राशन कार्ड को एन्टर किया जाता है वह रजिस्टर वहां होता है अन्यथा उसको चीनी मिलने का सवाल नहीं। मान लीजिये किसी दुकान पर एक हजार व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कम से कम उस हिसाब से जितनी शक्कर बनती है वह उनको एक साथ क्यों नहीं देते ? आपकी जो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

व्यवस्था है उससे यह देखा गया है कि कुछ दुकानों को तो चीनी मिल जाती है और वहां से लोग बराबर ले जाते हैं. दूसरी दुकानों पर चीनी नहीं मिलती। आखिर आपके रूल्स बने होंगे या उनको हिदायतें होंगी। इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जयपुर

५५७ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कर्मचारी राज्य बीमा के जयपुर अस्पताल के लिये जमीन प्राप्त करने में जो दिक्कतें आ रही थीं वे हल हुई या नहीं ?

(२) यदि हो गईं, तो अस्पतालका काम कब शुरू होगा ?

(३) प्रस्तावित अस्पताल में कितने बैड की व्यवस्था होगी तथा निर्माण कार्य पर अनुमानित खर्च कितना होगा ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जयपुर में ई० एस० आई० अस्पताल के लिये जमीन का एलोटमेन्ट राज्य सरकार के द्वारा हो गया। अब इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट उस जमीन का कब्जा देगी, जिसकी शीघ्र संभावना है।

(२) जमीन का कब्जा मिलने के बाद में ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी बनाने का काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

(३) प्रस्तावित अस्पताल में करीब १०० बैड की व्यवस्था होगी तथा उसके निर्माण कार्य पर अनुमानित १८.२० लाख रुपया खर्च होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से कितने अर्से में कब्जा मिल जायगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जल्दी से जल्दी मिल जायगा. मैं कोशिश करूंगा, महिने दो महिने में पजेशन दिलवा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : Next! श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : महिला द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर महिला द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'।

पुलिस विभाग में सर्किल इन्सपेक्टर्स के पदों पर नियुक्तियां

५५८. श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण यू० डी० सी० (स्टेनो): आई० जी० पी० राजस्थान व श्री गिराजमल, स्टेनो डी० आई० जी० पी० हैडक्वार्टर्स, राजस्थान को

Page No. 14

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पहले व दूसरे सप्ताह माह मार्च सन् १९६२ में यू० डी० सी० से सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस का प्रमोशन राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत उक्त क्लर्कों को उक्त प्रमोशन दिया गया है ? उक्त नियमों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों क्लर्कों को पुलिस कार्यवाही तफतीश व आर्म्स आदि का कोई अनुभव नहीं है ? यदि हां तो इन क्लर्कों को किन कारणों से दीगर थानेदारान का हक काट कर प्रमोशन दिया गया है ? इनको क्या क्या पुलीस व आर्म्स का अनुभव है ?

(४) क्या यह भी सही है कि कोई बिना थानेदार के पद पर कार्य किये सर्किल इन्सपेक्टर नहीं बनाया जा सकता ? यदि हां, तो उक्त क्लर्कों को किन कारणों से सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त दोनों क्लर्कों को यू० डी० सी से सर्किल इन्सपेक्टर का प्रमोशन दे देने के कारण राजस्थान के तमाम थानेदारान व पुलिस कर्मचारियों में उक्त गलत प्रमोशन होने की वजह से असन्तोष फैला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्लर्कों को रिवर्ट करने का विचार रखती है तथा गलत प्रमोशन के आर्डर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(६) कृपया सन् १९५२ जनवरी से २५-३-६२ तक क्लर्कों से हैड कान्स्टेबल थानेदार व सिपाही का प्रमोशन दिया गया है उनकी सूची डिवीज़नवाइज सदन की मेज पर रखें।

उप - मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) जी हां। यह सत्य है कि कोई बिना थानेदार के पद पर कार्य किये सर्किल इन्सपेक्टर नहीं बनाया जाता है। चूंकि उक्त क्लर्कों को सर्किल इन्सपेक्टर के पद पर तरक्की नहीं दी गई है इसलिए पदोन्नति के कारण बताने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(६) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री गिरधारीलाल व्यास (मासीन्द) : क्या यह सही है कि सर्किल इन्सपेक्टर ४ रेंज में ज्यादा बनाये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी है इसमें दिया है कि ५-५ आदमियों को प्रमोशन दिया गया। फिर यह सूची किस की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य ; यह तो १९५२ की है।

Page No. 15

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैंने तो पूछा था कि सन् ५२ से लेकर ६२ तक कितने बनाये गये ? तो क्या ५ ही आदमियों को प्रमोशन दिया गया-ऐसा माना जाये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका तो प्रश्न है कि मार्च सन् ६२ में यू० डो० सी० से सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस का प्रमोशन राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ५२ से ६२ का पूछा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहां है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : प्रश्न का छठा भाग है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५२ में ४ का प्रमोशन हुआ है और बाकी मैंने जो दूसरा कहा है उनका नहीं हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ५२ में तो प्रमोशन्स हुए लेकिन उसके बाद में हुए या नहीं ? आपने सिर्फ ५२ का बताया है उसके बाद क्या ६ साल तक एक भी प्रमोशन नहीं हुआ ? बाकी के ६ साल का क्या हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके बाद ऐसे प्रमोशन कोई नहीं हुए।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो ४ प्रमोशन हुए इनकी क्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर बनाये गये।

श्री विजयसिंह झाला : क्वालीफिकेशन क्या थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्वालीफिकेशन जो पोस्ट की होती है। कुछ का लॉ ग्रेजुएट होना भी जाहिर हुआ है..

श्री रामकिशन (वैर) : इन ४ में किस का नाम है लॉ ग्रेजुएट में ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पहले तो कहा है कि क्लर्क के पद से सर्किल इन्सपेक्टर नहीं बनाया जा सकता और आपकी ही लिस्ट में नम्बर ५ है जिसको क्लर्क से सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नम्बर ५ पर मानसिंह का नाम है.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Man Singh was appointed as S.I. on 3.1.33 on Rs. 45 per month in the grade of 45-3-60. He was temporarily transferred from police to Jails Department on 1.8.38 on Rs. 60 per month in the grade of 60-4-100 as Assistant Superintendent of Jail. He was reverted from Jails Department to Police Department as S. I. on 15.3.44 on Rs. 55 in the grade of 40-5-60, thereafter he was appointed as Clerk in the grade of 60-3-75. Again he was promoted in the grade of 80-4-100 and on 1.9.45 on Rs. 100 in the grade of 100-5-150 as Section Superintendent.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यह है कि सेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट तो क्लेरीकल पोस्ट है फिर उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर क्यों प्रमोशन दिया गया ?

Page No. 16

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, उस समय तक राजस्थान सब-ओर्डीनेट सर्विस रूल्स लागू नहीं थे और अब राजस्थान पुलिस सब-ओर्डीनेट सर्विस रूल्स, १९६२ have come into force. और प्रावधानों के अन्तर्गत अब सारी सर्विसेज़ को गाइडेन्स दी जाती है इसलिए यह पहले का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : फिर आपको उत्तर में साफ कहना चाहिए कि ६२ के पहले ऐसा हुआ करता था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उत्तर स्पष्ट है जैसा कि इनका कैरियर रहा है उसके आधार पर प्रमोशन दिया जाता रहा है । ६३ में आज प्रश्न उपस्थित किया । उस आधार पर नहीं लिया गया and tehy were not prmoted.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह गलत प्रमोशन्स दिये गये हैं सरकार उनको रिवर्ट करने का विचार कर रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलत नही है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि ६२ के पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि पहले व दूसरे सप्ताह माह मार्च सन् ६२ में क्या हुआ ? पहले प्रश्न में है यह ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन सा हुआ है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : लक्ष्मी नारायण यू० डी० सी० और श्री गिराजमल स्टनो ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनका प्रमोशन नहीं हुआ है, यह मैंने निवेदन किया ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो यह किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पोस्ट है वही स्टेनोग्राफर की ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आर्डर्स हो गये थे ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : यह दोनों स्टेनो आई०जी०पी० और डी० आई० जी० पी० के लिए कहते हैं कि आर्डर्स हो गये थे । यह स्टेनोग्राफर ही हैं और इनको नहीं बनाया गया और अभी वह उसी जगह पर काम कर रहे हैं जिस जगह पर स्टेनो हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले भी क्वेश्चन दिया था....

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट ने इसको रिजेक्ट किया है चाहे १० साल तक कोशिश करते रहें । कोशिश तो लोग मिनिस्टर बनने की भी करते होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपके स्टेनो हैं इन्होंने आपके हुक्म से सर्किल इन्सपेक्टर के पद पर काम नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५५६ ।

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६०

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री मजलिस खां ।

सीकरी थाने के भवन की मरम्मत

५६१. श्री मजलिसखां (कामां) [श्री सांवलियाराम रूपवास-सु०) द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर, थाना सीकरी का भवन शकिस्ता हालत में है?

(२) यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक कर दी जावेगी?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) हर साल साधारण मरम्मत के लिए २७० रुपये खर्च किये जाते है। इस आर्थिक वर्ष १९६३-६४ में भी यह रकम खर्च की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विशेष मरम्मत के लिए २,००० रुपये हाल ही मे स्वीकृत किये गये हैं। पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों द्वारा यह विशेष मरम्मत शीघ्र कराई जाने के प्रयास जारी हैं।

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह थाना बहुत ही पुराना है और मेरा देखा हुआ है। आपने बताया कि २० रुपये हर वर्ष मरम्मत के ऊपर खर्च किये जाते हैं, यह पैसा बहुत कम है और यह मरम्मत कराने में देरी की जा रही है यह गलत है। थाने की मरम्मत शीघ्र ही कराई जानी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसीलिए २००० रुपये हाल ही में स्वीकृत किये गये है और पी. डब्ल्यू. डी. को कह दिया गया है कि जल्दी से ही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

बाढ़ से हानि--कस्बा बाली

५६२. श्री मोहनराज (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बाली कस्बा की आबादी का मूल्यावान भाग प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आने से बह कर जा रहा है और उससे हजारों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है?

(२) क्या सिंचाई विभाग ने बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत इस नुकसान को रोकने की कोई योजना बनाई है?

(३) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां, इस नदी के बहाव से बाली आबादी का कुछ भाग बह गया है।

(२) जी हां, योजना को अभी पूर्ण रूप दिया जा रहा है।

(३) इस योजना को बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृति के बाद हाथ में लिया जायेगा।

(श्री दिनेशराय डांगी

श्री मोहनराज : यह स्वीकृति कब तक प्राप्त होने की उम्मीद की जाये ?

श्री दिनेशराय डांगी : विभाग को भेजे थोड़े ही दिन हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड जल्दी ही करेगा।

श्री मोहनराज : क्या यह आशा की जा सकती है कि बरसात के पहले पहले यह हो जायेगा ?

सिंचाई-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उसकी मन्जूरी हो चुकी है। मैं नहीं कहता कि पूरी हो जायेगी लेकिन कोशिश यही है कि बरसात से पहले पहले हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

दलपति, होम गार्ड एवं राइफल ट्रेनिंग

५६३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़-गढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दलपति की ट्रेनिंग के लिये सरकार द्वारा उम्मीदवार की क्या योग्यतायें निर्धारित की गई है ?

(२) होम गार्ड एवं राइफल ट्रेनिंग में प्रशिक्षण पाने वालों से कारतूसों की क्या फीस ली जाती है और कितने कारतूस दिये जाते हैं ? इस प्रकार के कारतूसों की बाजार में क्या कीमत है ?

उप-मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) दलपति के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है:—

(१) वह पंचायत क्षेत्र का रहने वाला हो।

(२) उसकी आयु २१ वर्ष से ऊपर हो।

(३) वह दल के कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक रूप से समर्थ हो।

(४) वह हिन्दी पढ़ लिख सकता हो।

(५) उसका चरित्र अच्छा हो।

जो व्यक्ति प्रतिरक्षा पुलिस, होम गार्ड, राष्ट्रीय छात्र सेना व लोक सहायक सेना सेवाओं में से किसी भी संस्था का पूर्व अनुभव रखते हैं उनको इस पद के लिये प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार पंचायत समिति व पंचायत के कर्मचारियों तथा सरपंचों व पंचों को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(२) राइफल ट्रेनिंग के प्रशिक्षणार्थियों को २२ बोर के ५ कारतूस दिये जाते हैं और उनसे ३ रु० लिये जाते हैं, जिसमें कारतूसों के मूल्य के अतिरिक्त अन्य खर्च भी सम्मिलित हैं। होम गार्ड्स के प्रशिक्षणार्थियों को २५ कारतूस ३०३ बोर के एवं १५ कारतूस २२ बोर के दिये जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। ३०३ बोर के कारतूस साधारणतया बाजार में नहीं मिलते। पुलिस को यह कारतूस २५६.८० न पै. प्रति हजार के भाव पर मिलते हैं। २२ बोर के कारतूस भी पुलिस के स्टोर से ही दिये जाते हैं और उनकी कीमत १३० रु० प्रति हजार पड़ती है। राइफल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ट्रेनिंग के लिये १) रु० की फीस को कम करने अथवा बिल्कुल ही फीस न लेने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जल्दी ही।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

भाखरा के पानी का हिस्सा

५६४ **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा के पानी में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है और पंजाब का कितना हिस्सा है ?

(२) सन् १९६३-६४ में राजस्थान को भाखरा का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त हुआ है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान का १५.२२ प्रतिशत हिस्सा है व शेष पंजाब का है।

(२) ७ फरवरी सन् ६४ तक १,७२,४७८ क्यूसेक प्रतिदिन पानी मिला है और शेष पानी मई ६४ तक मिलना है। अत: प्रतिशत अभी बताना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : प्रश्न संख्या ५६५।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह : आप प्रतिशत तो नहीं बता सकते हैं लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि हमारे हिस्से का जो पानी था उसके मुकाबले में एक चौथाई हिस्सा पानी मिलता है भाखरा से लेकिन ५ प्रतिशत भी आपको नहीं पहुंच रहा है।

श्री दौलतराम सारण : पानी कम नहीं मिला है यह तो निश्चित है। जितना पानी अभी तक मिला है इसका प्रतिशत को निकाला जा सकता है लेकिन पूरा पानी ६३-६४ के साल में कितना मिलेगा इसके लिए निवेदन किया कि उसका प्रतिशत बताना अभी सम्भव नहीं है। यह जो मिला है वह १३-२८ प्रतिशत है।

श्री हरदत्तसिंह : पानी की कमी की क्या वजह है ?

श्री दौलतराम सारण : पंजाब ने पानी ठीक समय पर दिया नहीं हमारे हिस्से के मुताबिक।

श्री हरदत्तसिंह : क्या आयन्दा साल के लिए गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान सरकार पंजाब सरकार और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष : जो राजस्थान का हिस्सा है तो क्या उसके लिए ऐसा करार पंजाब सरकार के साथ है कि किस किस मौसम में कितना कितना पानी मिलेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां। हर शाखा नहर पर कितना हिस्सा है, कितना मिलेगा और किस किस फसल के लिए यह सब है हमारे हिस्से के मुताबिक, लेकिन उसके मुताबिक जितना जिस समय पर मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।

श्री हरदत्तसिंह : क्या यह सही है कि भाखरा के हिस्से का पानी जो भाखरा नहर को मिलना चाहिए उसमें से ही राजस्थान केनाल को राज्य सरकार ने पानी दिया है, इस साल और गत वर्ष में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़ा सा पानी गत वर्ष में दिया था ५०० क्यूसेक्स। वह ६-७ दिन के लिए लिया गया था।

श्री हरदत्तसिंह : किस मौसम में लिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय कि पानी की जरूरत भाखरा केनाल में कम थी उसी मौसम में लिया गया था।

श्री हरदत्तसिंह : क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान केनाल में भाखरा का पानी उस वक्त लिया गया था जब कि भाखरा की नहरों में पानी की ज्यादा जरूरत थी। वह गेहूं की बुआई का वक्त था। इसलिए ही भाखरा क्षेत्र में गेहूं की बुआई ५ प्रतिशत ही हो पाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं था। जिस समय पानी लिया गया था उस समय राजस्थान केनाल में पानी की काफी जरूरत थी। वहां पर काम ठप्प हो रहा था। पीने के पानी की कमी हो रही थी। आगे पानी नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जिस समय यह पानी लिया गया उस समय भाखरा केनाल में पानी की जरूरत कम थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिस केनाल हैड वर्क्स पर वाटर रिलीज़ किया जाता है तो क्या वहां राजस्थान के इन्जीनियर का सुपरविजन नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक तो नहीं है। पंजाब के इन्जीनियर्स ही पानी रिलीज़ करते हैं। राजस्थान केनाल हैड वर्क्स और दूसरी केनाल के हैड वर्क्स पर हमारे रिप्रेजेन्टेटिव रखने के बारे में सोचा जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : भाखरा केनाल प्रोजेक्ट को कम्प्लीट हुए इतना अर्सा हो गया है। इस बीच में क्या राजस्थान सरकार ने इस बात की आवश्यकता और जरूरत महसूस नहीं की कि राजस्थान के इन्जीनियर्स का सुपरविजन भाखरा के केनाल के हैड वर्क्स पर और जहां जहां से वाटर रिलीज़ किया जाता है वहां पर रखे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम्प्लीट हुए बहुत अर्सा नहीं हुआ। वह पेरीनियल इस साल से हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पानी मिलता रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह नॉनपेरीनियल था। वह पानी तब मिलता था जब कि बरसात होती थी। क्योंकि ज्यादातर झगड़े अब सामने आ रहे हैं गंग केनाल और भाखरा के बारे में पानी की रिलीज के लिए, तो हमने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भारत सरकार को भी कहा है और पंजाब गवर्नमेंट को भी कहा है और हमने यह भी कहा है कि हमारा स्टाफ भी वहां रखा जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस तरह से अचानक बगैर नोटिस के पानी कम देने से जो नुकसान किसानों को हुआ उसका कम्पेन्सेशन या कुछ देने का सरकार इरादा रखती है ? या पंजाब सरकार से मांग करे जिसने इस तरह की बात की है, उसकी तरफ क्या हमारी सरकार की दृष्टि है ? क्योंकि किसानों को जिनको नुकसान हुआ है और जिनके कम्पेन्सेशन की बात है और जो कम्पेन्सेशन की मांग रखते हैं तो क्या उसमें कोई क्लाज इस तरह की नहीं है कि अगर दूसरी सरकार हमारे किसानों के लिए इस तरह का कर दे तो उसका सहारा लेकर मुआवजे के लिए हम दावा कर सकें भारत सरकार की मार्फत पंजाब सरकार पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा कि किसानों के खराबे का जहां तक सवाल है तो खराबा कानून की रूह से दर्ज किया जाता है गिरदावरी के वक्त में। इसलिए किसानों का कोई प्रश्न नहीं है। स्टेट बेसिस पर जो पानी कम जाता है और उससे यहां पर नुकसान होता है उसके लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से टेक अप किया है। भारत सरकार के सामने मामला रखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न सीधा यह है कि उन किसानों को पंजाब या राजस्थान का जो भी समझते हो अपनी काश्त के लिए जो वे एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो किसान सरकार से एक्सपेक्ट करते थे पानी से पैदा करने के लिए उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था करने और मांग करने के लिए सरकार इरादा रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उनको नुकसान हुआ है। पानी नहीं मिलने से किसानों को तो नुकसान होता ही है लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो कि किसानों से मिलती है उस पर उसका असर पड़ता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रेवेन्यू का नहीं। कम पानी देने से किसानों को नुकसान होता है तो इसके लिए कोई आपने नोटिस दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसानों को नुकसान जो टाइम पर पानी नहीं मिलने से या पानी जो मिलना चाहिए था उसके नहीं मिलने से हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके इस अरेन्जमेंट से उनको नुकसान हुआ है। उनको इस अरेन्जमेंट का पता नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपसे मैं यह कह रहा हूँ कि किसानों को नुकसान होता है तो खराबा दर्ज होता है उसके बाद में वह होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसानों को जो नुकसान आपकी अव्यवस्था के कारण या व्यवस्था की कमी के कारण हुआ है तो क्या सरकार किसानों की जो खेती कम होती है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पानी कम पहुंचने की वजह से तो उनको कम्पेन्सेशन देने का सोचती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई एसेस नहीं किया जा सकता है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसेस तो किया जा सकता है, नहीं देना चाहें वह दूसरी बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मानलें कि एक किसान के पास में २५ एकड़ जमीन है उसमें जब पूरा पानी मिलता है तो वह १७ एकड़ पर काश्त करता है। मानलें कि पानी काश्त के वक्त में नहीं आता है तो वह १५ एकड़ में काश्त करेगा और दो एकड़ काश्त कम हुई उसकी। तो आपका मतलब यह है कि यह जो दो एकड़ काश्त कम हुई उसका जो नुकसान किसान को हुआ तो उसका कम्पेन्सेशन किसान को दिया जाय ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मानलें कि १७ एकड़ का पानी मिलना चाहिये था लेकिन पानी १४ एकड़ का ही दिया गया उसको और उसने १७ एकड़ की बुआई वगैरह सब कुछ की, क्योंकि आपने उसको नहीं बतलाया कि पानी कम मिलेगा आपने अमानत में खयानत की या जो कुछ किया उसके बारे में अलग कहूँगा आपकी वजह से मैं नहीं कहता लेकिन पंजाब सरकार की वजह से इस तरह का नुकसान किसानों को हुआ तो आपको सरकार की तरफ से क्या किया गया ? उसका नुकसान किसान को हुआ। और इसलिए हुआ कि जो उसकी लागत थी वह १७ एकड़ के अन्दर की थी और आपने पानी १३ का ही दिया तो जो उसकी ४ एकड़ की महनत थी वह बेकार गई तो उसके कम्पेन्सेशन की मांग की जाय।

श्री अध्यक्ष : सम्भवतः माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से टेक अप किया है ? क्या सरकार का इरादा है कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है तो डेमेज के रूप में कोई चीज क्लेम की जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक साथ इन सारी बातों को टेकअप किया हो या डेमेजेज के रूप में रखा हो ऐसी बात नहीं है। हम सतर्क हैं, लेकिन यह अर्से से नहीं है लेकिन इस सीजन से ही खास तौर से ज्यादातर यह चीजें सामने आ रही हैं। इसलिए अभी इनके बारे में एक लेवल पर बात की है। दूसरे लेवल पर बात हो रही है भारत सरकार से। इसके बारे में सीरीयसनेस के साथ रखी है गम्भीरता के साथ रखी है आखरी क्या हल होता है भारत सरकार के इन्टरवेन्शन से। कैसे हो कम्पन्सेशन के रूप में इन सारे मसलों पर भारत सरकार विचार कर रही है ताकि इसके बारे में जो ढंग है उसको निबटाने की कोशीश कर रहे हैं। और जल्दी ही करने का विचार रखती है।

एक माननीय सदस्य : किसानों की खेती इनसिक्योर्ड है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : विचार रखना मेरे खयाल से कोई पैरवी नहीं रख सकेगा। मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार इस सम्बन्ध में कोई हल नहीं निकालेगी। उसका अपर हैण्ड है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस के बारे में काई हल निकालने

Page No. 23

(महारावल लक्ष्मणसिंह)

की कोशिश करेगी। क्यों न इन्टर स्टेट लेवल पर कोई एग्रीमेंट आर्बीट्रेशन के द्वारा हम करें। यदि आप कुछ नहीं करेंगे, यदि आप कोई ठोस कदम इस सम्बन्ध में नहीं लेंगे तो पंजाब सरकार मेरे खयाल से कोई चेष्टा इस समस्या का हल निकालने के लिए नहीं करेगी।

योजना मंत्री : (श्री मथुरादास माथुर) माननीद अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के नेता ने सुझाव दिया है इसके पहले ही एक कड़ा खत भारत सरकार को यह सुझाव देते हुए कि इस मामले में आर्बीट्रेशन हो जाना चाहिये हमने लिखा था। उसके ऊपर भारत सरकार से बातचीत हो चुकी थी और मैं समझता हूँ कि आर्बीट्रेशन की नौबत नहीं आयेगी। और एक तारीख मुकर्रर कर देगी जिसमें पंजाब के नुमायन्दों को और हमको भारत सरकार ने बुलवाया है। बैठकर बात करने के बाद में भी अगर समस्या हल नहीं हुई तो आर्बीट्रेशन की मांग को पूरी पूरी पेश करेंगे।

(६.०८ म० पू०)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार इस बात को कैटेगरिकली डिनाई कर सकती है कि पंजाब ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नहीं किया ? यह आप साफ साफ बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो एग्रीमेन्ट को एग्रीमेन्ट ही नहीं मान रहे हैं और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ नहीं, यह मैंने कभी कहा ही नहीं। जिसको हम एग्रीमेन्ट कह रहे हैं उसको वे एग्रीमेन्ट मानते ही नहीं कहते हैं यह गलत हो गया।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि दोनों सरकारों के बीच में कोई एग्रीमेन्ट नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : किस चीज के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : पानी के बारे में।

श्री मथुरादास माथुर : भाखरा का अलग है, राजस्थान कैनाल का अलग है, व्यास डैम का अलग है। पावर का अलग है और रिवर वाटर के अलोकेशन का अलग है।

श्री भैरोंसिंह : जब है तो जैसे पानी की कमी हुई तो क्या इसके कारण ब्रीच ऑफ एग्रीमेन्ट नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या कम्पेन्सेशन का इसके लिये प्रावधान नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बासपुर): यह लेकुना है एग्रीमेन्ट में।

श्री हरदत्तसिंह : क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि भविष्य में भाखरा का पानी राजस्थान केनाल को नहीं दिया जावेगा ताकि भाखरा एरिया के लोगों को नुकसान नहीं हो ?

Page No. 24

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी नौबत ही नहीं आवेगी। राजस्थान केनाल में बरसात के पहले ही पानी आने का अरेंजमेन्ट हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन (वैर) : मेरा तो नाम पुकारा जा चुका था साहब।

सी० आई० पुलिस डीग के विरुद्ध शिकायतें

५६५. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या श्री किशनलाल सी. आई पुलिस डीग (भरतपुर) के विरुद्ध सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने कितने मामलों की जांच कराई है और जांच का क्या परिणाम रहा है ?

उप-मन्त्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : हां. सी. आई. श्री किशनलाल सेनी के विरुद्ध पांच शिकायतें भ्रष्टाचार विभाग में आईं, उनमें से दो की जांच पूर्ण हो गई और वे गलत साबित हुईं। तीन शिकायतों की जांच हो रही है, जो शीघ्र ही समाप्त की जावेगी।

श्री रामकिशन : यह शिकायत कब आई और कब से यह जांच जारी है अलग अलग आप बतावें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तारीख मेरे पास नहीं है, दफाओं का तो है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र में भी जब माथुर साहब गृह-मन्त्री थे तब भी पूछा गया था और यही जवाब दिया गया था। अब भी थोड़ा हेरफेर करके वही जवाब दिया जा रहा है। पहले छोटी लिस्ट मिली, फिर बडी मिली, सी आई ने बयान दिये हैं कि मैंने एस पी. को रिश्वत दी है। यह ५६ से करप्शन की शिकायत चल रही है। और सरकार का यह रवैया है करप्शन की शिकायतों के मामलों में भी और वह भी उनके बारे में जिनकी खुद की ड्यूटी है करप्शन को रोकने की वे खुद ही इसमें इन्वाल्व हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मामला प्रोग्रेस में है। दो महीने के अन्दर इन्वेस्टिगेशन समाप्त करके अन्तिम कार्यवाही के लिये ले लिया जावेगा, यह आश्वासन, विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेन्ड स्टोन प्लान्ट्स का वितरण, भीलवाड़ा

१६६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : Will the Minister for Mines be pleased to state :—

[1] Whether 16 plots of soap stone in Bhilwara area have been allotted to Dharti Dhan Private Ltd., during the years 1961-62 and 1962-63 ? If so, when and why ?

[2] Whether many more applications were received in the office of D M. G. for the allotment of these

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

plots ? If so, how many and of whom ?

[3] whether these plots have been demarcated and the agreement has been executed ? If so, on what date ?

उत्तर

(१) मेसर्स धरतीधन प्राइवेट लिमिटेड को २१ प्लॉट राज्य सरकार द्वारा दिनांक ५-७-६२ को स्वीकृत किये गए थे, मेसर्स धरतीधन की एक पांच रोलर मिल उदयपुर में पहिले से ही थी और क्यों कि वे उसी तरह की एक और नई मिल उदयपुर में स्थापित कर रहे थे, अत: यह उचित समझा गया कि उन्हें लीज स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जाए ताकि उनकी मिलों को पर्याप्त मात्रा में सोप स्टोन प्राप्त हो सके और वो चालू रखी जा सके।

(२) जी नहीं, माइनिंग लीज तथा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र सम्बन्धित खनिज अभियन्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते है। अत: उपयुक्त क्षेत्र व उसके कुछ भाग के लिये निम्नलिखित प्रार्थियों ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक १७-६-६१ को खनिज अभियन्ता भीलवाडा को कार्यालय में प्रस्तुत किए थे :-

माइनिंग लीजेज के लिए

१. मेसर्स मिनरल माईनिग कम्पनी प्रा० लि०
२. ,, मिनरल माईनिग कम्पनी प्रा० लि०
३. मे० हिन्द माइका कम्पनी भीलवाड़ा
४. ,, राजस्थान मिनरल कम्पनी भीलवाड़ा
५. ,, बी० एल० राजगरिया
६. ,, जयभारत मिनरल्स
७. ,, रा० ब० सेठ मूलचन्द नेमीचन्द प्रा० लि०
८. ,, जय बजरंग मिनरल्स
९. ,, दूदूवाला एण्ड कम्पनी
१०. ,, एस० एन० नाथानी
११. ,, के० एल० कम्पनी
१२. ,, देवीदयाल एण्ड सन्स प्रा०लि०
१३. ,, जी० बी० छापरा

प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के लिए

१. श्री बी० एल० राजगरिया
२. ,, कुवरसिंह कछवाहा
३. ,, बसन्ती लाल सामरिया
४. मे० मिनरल माइनिंग कम्पनी
५. श्री भगवती लाल लोढा

(३) हां सीमांकन हो जाने के पश्चात दिनांक ५-१२-६२ व ४-२-६३ को मेसर्स धरतीधन प्रा० लिमिटेड ने लीज एग्रीमेन्ट सम्पादन कर दिया उनका लीज दिनांक २७-२-६२ से माना गया है।

झुंझुनू जिले के गाँवों में अकाल स्थिति

१६७. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सुमित्रा)

(१) झुंझुनू जिले में इस वर्ष कुल कितने गांवों में अकाल की स्थिति है ? कृपया तहसील वाइज बताने का कष्ट करें ?

(२) इन अकाल ग्रस्त गांवों में से कुल कितने गांवों में राज्य सरकार लगान में छूट देने का इरादा रखती है और कितनी ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं तहसील के ५२ चिडांवा तहसील के ९१ तथा खेतड़ी तहसील के १३ गांवों को झुंझुनूं जिले में वर्षा न होने के कारण इस वर्ष खरीफ के लिए ३० सितम्बर ६४ तक अभावग्रस्त घोषित किये हैं। सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सम्बन्वित तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इन गांवों में लगान में छूट नहीं दी गई है अभाव-ग्रस्त केवल भूराजस्व व अन्य राजकीय देय की वसूली दिनांक ३० सितम्बर ६४ तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

होम गार्ड्स ट्रेनिंग

१९८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में अब तक कितने व्यक्तियों को होम गार्ड्स की ट्रेनिंग दी गई ? यह प्रशिक्षण राज्य में किन किन स्थानों पर कितनी कितनी संख्या में दिया गया ?

(२) होम गार्ड्स के प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्या कोई भत्ता ट्रेनिंग पीरियड में दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

(३) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्थायी रूप से राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने का कोई एग्रीमेन्ट कराया जाता है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(४) क्या ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों को सरकार कुछ मासिक भत्ता देती है ? यदि हां तो कितना ?

(५) होम गार्ड्स प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए क्या राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी अथवा अन्य सरकार सम्बन्धी कामों में प्राथमिकता देने का प्रावधान रक्खा है ? यदि हां, तो सविस्तार बताने की कृपा करें ?

उत्तर

१. राजस्थान में दि० २. ३. ६४ तक ७०७५ व्यक्तियों को होम गार्ड्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जिलेवार सूची संलग्न है।

२. जी हां, २ रुपया ५० नये पैसे दैनिक।

३. जी हां, प्रतिलिपि सलग्न है।

४. साधारण स्थिति में कोई भत्ता नहीं दिया जाता किन्तु यदि उन्हें सेवा के हेतु बुलाया जाता है तो उस अवस्था में २) रुपये ५० नये पैसे दैनिक भत्ता मिलता है।

५. जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांधों का निर्माण, गिरवा क्षेत्र

१९९. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) गिरवा क्षेत्र में १० वर्षों में कौन कौन से छोटे मोटे बांध बनाये गये है और उनमें से कितने टूट गये है तथा कितने बांध ऐसे है जिनकी पाल या जिधर से मिट्टी डाल कर पानी रोका है उसी के नीचे से पानी बेकार जाता रहता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) गिरवा तहसील में किन स्थानों पर छोटे मोटे बांध बनाये जा सकते है, और किन स्थानों की सर्वे हो गई है ?

(३) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में ग्राम नाई के करीब नादेश्वर जी के पास एक बांध बनाने के लिये पहले १० वर्षों में सर्वे हुई थी और रकम भी मन्जूर हुई लेकिन काम आज तक नहीं हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि इसी बांध के लिये मालदेव जी की घाटी बांधी जा सकती है वहां का नाका बांधने पर गोराने की नाल का पानी यहां लाया जा सकता है जो पानी अभी सोम नदी में बेकार चला जाता है जो गुजरात में जाती है ?

(५) क्या यह सही है कि नाई ग्राम के आसपास कहीं भी बांध बनने से पिछोला झील के रिजरवायर का काम करेगा और यही पानी जब भी आवश्यकता होगी फतेहसागर व उदयसागर झील में काम में ले सकेंगे और अभी जो उदयसागर के पास स्मेल्टिंग प्लांट लगा है उसमें पानी देने के कारण किसानों को पानी देने की रोक है वह भी दूर हो सकेगी ?

(६) क्या सरकार इस बांध के बारे में विशेष ध्यान देकर इसकी जानकारी करके इसे बनाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) पिछले १० सालों में सिंचाई विभाग ने गिरवा तहसील में कोई तालाब नहीं बनवाया अतः प्रश्न नहीं उठता।

(२) ऐसे कोई स्थान नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां, सर्वे हुआ था परन्तु स्कीम स्वीकृत नहीं हुई।

(४) यह विस्तृत सर्वे के बाद ही कहा जा सकता है।

(५) जी नहीं।

(६) सरकार ने पूर्ण विचार करने के बाद ही इस स्कीम को रिजेक्ट किया है।

जयपुर में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा प्लाटों का वितरण

२००. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ३१ मार्च, ६२ से लेकर अब तक

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं राज्य सरकार द्वारा जयपुर में किन किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को किस किस तारीख को किस २ माप के प्लाट्स दिये गये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए थे और उनका यू० आई० टी० के रजिस्टर में किस किस नम्बर पर इन्दराज है ?

उत्तर

(१) (क) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) तालिका में वर्णित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान - सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मैडिकल फैसेलिटीज पर वार्षिक व्यय

२०१ श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में स्वास्थ्य के मद में वित्तीय वर्ष, १९६२-६३ व ६३-६४ में ड्रग्स एण्ड मेडीसन पर क्या खर्चा हुआ ? और वह औसतन प्रति व्यक्ति कितना है ।

(२) राजस्थान के सचिवालय के गजेटेड आफीसर्स व उनके कुटुम्ब पर मेडिकल फैसेलिटीज का कितने रुपयों का खर्च वित्तीय वर्ष १९६२-६३ व उसके बाद जनवरी ६४ तक किया गया और वह औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना आता है ?

(३) राजस्थान के मंत्रीमण्डल पर उक्त अर्से में मेडिकल फैसेलिटीज का क्या खर्चा हुआ और वह औसतन प्रति मंत्री प्रति वर्ष कितना खर्च आता है ?

(४) प्रश्न के भाग (१) व (२) के उत्तर में दी जाने वाली सूचना का ब (१) व (३) का व (२) व(३) का क्या अनुपात है ।

उत्तर

१- राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मद में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में ड्रग्स एन्ड मेडीसिन्स पर ५ ,३१,८०० रु. खर्च हुये हैं एवं सन् १९६३-६४ का बजट उक्त मद में ५१,७६, ५०० रू है सन् १९६२-६३ के आंकड़ों के अनुसार प्रति मरीज पर दवाई का खर्चा करीब ०. ४५ नये पैसे प्रति मरीज पर पड़ता है ।

२- वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में	१९६७५.००
औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्चा	१२०.३०
१-४-६३ से ३१ जनवरी ६४ तक	१३,८४४.००
१-४-६३ से ३१-१-६४ तक औसत व्यय	८८.६८
३- वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में व्यय	३,२९१
वित्तीय वर्ष में औसत प्रति व्यक्ति	१८२.८
१-४-६३ से ३१-१-६४ तक व्यय	१,८८२
१-४-६३ से ३१-१-६४ तक औसत प्रति व्यक्ति	१०४.५५

४- अनुपात इस प्रकार है
१ : २४० : ३६४

हैल्थ सेंटर पर डाक्टर की कमी

२०२. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

१- क्या यह सही है कि किशनगढ़ तिजारा क्षेत्र में हैल्थ सेन्टर खोला गया है परन्तु वहां पर अभी तक डाक्टर नहीं भेजा गया है जिसके कारण वहां की जनता को बडी असुविधा हो रही है ?

२- क्या यह सही है कि डाक्टर की मांग वहां की जनता बराबर करती आ रही है ?

३- यदि हां, तो सरकार इस सबंध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

१- जी नहीं।

२- सवाल ही पैदा नहीं होता ।

३- सवाल पैदा नहीं होता ।

गंग नहर क्षेत्र

२०३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१- गंगनहर क्षेत्र के करनपुर सब डिवीजन में कस्सी (माइनर) एफ. एफ. ए. सन् १९६२ में कितनी बार टूटी (ब्रीच हुई) है ?

२- यह कस्सी (माइनर) एफ. एफ. ए. हर बार किस किस बुर्जी नम्बर के पास टूटती रही है ?

३- क्या हर बार इस माइनर के टूटने के लिए अच्छरसिंह नम्बरदार ४ एफ. एफ. ए. को गुनाहगार ठहराया गया है ?

४- क्या यह भी सही है कि अच्छरसिंह नम्बरदार ४ एफ॰एफ॰ए॰ के चक (गांव) तथा खेत कस्सी [माइनर] के टूटने के स्थान से चार मील दूर है ?

५-क्या यह भी सही है कि इस इलाके के किसानों को एफ-फफ॰ए॰ कस्सी [माइनर] की बुर्जी नं. ८, ९, १० से सिल्ट निकालने के कई प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इंजिनियर, इरिगेशन, गंगानगर को दिये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजे के तौर पर एफ॰ एफ॰ ए॰ का पानी इन बुर्जिओं पर हैल्डअप होता रहा ?

उत्तर

१- एक बार भी ब्रीच नहीं हुई ।

२ प्रश्न नहीं उठता ।

३- जी हां, एक बार इस माइनर को तोडने के लिए अधिशांशी अभियन्ता ने श्री अच्छरसिंह नम्बरदार ४ एफ॰ एफ॰ ए॰ को गुनाहगार ठहराया ।

४- श्री अच्छरसिंह का रकबा उन टेल के चकों में है जो नहर टूटने के स्थान से करीब १-१/२ (डेढ़) २ मील पर पड़ता है ।

५-किसी कोई अर्जी की विभाग को जानकारी नहीं है।

[६.०३ म.पू.]

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड विषयक स्थगन—प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल ने दी है जिसका सम्बन्ध कोटा ट्रान्सपोर्ट की श्रम स्थिति से है। इस विषय में श्रम मन्त्री से निवेदन किया गया है कि वे जल्दी एक वक्तव्य दें।

[६.०४ म.पू.]

भीम तहसील में अकाल की स्थिति विषयक स्थगन--प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने रिलीफ कार्यों के सम्बन्ध में दी है। इस सम्बन्ध में सदन में काफी बहस पहले भी हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि ज्यादा बहस इस पर और की जावे।

अत: इसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, काम वहां शुरू नहीं हो रहा है। उसको करवाने का प्रबन्ध शीघ्र किया जावे। मैं तो इतना ही चाहती हूं। इसके बिना वहां सात आठ हजार आदमी भूखों मर रहे हैं। काम शुरू होने की मन्जूरी डेढ़ महीने पहले हो गई पर काम शुरू आज भी नहीं हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र [उद्योग मंत्री] मैंने आश्वासन दिया है सदन को कि एक आध दिन में मैं तलाश करूंगा कि क्यों नहीं काम शुरू हुआ।

श्री अध्यक्ष : तगारी और फावड़े नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : फाइनेन्स से मामला निकला नहीं है। जानकारी करके आज ही बता दूंगा डेफीनेटली।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यही नहीं है, पेमेन्ट भी नहीं होता है, वे भूखों मर रहे हैं बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जल्दी प्रबन्ध किया जाय, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या बाजार में भी नहीं मिलते ?

श्री मथुरादास माथुर [योजना मंत्री]: स्पेशल बना रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कब तक बन जावेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर :जोधपुर में तैयार हो गये हैं। अगर माननीय सदस्यों के इलाके में नहीं पहुंचे हैं तो टेलीफोन जोधपुर कर दिया है, फावड़े और तगारी जल्दी पहुंच जावेंगे और काम शुरू हो जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने तो मामूली सी बात समझ कर कह दिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आदमियों को रिलीफ देना है, न कि फावड़े और तगारियों को। प्रश्न यह है कि फावड़े तगारी न पहुंचे, न पहुंचे, रिलीफ का मकसद यह है कि बैठे हुओं को दिया जाय। काम करते हैं या नहीं यह तो आपका प्रबन्ध है, आप प्रबन्ध नहीं कर सकते तो बैठे हुओं को तब तक दिया जाय, जब तक आप काम का प्रबन्ध न कर लें। आप हाथ से काम करवाइये अगर

Page No. 31

फावड़े तगारी का प्रबन्ध आप वक्त पर नहीं कर सकते तो। यह क्या मतलब है ? चार हजार आदमी भूखों मरेंगे इस तरह ?

श्री मथुरादास माथुर : आपके उत्साह की तो तारीफ करता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उत्साह वुत्साह कुछ नहीं, मुझे दुख है आपके इस रवैये पर ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पहले भी शिकायत आई थी निकालने की, अब २७ को फिर निकाल दिया है ।

(६.०७ म०पू०)

बूंदी में मंहगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक द्वारा धरना विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामकिशन ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसका सम्बन्ध एक भूख हड़ताल से व धरने से है । इसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस पर अन्य बहस में उल्लेख कर सकते हैं न हो यह मामला इतना महत्व का है ।

श्री रामकिशन [वैर] अध्यक्ष महोदय, जब सूचना दी थी तब धरने की बात थी, अब भूख हडताल और हो गई है । पांच आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में है भूख हड़ताल ?

श्री रामकिशन : टी. बी. अस्पताल में एक्सरे की मशीन नहीं है । इसके अभाव में कितने बीमार मर चुके हैं यह तो वे ही जानें, दूसरा यह कहना है......

श्री अध्यक्ष : असलियत वे जानें, प्रश्न आप उठावें ?

श्री रामकिशन : मैं केवल मरने की बात की असलियत के लिये कहता हूं । दो मांगें उनकी और हैं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इस पर विचार करेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वहां पर हॉस्पिटल, पुलिस, पी डब्लू डी में अव्यवस्था है पोइन्टेडली कहा कि ठीक करें । एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद धरना आरम्भ किया है । बड़ी जेन्यूइन उनकी मांगे हैं जो बूंदी से सम्बन्ध रखती हैं ।

श्री रामकिशन : एक स्टेटमेन्ट देने के लिये कहा जावे । पांच मांगे बहुत अच्छी हैं । सरकार थोडी भी कोशिश करे तो उनको पूराकर सकती है । ऐसी मुश्किल एक भी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा [कोलायत]: वक्तव्य देने के लिये तो ट्रेजरी बैंचों को कहा जावे । किसी भी इलाके के लोग मांग करते हैं और नोटिस देते हैं फिर धरना देते हैं और भूख हड़ताल भी शुरू कर देते हैं तो आखिर जनतन्त्र में यही तो तरीके ! अपनी मांगों को पूरा कराने का ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : [नसीराबाद]: यह जनतान्त्रिक तरीका नहीं है भूख हडताल करने का ।

श्री मानिकचन्द सुराणा [कोलायत] :

जनतान्त्रिक नहीं है, पर गांधीजी का तरीका है जरूर। आप उसे भले ही आज छोड़ चुके हों। अब आपके तरीके दूसरे होंगे। ये डेमोक्रेटिक वेज है अपनी ग्रीवान्सेज को रिड्रैस कराने के। इसलिये सरकार इसे स्पष्ट कर दे कि क्या परिस्थिति है।

श्री अध्यक्ष : मेडिकल विभाग की मांग पर जब बहस होगी तब मंत्री महोदय इस बारे में भी प्रकाश डालेंगे।

श्री रामकिशन : इसमें अलग अलग मांगें हैं जिसमें एक यह भी है कि रोडवेज के बस स्टेन्ड पर पेशाबघर नहीं होने से महिलाओं को परेशानी होती है। सरकार को इन मांगों के बारे में जवाब देना चाहिये। पहले एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा था अब ५ बैठ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : इतनी मांगे हैं तब तो गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्री जी हाजिर नहीं हैं।

श्री रामकिशन : उप-गृह मंत्रीजी जवाब दें, दें चाहे उल्टा सीधा ही।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उल्टा सीधा जवाब देने के लिये इनको रिजर्व कर रखा है क्या ?

(६ ११ म०पू०)

राजस्थान वित्तीय निगम के प्रतिवेदन (सदन की मेज पर रखना)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वित्तीय निगम।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया था उसको एक्सप्लेन कर दें। तीन रिपोर्ट्स एक साथ क्यों पेश की जाती है ?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : I tender my apologies for the delay caused.

श्री भैरोंसिंह : आपने तो खेद प्रकट कर दिया लेकिन गलती कहां हुई ? गवर्नमेन्ट पेश नहीं कर सकी या गवर्नमेन्ट को जिस धारा को पेश करना था उसकी जानकारी नहीं थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेन्ट में पड़ी रही।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नहीं समझते थे डिपार्टमेन्टल ऑफिसर कि सत्र आरम्भ हो रहा है उसमें इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करनी है इसलिये वे आपको सूचना दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अब पेश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। यह सही है कि आपने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन मैं कारण जानना चाहता हूं कि किस कारण आपको खेद प्रकट करना पड़ रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : स्लेकनेस।

श्री भैरोंसिंह : किसकी ?

श्री हरिश्चन्द्र : Of the officers concerned.

Page No. 33

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री महोदय ने क्षमा याचना करली, फिर आप क्यों पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इसलिये कि आयन्दा इस प्रकार की क्षमा याचना नहीं करनी पड़े।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये जागरूक हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : I am apologising for the delay caused. What else can I do ?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट फाइनेन्शियल कोरपोरेशन अधिनियम, १९५१ की धारा ३७ (७) व धारा ३८ (३) के अंतर्गत राजस्थान वित्तीय निगम (राजस्थान फाइनेन्शियल कोर्परेशन) के छठे, सातवें एवं आठवें वार्षिक प्रतिवेदनों को तत्संबंधी लेखों के विवरणों सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।

(विराम)

रूल्स

राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज (लोन्स) नियम, १९६३

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज अधिनियम, १९६१ की धारा ८ (२) के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज (लोन्स) नियम, १९६३ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नियम सदन की मेज पर रखे गये।

श्री भैरोंसिंह : ये मेज पर रखे जायेंगे या मेम्बर्स को सर्क्यूलेट किये जायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गजट में छपते है।

श्री भैरोंसिंह : कौन से गजट में छपे हैं, यह बता दीजिये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसकी कापीज मेम्बर्स को अवेलेबल कर रहे हैं क्या ? वर्ना मुश्किल हो जायगी टेबल आफ दि हाउस पर रखने से। एक एक मेम्बर जाकर देखें और उसका लाभ लें इसलिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि या तो साइक्लोस्टाइल करवाया है तो मेम्बर्स को सर्क्यूलेट की जाय या प्रिन्ट करवा कर दी जायं।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार किया जा सकता है।

भीलवाड़ा में पुलिस द्वारा की गई मारपीट विषयक वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह : भीलवाड़ा की घटना के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा की घटना पर कल बहस हुई थी उस संबंध में सरकार की ओर से सूचित किया गया है कि उन्होंने डी. आई. जी क्राइम्स को जांच के लिये भीलवाड़ा भेजा है। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सारी जांच उनके पास है। ए एस. पी., भीलवाड़ा, जिनके बारे में केस है उनको पुलिस लाइन्स जयपुर में बुला लिया गया है। मैं नहीं समझता कि उसके बाद कुछ अधिक कहने की आवश्यकता हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहूंगा कि उनको यहां बुलाया गया है तो सस्पेन्ड करके बुलाया है या बिना सस्पेन्ड किये बुलाया। मुख्य मांग यह की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट जज भीलवाड़ा से यह जांच करवाई जाय। इस बात को सरकार ने कल भी जवाब देते समय साइड ट्रेक किया है और आज भी मैं समझता हूं कि आपके सामने यह बात नहीं आई है। जी आप एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच करवाना चाहते हैं, भीलवाड़ा ऐसा जिला है जहां एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन नहीं हुआ है ......

श्री मथुरादास माथुर : हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कहिये जोर से हुआ है तो।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ अंश में हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वहां पर सेपरेशन नहीं हुआ है। ए. डी. एम. से जांच कराने की जो व्यवस्था की है वह सतोषजनक नहीं है। यह घटना बहुत गंभीर है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इस तरह से पब्लिक के लोग इन्वोल्व्ड हो, पुलिस द्वारा उनकी पिटाई हो तो यह साधारण बात नहीं है, इसकी जांच करवाई जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा करवाने का आश्वासन सरकार दे। डी. आई. जी. क्राइम्स या किसी और के द्वारा जांच करवाना संतोषजनक नहीं है।

श्री अमरावसिंह डाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि कल उप-मंत्री गृह महोदय ने बताया था और मैंने भी कहा था कि वहां की म्युनिसिपेलिटी ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया है जिसकी सूचना सरकार के पास भी आ गई है। वहां की म्युनिसिपेलिटी जो कांग्रेस के बहुमत का म्युनिसिपेलिटी है उन्होंने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि इस सारे कांड की जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये उस आधार पर भी और जो जनता ने मांग की है बार एसोशियेसन ने मांग की है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के अंदर जनता के लोगों को मारपीट की है, इतना होने के बाद भी उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं की जाती है, लोगों को बचाने की बात की जाती है तो यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस घटना की जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के विचार थे वे कल स्पष्ट रूप से और उग्ररूप से भी, सदन के सामने आ गये थे। मैं समझता हूं, सरकार उन पर विचार करेगी, कर रही है कि किस प्रकार कार्यवाही की जाय। सदन में ज्यादा बहस हो उससे समस्या का हल नहीं हो सकता। जहां तक माननीय सदस्यों की चिन्ता का प्रश्न है, काफी स्पष्ट तौर से व्यक्त हो चुकी है। मैं समझता हूं, उनका ध्यान रखते हुए सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं जानकारी करना चाहता हूं कि ए. एस. पी. को पुलिस लाइन्स में बुलाया गया है तो डी. आई. जी. की रिपोर्ट के आधार पर बुलाया गया है या सदन की भावनाओं का कद्र करते हुए

(श्री भैरोंसिंह)

बुलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : उनकी रिपोर्ट आई नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : फिर उनको किसलिये बुलाया ? सदन के सदस्यों की भावना का आदर करने के लिये बुलाया या रिपोर्ट के आधार पर; गवर्नमेन्ट क्लीयर तो करे।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट नहीं आई है। यहां मांग की गई थी उसको सस्पेन्ड करने की, इसलिये सरकार ने उचित समझा कि जब तक जांच नहीं हो तब तक उनको यहां बुलाना ठीक होगा इसलिये बुलाया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह सूचना मिली कि इस संबंध में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है। इस संबंध में भी मैं जानना चाहूंगा कि कितने दिन इसमें सरकार लगायेगी। आखिर कार डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी है; एक दिन, दो दिन या तीन दिन सरकार इसमें लगायगी ? कल भी इस बारे में बहुत सी बातें हुई मैं समझता हूं सब तरफ के विरोधी पक्ष के लोग जो इस तरफ बैठते हैं उन सब की मांग इस बारे में पर्याप्त होनी चाहिये। आखिरकार लोक-तंत्र की सरकार है, ब्रिटिश तंत्र का स्टील फ्रेम नहीं है। कल उप-मंत्रीजी जिस तरह होम मेम्बर ऑफ वाइसराय ज एग्जीक्युटिव कौंसिल की तरह से उच्च कर्मचारियों को शील्ड कर रहे थे। जब आपने दो कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया है, मुअत्तिल किया है, मैं समझता हूं, कोई वजह नही है ए०एस पी० को सस्पेन्ड नहीं किया जाय; करें न करें, लेकिन दो-तीन दिन के बाद डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से निर्णय निकाल कर सदन को सूचना नहीं दें, आखिर हम लोग खिलवाड़ तो नहीं करते हैं, चाइल्डिश अफेयर नहीं है, जिम्मेदार हैं. सरकार से मांग है, कुछ न कुछ करना चाहिये। यहां की ही नहीं नागरिकों की शान, ह्यूमन डिग्निटी के लिये भी निश्चित तौर पर यहां पर उत्तर देना चाहिये। यह कोई मखौल है ?

श्री रामकिशन (वैर) : कल प्रश्न उठा था; कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है, उसका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर की कोई रिपोर्ट अभी तक, आज तक, इस समय तक इस सेकिन्ड तक नहीं पहुंची है।

श्री भैरोंसिंह : कल आचार्यजी कह रहे थे कि वायरलेस के खम्भों से अवाज साफ नहीं आ रही थी।

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टर को सस्पेन्ड करने की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। कलेक्टर को कोन्टेक्ट किया गया।

दूसरी बात मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सदन की भावनाओं को देखते हुए, एक आई. पी. एस. आफिसर इसमें इन्वोल्वड है और उनके लिये रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स अलग हैं. इस बात को विरोधीदल के नेता जानते हैं और दूसरे सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि प्राइमा फेसी केस जब तक नहीं बनता तब तक कोई कार्यवाही नही हो सकती। इसलिये स्टेटमेंट देते ही इमीजियेटली डी. आई. जी. को यहां से रवाना कर दिया कि वे उस रिपोर्ट

Page No. 36

(श्री मथुरादास माथुर)

को लेकर पहुंच जावें। फिर भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए, that fellow has been called to be consigned to the police lines.

श्री भैरोंसिंह : वे आ गये हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : आर्डर दे दिया गया है। If he has not come, he will come today.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम इतना तो इन्डीकेशन होना ही चाहिये कि इतने दिन में कार्यवाही हो जावेगी। जब आपने दो पुलिस कर्मचारियों को इसी बिना पर सस्पेन्ड किया है तो तीसरे कर्मचारी को आपने सस्पेन्ड क्यों नहीं किया, primafacie of the ingredients जब वह दो दूसरे कर्मचारियों पर लागू होता है तो ए० एस० पी० पर भी वही रूल एप्लाई करता है। इस समय मैं इस संबन्ध में विशेष विवेचन नहीं करना चाहता लेकिन इतना ही कहूंगा कि सब बातों की हद होती है। इसलिये आप इसके लिये साफ साफ कहें कि कितने दिनों तक यह कार्यवाही चलती रहेगी और कब समाप्त हो जावेगी ? इसके बारे में आप सूचना दें। यह हमारा अधिकार है। इसलिये आप इस सम्बन्ध में जानकारी दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ए० एस० पी० वहां पर परमानेन्ट पोस्ट पर नहीं है। वे वहां अन्डर ट्रायल काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर अन्डर ट्रायल ए०एस०पी० कोई नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अन्डर ट्रेनिंग है। अन्डर ट्रायल नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो उत्तर सरकार की ओर से दिया गया है उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि राजस्थान सरकार इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराना नहीं चाहती है...

श्री मथुरादास माथुर : एब्सोल्यूटली नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा कि एब्सोल्यूटली नहीं, यह तो हम जानते ही हैं। यदि आप गृह मंत्री होते, मगर बदकिस्मती यह है कि आप होम मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I can reply on behalf of the Government. There is no question of Home Minister or no Home Minister. I am replying on behalf of the Government.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I take as a reply of the Government.

लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में पहले भी ५ या ७ साल पहले २६ जनवरी को इसी प्रकार की पुलिस के कर्मचारियों ने कार्यवाही की थी मगर हमारी सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और तीन साल के बाद में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने उन अधिकारियों को सस्पेन्ड किया।

एक माननीय सदस्य : वहां पर सुबाणा कांड भी हुआ था।

श्री मानिकचन्द सुवाणा : सुवाणा कांड की घटना हुई वह सब हमारे सामने विद्यमान है। यह तो हम भली-भांति जानते हैं कि कोई आदमी जुर्म करता है तो उसमें पहले सी आर०पी०सी० की जांच होती है। इसमें आप क्या हमें प्रिविलेज देते हैं। जगह जगह पर गलत तरीकों से एटेचमेंट और कुर्कियें की जाती हैं और पोलिटिकल और राजनैतिक आधार पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। उस व्यक्ति के २१०० रुपये माइनिंग विभाग में बाकी हैं। जबकि आप उसके खिलाफ ३०० रूपये की कुर्की निकालते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि उसके फलस्वरूप उस व्यक्ति के ७ टांके आये। पुलिस बदतमीजी से उसके साथ पेश आई। और जब एडवोकेट जो उसकी सहायता करने के लिये आता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी पुलिस ने पीट डाला। इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जावे और अगर सरकार इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करती है और ए. एस. पी. को सस्पेन्ड नहीं करती हैं तो हम इसके विरोध के फलस्वरूप सदन से बहिर्गमन करते हैं। हम यह चाहते हैं कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की केडर के व्यक्ति द्वारा करवाई जावे और सदन समाप्त हो उससे पहले पहले इसका निर्णय किया जावे। इसके विरोध स्वरूप हमारी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजो सुनलें। भूतपूर्व गृह मंत्रीजी ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। आपने बताया कि आई. पी. एस. के रूल्स अलग से बने हुए हैं, आर पी०एस० के अलग हैं और जो सबोर्डिनेट सर्विसेज के लोग हैं उनके लिये अलग रूल्स हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सर्विस एण्ड कन्डक्ट रूल्स सब पर लागू होते हैं। आपने उसके अनुसार कुछ लोगों को सस्पेन्ड कर दिया। उसके अनुसार कोई भी चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक किसी भी व्यक्ति को आप सस्पेन्ड नहीं कर सकते जब तक उसके खिलाफ प्राइमा-फेसी केस नहीं बनता हो। आपने उसको सस्पेन्ड किया है इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस एस्टेबलिश हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने उनको सस्पेन्ड किया है क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है और इस तीसरे आफिसर के खिलाफ प्राइमाफेसी केस की रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिये हमने सदन की भावनाओं की कद्र करते हुए डी० आई०जी० को डिस्पेच किया है। फिर भी जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमने इसमें; we have called to Police Lines- इससे ज्यादा हम सदन को भावना की कद्र नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है वह बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट को जो इत्तला दी थी उसमें ए०एस०पी० भी शामिल हैं। आपने कल वायरलेस के लिये कहा था कि वायरलेस नहीं पहुंचा। हमने इन्क्वायरी की तो मालूम हुआ कि कलेक्टर ने सूचना दी है। प्राइमाफेसी केस बन कर आ गया है। इसलिये जिन मुद्दों पर दूसरे कर्म-

(श्री भैरोंसिंह)

चारियों पर जुर्म कायम किया गया है वही ए०एस पी० पर भी लागू होता है

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारी पार्टी भी सदन से बहिर्गमन करती है।

श्री हीराभाई : अगर कोई पुलिस का अधिकारी खुद किसी को मारपीट करता है तो उसको तो फौरन तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिये। जब आप दूसरे लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराते हैं तो ...

(शोरगुल)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमें सदन से बहिर्गमन करना पड़ता है। जब जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की जाती है तो यह जवाब दिया जाता है सरकार की तरफ से कि जुडिशियल नहीं कराई जावेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह माननीय अध्यक्ष पर है। अध्यक्ष महोदय अगर चाहें तो राज्य सरकार से........

(सर्व श्री हीराभाई और बाढ़दार दोनों एक साथ बोलते रहे एवं तदनन्तर बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य समझते नहीं हैं क्या ? कौनसी लीगल पोज़िशन ऐसी है जिसमें अध्यक्ष को इस प्रकार का अधिकार है और मैं यह कहूंगा कि इस तरह से गैर जिम्मेदारी की बात माननीय सदस्य को नहीं करनी चाहिये। मुझे खेद है कि इतने सख्त शब्द मुझको कहने पड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि अध्यक्ष सारा कर सकते हैं। हमारे यहां पर हर एक की अलग अलग पोजिशन है, स्पीकर की, गवर्नमेंट की इसलिये हर एक बात पर कमेन्ट्स करना, मैं उचित नहीं समझता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से यह कहूंगा कि भीलवाड़ा के पीछे इस प्रकार की घटनाओं के लिये बहुत लम्बा चौड़ा इतिहास है। हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसा सुराणाजी ने कहा कि २६ जनवरी को पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुए है मैं यह कहूंगा कि मेरे साथ भी वहां के एस पी० दत्ता साहब ने पिटाई की और उस कारण से सस्पेन्ड हैं। मुझे १८ दिनों तक अन्डर ट्रायल रखा और इस तरह की लोगों के साथ बहुत घटनाएं होती हैं ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सयम से बोलें। यह बात आपने कई दफा बताई है। कोई नई बात हो तो आप बतावें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सुवाणा में भी गोली-कांड हुआ और उसकी रिपोर्ट अभी तक सदन की मेज पर नहीं रखी गई।.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारी सरकार इस तरह की हो सकती है तो मैं यही कहता हूं कि ऐसी सरकार को जितना जल्दी हो भगवान खत्म करे। आपने फरमाया कि डी०आई०जी वहां पर गये हैं वे अपनी रिपोर्ट देंगे। मगर आपने इस बात को तो स्पष्ट मंजूर किया है कि ए०एस०पी० मारपीट में थे।

श्री मथुरादास माथुर : मंजूर नही किया है, यही तो बात है। उन्होंने मंजूर नहीं किया कि वे मारपीट में थे।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : लेकिन ग्राई. पी. एस. ग्राफीसर्स के साथ यह भावना लेकर ग्राप विशेष रियायत करते हैं तो मैं सूचना देता हूं कि ग्राई. पी. एस. ग्राफीसर्स ग्रौर दूसरे ग्राफिसर्स में एक प्रकार से भेद की भावना, एक दूसरे से ग्रलग समझने की प्रवृत्ति चल रही है. उसको ग्राप प्रोत्साहन देंगे ग्रौर इसका दूसरे ग्राफीसर्स पर ग्रौर जनता पर बड़ा बुरा ग्रसर पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के दिल में ग्राई. पी एस, ग्राफिसर्स के लिये कोई सोफ्ट कोर्नर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ग्राई. पी. एस. ग्राफीसर्स के खिलाफ एक्सन लिये हैं, उन्हें सस्पेन्ड किया है, डिस्मिस किया है। सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि कितने ग्राई.पी.एस. ग्राफीसर्स को सस्पेण्ड किया डिस्मिस किया, डिमोट किया तो, ग्राई. पी.एस. ग्राफिसर कोई खुदा नहीं है। इनके खिलाफ भी कोई चार्जशीट एस्टेब्लिश होगी तो देंगे, राजस्थान सरकार ने ग्राई. पी. एस. ग्राफीसर्स को चार्जशीट दी हैं ग्रौर भविष्य में भी ऐसी स्थिति होगी तो देंगे। तो ग्रापके दिमाग में जो यह शंका है कि ग्राई. पी. एस. ग्राफीसर्स के साथ रियायत की जाती हैं इसको निकाल देना चाहिये। इनके खिलाफ जो रिपार्ट हमारे पास ग्राई है उसमें इनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश होकर नहीं ग्राया है। जांच के लिये डी. ग्राई. जी. को फौरन डिस्पेच किया गया है ग्रौर ग्रगर इनके खिलाफ प्राइमाफेसी एस्टेब्लिश हो गया तो सस्पेन्ड किया जायगा। इनको लाइन में बुला लिया गया है। ग्रब क्या सदन चाहता है कि हमें डिक्टेट ही करे कि हम उसको सस्पेन्ड ही करें। प्राइमाफेसी इनके खिलाफ एस्टेब्लिश हो जायगा तो जरूर सस्पेन्ड किया जायगा ग्रौर ग्रगर नहीं हुग्रा तो सदन में चाहे कितने ही जोरों से कहें हम कानून के खिलाफ नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्राइमाफेसी एस्टेब्लिश होने के लिये क्या सरकार यह पर्याप्त नहीं समझती कि किसी सीनियर ग्राफीसर की मौजूदगी में पब्लिक के लोग गाली निकालें उसका बदला निकालने के लिये मातहतों से उनको पिटाये, जुर्म करे। किसी सीनियर ग्राफीसर की मौजूदगी में इस प्रकार का जुर्म करना क्या प्राइमाफेसी के लिये पर्याप्त नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह हाइपोथेटिकल है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब इस पर बहस करना ग्रावश्यक नहीं है। सरकार की तरफ से तथ्यों के ग्राधार पर स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सदन में डी. ग्राई. जी. की रिपोर्ट ग्रायेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं ग्रायेगी, पर जो एक्शन लेंगे उसकी इतला सदन को दी जायगी।

(६.३५ म० पू०)

मांग संख्या १८, ४० व १६ -कृषि, कृषि उन्नति ग्रौर ग्रन्वेषण की योजनाग्रों पर पूंजी की लागत व पशु-पालन

श्री ग्रध्यक्ष : मांग संख्या १८ व ४०

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४५,५७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): माननीय अध्यक्ष, दो मांगें और हैं उनको भी प्रस्तुत कर देता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,८५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशु पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८०,७२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री गिरधारीलाल व्यास (बासीन्द): (१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन योजना के मुवाफिक नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १९

(२) मांग १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु पालन विभाग द्वारा जानवरों की बीमारियों की समय पर रोकथाम करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

श्री केसरीसिंह (पाली) : (३) Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by Rs. 1/- [to discuss the inefficient implementation of seed multiplication programme].

मांग संख्या १९

(४) Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupee one [to discuss the inefficient implementation of schemes to improve the cattle livestock in the State].

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : (५) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु—पालन विभाग में सुचारू रूप से कार्य न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री सागरमल (फुलेरा) : (६) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में

[श्री सागरमल]

१) रु० की कटौती की जाय (फुलेरा में एक ही स्थान पर दो पशु-चिकित्सालय खोलने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री जयलाल (डग): ७-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (फसल सम्बन्धी बिमारी की रोकथाम में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

८- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन कार्यों में धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु ।

मांग संख्या १८

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): ९- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि विभाग में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १०--मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन में हुई गिरावट के कारणों पर विचार करने के लिये) ।

मांग संख्या १६

११-मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुधन के ह्रास के कारणों पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना): १२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि के आधुनिक साधनों का प्रदर्शन व प्रचार पूर्ण रूपेण न होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : १३ Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by Re. 1/- [to discuss the failure of the Government to provide better agricultural impelements to the farmers].

मांग संख्या १६

14. Demand No. XIX, Major Head 33-Animal Husbandry be reduced by rupee one [to discuss the deterieration of Nagauri breed bullock].

मांग संख्या ४०

15. Demand No. XL, Major Head 95-Capital Outlay on schemes of Agricultural improvement and Research be reduced by rupee one [to discuss that the Government has failed in boring tube wells in Nagaur District].

मांग संख्या १६

श्री सांवलियाराम (रूपवास) : १६-मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (मवेशियों के

[श्री सांवलियाराम]

पालने में सरकार की ओर से सहायता नहीं देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा : १७- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि कार्य में सहयोग न दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

१८- मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग में शिथिलता दूर किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): १९- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (उन्नत बीज व खाद पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान न देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

२०-- मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (जिला झालावाड़ में मावली नस्ल की गायें व बैलों पर ध्यान न देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : २१- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला में कृषि विभाग की ओर से समय पर दवाइयां वितरण करना आदि की अव्यवस्था होने से फसलों को भारी नुकसान पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

२२-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला में पशुओं की बीमारी का समय पर इलाज न होने से हजारों की मृत्यु पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): २३-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की बीज एवं खाद वितरण में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : २४- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (गिरवा क्षेत्र में अधिक अन्न उपजाने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १९

२५-- मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (नस्ल सुधार के कार्य में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

२६--मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु-पालन के लिये दवाइयों और चराई की कमी पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : २७-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (कृषि उपज की गिरावट एवं प्रति एकड़ कम उपज पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

२८—मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १००) रु० की कटौती की जाय (विभागीय अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : २६--मांग सख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाने की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

३०— मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन कार्य की उपेक्षा पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री नाथूराम करौल (चाकसू) : ३१--मांग सं० १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (काश्तकारों को समय पर तकाबी वगैरह न मिलने पर बहस करने हेतु) ।

३२--मांग सं० १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति चाकसू व सांगानेर जिला जयपुर के ग्रामों में भू-संरक्षण (Contour Bunding) कराने पर भी अधिकारियों द्वारा Completion Certificate न देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० ४०

३३-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १)रु० की कटौत की जाय (जमवा रामगढ़ में ट्यूब-वेल्स बनाने में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली):३४-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में १)रु० की कटौती की जाय (बीज व खाद का वितरण समय पर न होने पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० ४०

३५-मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ६५ -कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १ रु० की कटौती की जाय (जल कूपों के बोरिंग की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

३६-मांग स० १६, मुख्य शीर्षक ३३ -पशुपालन में १)रु० की कटौती की जाय(पशुओं की नस्ल सुधारने के उपायों पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री रामकिशन (वैर):३७-मांग सं०१८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में १)रु० की कटौती की जाय

[श्री रामकिशन]

(कृषि उन्नति में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु

मांग संख्या ४०

३८-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (नल कूपों के लिए अनुदान की राशि के वितरण की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १९

३९-मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३३-पशु पालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग की असफलताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ४०-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (Contour Bunding) में किये जा रहे फिजूल खर्च में कटौती करने पर बहस करने हेतु)।

४१-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा Accelerated assistance में प्राप्त २.५० करोड़ की धनराशि का उपयोग न करने पर बहस करने हेतु)।

४२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में कृषि अधिकारी मुकर्रर न करने पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० ४०

४३-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कुओं को गहरा करने में सरकार द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १९

४४-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (घुमक्कड़ पशुपालकों को बसाने की योजना को शीघ्र कार्यान्वित न करने पर बहस करने हेतु)।

४५-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १००) रु० की कटौती की जाय (भेड़ पालकों के लिये Sufficient चारा न मिलने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० ४०

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : ४६-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जमवारामगढ़ बन्ध में पाताल तोड़ कुवे बनाने पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : ४७-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उन्नति के लक्ष्य को पूरा न कर सकने पर बहस करने हेतु)।

[श्री चन्द्रसिंह वर्मा]

मांग संख्या ४०

४८-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार ट्यूब वैल्स द्वारा सिंचन कार्यों में असमर्थ रही है, पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा [रायसिंहनगर] : ४९-मांग सख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (पैदावार बढ़ाने में सरकार की पूर्ण असफलताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० ४०

५०-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार ट्यूब वैल्स द्वारा सिंचन की सहूलियत प्रदान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रही है इससे पैदा स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १९

५१-मांग संख्या १९, मुख्य शिर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन की योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार की गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ५२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (बून्दी जिले में लाखों एकड़ भूमि को काबिल काश्त बनाने पर बहस करने हेतु)।

५३-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में गिरावट पर बहस करने हेतु)।

५४- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (पाटन तहसील में खाद की कमी से भूमि के ऊसर होने के खतरे पर बहस करने हेतु)।

५५- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम सेवक प्रशिक्षणों पर होने वाले खर्च के गलत तरीकों पर बहस करने हेतु)।

५६- मांग सख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (बून्दी जिले के कृषि विभाग द्वारा दी गई लाखों रुपये की तकावी बीज खाद की वसूली नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

५७- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन में गिरावट पर बहस करने हेतु)।

५८- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (सघन खेती के कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को कम करने के तरीकों पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० ४०

५९- मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की

[श्री हरिप्रसाद शर्मा]

कटौती की जाय (देहाती क्षेत्रों में नल कूपों के अभाव पर बहस करने हेतु) ।

६०- मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि शिल्प शाला के नाम होने वाले अनावश्यक खर्च पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

६१- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (केशवराय पाटन तहसील में मवेशियों के अस्पताल की आवश्यकता आदि पर बहस करने हेतु) ।

६२- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय नस्ल सुधार के कार्य में सरकार की अकर्मण्यता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ६३- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

६४- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (खेती की पैदावार में कमी सरकार की गलत प्रणाली के कारण हैं इस में परिवर्तन की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० ४०

६५- मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में ट्यूब-वैल्स बनाने के लिए अधिक औजारों की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

६६- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा राज्य में पशुधन की ओर उचित ध्यान न देने पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ६७- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (सांचोर एवं रानीपाड़ा क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए गत सालों में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० ४०

६८-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सांचोर में नल कूपों के शीघ्र बोरिंग कराने के औचित्य पर बहस करने हेतु)।.

६८ मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सांचोर में नल कूपों के शीघ्र बोरिंग कराने के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

[श्री रघुनाथ विश्नोई]

मांग सं० १६

६९– मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३– पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (सांचौर में घुम्मकड़ जाति पशुपालक योजना लागू करने पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री चौसरसिंह बावेल [बेंगू] : ७०– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (प्रदर्शनी तथा मेलों में अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

७१—मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उन्नति पर खर्च होने वाली राशि के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

७२–मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ –कृषि में १) की कटौती की जाय (कृषि शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० ४०

७३–मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५– कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कुओं को गहरा कराने के सम्बन्ध में खर्च होने वाली राशि की अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

७४–मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५– कृषि उन्नति और अन्वेषण, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (मशीनरी पर खर्च की जाने वाली पूंजी की लागत पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १६

७५–मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३– पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु-चिकित्सालय तथा औषधालय पर खर्च की जाने वाली राशि के अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

७६—मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३ पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु-चिकित्सा सम्बन्धी अन्वेषण पर खर्च होने वाली राशि में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ७७– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

७८– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (स्थानीय खाद साधनों के विकास में ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

७९– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम तालाबों के विकास के लिए दी जाने वाल रकम के वितरण पर बहस करने हेतु]।

[श्री उमरावसिंह ढाबरिया]

८०- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय [खाद व बीज के वितरण में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

८१-- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र भूमि की जांच पर बहस करने हेतु ।

८२- मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १ रु० की कटौती की जाय (गन्ने की खेती में सुधार पर जाने वाली सहायता में अपव्यवस्था पर बहस करने हेतु ।

८३ मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य स्तर पर अधिक अन्न व गन्ना, कपास की उपज पर इनाम देने की योजना पर बहस करने हेतु) ।

८४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि मे १ रु० की कटौती की जाय [फसलों में लगने वाले कीड़ों से फसल को बचाने के लिए चलते-फिरते विभाग की नियुक्ति पर बहस करने हेतु]।

८५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १०० रु० की कटौती की जाय (स्थानीय खाद बनाने के साधनों के लिए दी जाने वाली रकम के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

८६-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) की कटौती की जाय [कृषि शिक्षा मद में की गई २८,००० रु० की कमी पर बहस करने हेतु]।

८७-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में १) रु० की कटौती की जाय [बैलों के लिये किसानों को दी जाने वाली तकाबी पर बहस करने हेतु]।

८८-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय [प्रशासन पर होने वाले खर्च के औचित्य पर बहस करने हेतु]।

मांग सं० ४०

८९-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय [कुओं को गहरा कराने के लिए दी जाने वाली रकम के बटवारे व उपयोग पर बहस करने हेतु]।

९०. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १०० रु० की कटौती की जाय [भीलवाड़ा जिले में जल कूपों के निर्माण में अपव्यवस्था पर बहस करने हेतु]।

मांग सं० १६

९१. मांग संख्या १६. मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १०० रु० की कटौती की जाय [भीलवाड़ा जिले में दो चलित पशु-चिकित्सालय खोलने पर बहस करने हेतु]।

मांग सं० १८

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : ६२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला स्तर पर प्रदर्शन व किसानों के शिक्षण के लिए कृषि फार्म सरकार द्वारा खोले जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

६३- मांग सं० १८, मु० शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को तीन माह की अवधि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

६४- मांग सं० १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों का हर साल बैच (Batch) अमेरिका व रूस आदि देशों में प्रशिक्षण व उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

६५- मांग सं० १८, मु० शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में जिन २ जिलों व तहसीलों में कुओं से सिंचाई होती है उन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से सरकार द्वारा सस्ती बिजली पहुंचाई जाकर कृषि उन्नति के लिए किसानों को सिंचन सुविधा देने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु ।

६६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को पम्पिग सैट व बिजली के कुओं में मोटर लगाने के लिए पूरा खर्चा, तकाबी व अनुदान के रूप में प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० ४०

६७-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला अलवर में तेल के कुए बनाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु] ।

६८-मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति रैनी व राजगढ़ जिला अलवर के ग्रामों में कुवे गहरा कराने में सरकार द्वारा की गई देरी पर बहस करने हेतु) ।

६९- मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति राजगढ़ व रैनी के ग्रामों में जहां मैदानी इलाका है तथा कुवों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, वहां पर बोरिंग मशीन रियायती दरों पर सरकार द्वारा शीघ्र भीजवाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : १००--मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १ रु० की कटौती की जाय (राजस्थान भूमिगत जलबोर्ड में खर्च में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

१०१- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय

Page No. 50

[श्री गोकुलप्रसाद शर्मा]

(कृषि वर्कशॉप के हेतु जो खर्चा की राशि रखी गई है उसे कम करने पर बहस करने हेतु) ।

१०२– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (नवीन व्यय में कमी किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१०३-- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (अन्य प्रकार के खर्चा में राशि अनावश्यक काफी ज्यादा है, उसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१०४– मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (अनुदान व अंशदान की राशि के वितरण व्यवस्था ठीक किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

१०५-- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (नवीन मद में खर्चा के लिए रकम दिखाई गई है उसमें काफी फिजूल खर्ची है, उसे कम करने पर बहस करने हेतु) ।

१०६– मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में जो राशि अब तक खर्चा की गई है उसके अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है. इसमें सुधार किये जाने व खर्च की कमी करने पर बहस करने हेतु) ।

१०७-- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (माया पर जाति के पुनर्वास के ऊपर योजना व योजना भिन्न पर होने वाली राशि बहुत अधिक है, कार्य नहीं हो रहा है, इसकी फिजूल खर्ची को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

१०८– मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को जो अनुदान दिया जाता है वह बहुत ही कम है ब-मुकाबले शहरों के, पर बहस करने हेतु) ।

१०६– मांग संख्या १६. मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को जानवरों के अस्पताल के लिए बहुत ही कम राशि दी गई है, इस पर बहस करने हेतु) ।

११ – मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १] रु० की कटौती की जाय (पंचात समितियों को देशी सांडो के अभिजनन व भरण-पोषण पर काफी कम रकम दी गई है, इस पर बहस करने हेतु) ।

१११– मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती जाय (पंचायत समिति क्षेत्रों में जानवरों के डाक्टरों के अभाव को पूरा किया जाय, इस पर बहस करने हेतु) ।

Page No. 51

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मांग संख्या १८

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा) : ११२- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ा एवं गोगुन्दा पंचायत समितियों में किसानों को समय पर खाद व बीज न मिलने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

११३- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में भेड़ों की बीमारी के रोक थाम पर बहस करने हेतु)।

श्री फतहसिंह (चोहटन) : ११४- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (बाड़मेर जिले पर पशुपालन विभाग द्वारा कोई योजना लागू करने में उत्पन्न उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : ११५- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिले में पशुपालन में सुधार करने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ११६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं का अभाव व उनके कार्यान्वित किये जाने में व्याप्त शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १६

११७- मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १००) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन योजना की प्रगति में व्याप्त शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ११८- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (खाद, अच्छा बीज आदि वितरण की योजना असफल रही, उस पर बहस करने हेतु)।

११६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्र के कृषि के लिए बिजली का साधन नहीं दिया गया, पर बहस करने हेतु)।

१२०- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १०० रु० की कटौती की जाय (गन्ने के उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक सुविधा देने पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १६

१२१-मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला अनुसार गायों की नस्ल जो रखीं वे सारी उपयुक्त नहीं है, इस पर बहस करने हेतु)।

Page No. 52

श्री तेजाराम गेहलोत (सोजत) : १२२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में नहरी क्षेत्र के अलावा गांवों में Experimental Boring कराने में मौजूदा सघन कृषि योजना को सफल बनाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

१२३-Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by Rupee one [to discuss the failure of the department to make a long term plan for those areas for improvement of agriculture where canal irrigation is not possible in the near future].

१२४-Demand No. XVIII, Major Head 31—Agriculture be reduced by rupee one [to discuss the failure of the department to make use of Technical and Senior Officers in the fields for showing the worth of experience and technical knowledge to improve Agriculture in Rajasthan].

मांग सं० १९

१२५-मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में स्थित पंचायत समितियों में दिये जाने वाले Buil Premium के दुरुपयोग को रोकने में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री मजलिसखां (कांमा) : १२६-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग द्वारा पशु नस्ल सुधार के उद्देश्य की पूर्ति न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : १२७- मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा विशाल धनराशि के व्यय करने के बाद भी सांड़ों की नस्ल में कोई सुधार नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : १२८-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुओं की बीमारी से सुरक्षा पर बहस करने हेतु)।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : १२९-मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (नस्ल सुधारने के लिए राठी नस्ल के सांड मंगवा कर सरकार द्वारा देने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : १३०- मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय पशुपालन अधिकारी का गांवों में समय पर दौरा नहीं होने से जनता में असंतोष पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १८

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): १३१-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ -कृषि में १) की कटौती की जाय (अन्य कृषि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

योजनाओं पर किये गये खर्चे में अलवर जिले को प्राथमिकता न देने पर बहस करने हेतु) ।

१३२-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान भूमि गत जल समिति के मद में जो खर्च किया जा रहा है उसमें असन्तोषजनक व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १६

१३३-मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु-पालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन विभाग के प्रशासन पर किये गये अधिक खर्च पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय): १३४-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ -कृषि में) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों की अनुदान दिये जाने के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

१३५-मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १ रु० की कटौती की जाय (सिकराय में पशु डिस्पेन्सरी (चिकित्सा) की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : १३६-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की भूमि आवंटन की प्रणाली कृषि विकास में घातक रही है, इस पर बहस करने हेतु) ।

१३७-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा कृषि में विशेष प्रकार का अन्न व फसल उत्पन्न करने के प्रति बन्ध पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

१३८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशुपालन के नाम पर जो भूमि पक्षपात पूर्ण ढंग से अलॉट की गई है और जिसका दुरुपयोग हुआ है, पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १८

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : १३६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन में कमी होने के कारणों पर बहस करने हेतु) ।

१४०-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गलत प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप चालू वर्ष में कृषि उत्पादन में न्यूनता आने के कारणों पर बहस करने हेतु) ।

मांग सं० १६

१४१-मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा पशु धन के ह्रास को रोकने में असमर्थ रहने पर बहस करने हेतु) ।

[श्री हरदत्तसिंह]

१४२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन मे १००) रु० की कटौती की जाय (खानाबदोश पशु पालकों द्वारा पशु-धन व नस्लों की, की गई बर्बादी को रोकने में सरकारी निष्क्रियता पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : १४३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में १) रु० की कटौती की जाय (पशु-नस्ल के सुधार में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : १४४. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (खेती में प्रति एकड़ पैदावार गिरने से रोकने में सरकार की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

मांग सं० १८

१४५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि मे १) रु० की कटौती की जाय (खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए वर्तमान भूमिसुधार नाकाफी है, इससे भी तीव्रतर सुधार करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

१४६-मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (उचित मात्रा में कृषि की पैदावार नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

वैद्य श्री गोविंदसहाय (गंगापुर) : १४७-- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (कृषि की प्रगति के बारे में सरकारी कर्म-चारियों के असहयोग पर बहस करने हेतु)।

श्री अमरसिंह (दूदू) : मांग संख्या १८. मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील दूदू में कृषि उन्नति के प्रति सरकारी उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : १४९- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र कृषि शिक्षा देने में असफल रहे, इस पर बहस करने हेतु)।

१५०- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में प्रति एकड़ पैदावार पर बहस करने हेतु)।

श्री दलपतसिंह (आबू) : १५१ मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उन्नति के बारे में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

श्री नत्थीलाल (नदबई) : १५२ मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि पर सही खोजबीन न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : १५३. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला बांस-वाड़ा में कृषि के लिये बीज आदि सुविधा समय पर नहीं देने पर वाद-विवाद हेतु)

Page No. 55

श्री झुझारसिंह (चेचट) : १५४ Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by Re. one [to discuss the Soil Erosion Problem on Panchayat Samiti Sangod area of Kota District].

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : १५५- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (ट्राइबल ब्लॉक सीमलवाड़ा पंचायत समिति में कृषि कुओं पर अनुदान देने में विभाग द्वारा पक्षपात बरतने पर बहस करने हेतु)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : १५६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं, इस पर बहस करने हेतु)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : १५७- Demand No. XVIII, Major Head 31-Agriculture be reduced by Re. one [to discuss the failure of the Government to increase yield per acre in the Gang Canal area].

श्री मानसिंह महार (आमेर) : १५८- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि विभाग द्वारा कृषकों की कठिनाइयों को दूर करने में असफल होने पर बहस करने हेतु)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : १५६- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला चूरू में खेती के नये किस्म के औजार तथा रासायनिक खाद देने पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनराज (बाली) : १६०- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि उपज का पूरा मूल्य काश्तकार को ठीक समय पर प्राप्त हो सके, इस पर बहस करने हेतु)।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़) : १६१- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (शेखावाटी क्षेत्र में तालाबों के लिए दी जाने वाली तकावी में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

१६२- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (शेखावाटी क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु बिजली उपलब्ध न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : १६३- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषि द्वारा उत्पादन बढ़ाने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

१६४- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषकों को मिलने वाली सहायता की अव्यवस्था के बारे में बहस करने हेतु)।

१६५- मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में १) रु० की कटौती की जाय (कृषकों के आधुनिक यंत्रों एवं खाद बीज के विषय पर बहस करने हेतु)।]

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद) : अध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया गया है और पहली, दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में इस प्रकार से कृषि के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य किये गये हैं उनसे हमारे राजस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से उत्पादन के १९६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ के प्रस्तुत किये गये हैं उनसे भी मालूम पड़ता है कि पहली और तीसरी पंच वर्षीय योजना में किस प्रकार से खाद्यान्नों, तिलहन और कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे राजस्थान ने प्रगति की है। हालांकि ६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ के लक्ष्य बताये गये हैं उनमें कुछ कमी मालूम पड़ती है, पर इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हमारे राजस्थान में जो वर्षा का अभाव रहा जिसकी वजह से हमारे उत्पादन पर असर पड़ा। इस तरह से ५७ से ६१, ५८ से ६२ और ५९ से ६३ के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे पता चलता है कि है कि हमने समय समय पर हर साल खाद्यान्नों, तिलहन, कपास और गन्ने के उत्पादन में किस प्रकार प्रगति की है। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार खाद्यान्नों और दूसरी चीजों के उत्पादन के लिए प्लान रखे हैं उनकी वजह से हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है, हालांकि बहुत से ऐसे वर्ष हर दूसरे तीसरे साल निकलते हैं जिनमें वर्षाभाव के कारण राजस्थान में हम जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रगति हम करना चाहते हैं उस पर बुरा असर पड़ता है। ६२-६३ में इसका असर पड़ा, ६४-६५ में वर्षा न होने के कारण कितना असर पड़ेगा। तात्पर्य कहने का यह कि वर्षाभाव में हर साल कुछ न कुछ ऐसा एरिया रहता है जिसमें वर्षाभाव का पैदावार पर असर पड़ता है। फिर भी हमने प्रगति की है। जो रिपोर्ट पेश हुई, दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष से तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में हैं उसमें बताया है कि हमारे यहां से ३८५ लाख टन खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दूसरे वर्षों में भी वृद्धि हुई है। तकाबी, खाद, बीज आदि देने में भी सरकार ने वृद्धि की है। इन चीजों का राजस्थान के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें कृषि पर हम अपनी योजनाओं को प्रगतिपथ पर चलाते रहे तो राजस्थान ही सारे हिन्दुस्थान को खाद्यान्न दे सकता है। सरकार ने पहली दूसरी और तीसरी योजनाओं में कृषि का काम किया है, उससे काफी प्रगति हुई है, उत्पादन पर काफी अच्छा असर पड़ा है। हालां कि आंकड़ों के चक्कर में आकर लोग कहते हैं कि इस साल कम हुआ, इस साल ज्यादा हुआ, कभी कम बताते हैं, कभी ज्यादा बताते हैं। मैं उसमें न जाकर जैसा कि कृषि मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे राजस्थान में बहुत जगह बैरन लैंड पड़ी हुई है, उसका पर एकड़ ईल्ड पर असर पड़ता है मैं इतनी बात अवश्य निवेदन करूंगा कि हर वर्ष में सरकार ने कृषि के सम्बन्ध में कार्य किया है उससे कृषि की पैदावार बढ़ी है और राजस्थान बराबर प्रगति की राह पर चला जा रहा है। पर कृषि के सम्बन्ध में जो कमियां नजर आती हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, जो कृषि में बीमारियां पैदा होती हैं, उनके सम्बन्ध में साइंटिफिक रिसर्च के लिए अन्वेषण के सम्बन्ध में जगह जगह जिला हैड क्वार्टर्स पर अभाव है। जैसे मैं अपने इलाके एक गांव का उदाहरण रखूं,

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

कालिया ग्राम में तालाब की जमीन में जो काश्त की गई उसमें कीड़ा लग गया, ५०० बीघा में जो बीज बोया गया वह लट उस सबको खा गई। इसके सम्बन्ध में कृषि अधिकारी जो जिले में रहते हैं उनसे निवेदन किया था मगर उस पर कोई कार्यवाही न होकर एक प्रकार से बड़ा भारी नुकसान हुआ जिससे हजारों मन अनाज की पैदावार में काफी घाटा हुआ। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि हर जिले में, हैडक्वार्टर पर रिसर्च के सम्बन्ध में, दवाई के इस्तेमाल के सम्बन्ध में ऐसे अफसर नियुक्त होने चाहिये जनकी यह ड्यूटी रहे कि इस प्रकार की बीमारियां आवें, कमियां आवें उनका समय पर निदान करें और उनको दूर करें ताकि हमारी पैदावार में घाटा न आवे और वढ़ोतरी होती जावे।

इसी प्रकार से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर भीलवाड़ा जिले में आसींद और हुर्डा को कोटन पेकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लाया गया। उसमें कमी क्या रही? सरकार की ओर से सब प्रकार की व्यवस्था है। फील्डमेन, यंत्र, दवाइयां वगैरह प्रोवाइड की गई और जिस प्रकार का बीज दिया गया उससे काश्तकारों के अन्दर यह भावना फैली कि जिस प्रकार से सरकार योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। उनको बोने के लिए ६७.३ का बीज कपास का दिया गया था। अच्छा बीज नहीं था। उसमें काफी मिक्स्चर था जिससे १ बीघा में १०-११ मन कपास की पैदावार होती थी। वह घटकर इस वर्ष दो-ढाई मन बीघे की पैदावार ही रही इससे काश्तकारों में यह भावना पैदा हुई कि जिस प्रकार से सरकार बीज देती है, सरकार जिस प्रकार कपास के सम्बन्ध में आगे चलना चाहती है उससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान ही होता है। इसलिए खास तौर से सरकार को इस ओर ध्यान रखना चाहिये कि जो बीज वगैरह दिया जाय वह वाकई सही बीज हो, उसमें किसी प्रकार का मिक्स्चर न हो; गलत प्रकार से मिक्स्चर हो जाता है, वह न हो। यह अमूमन देखा गया है कि बीज की खरीद होती है वह इस प्रकार से होती है कि किसी फैक्टरी में चले जाते हैं; जो सेम्पल देखा और आंर्डर देकर बीज खरीद लिया जाता है बल्कि यह निरीक्षण नहीं किया जाता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, खराबी तो नहीं, जिससे काश्तकारों पर बुरा असर पड़ेगा।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य की पैदावार बढ़े और ज्यादा से ज्यादा काश्तकार सम्पन्न बनें तो हमारे सरकारी अधिकारियों पर जरा अंकुश लगाना होगा। हमारे अधिकारी विशेष तौर से ध्यान न रखकर गलत काम कर देते हैं जिससे बड़ा भारी असर पड़ता है। जिला-स्तर पर जो अधिकारी हैं; कलेक्टर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और दूसरे अधिकारी हैं, ६७.३ का कपास का बीज न देकर उसमें मिक्स दे दिया, खराब दे दिया, वह प्योर नहीं था; इस कारण काश्तकारों को हानि हुई, उसका मुआवजा काश्तकारों को मिलना चाहिये। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं थी सरकार के कहने से और उनके द्वारा देने से ही ६७.३ का बीज उन्होंने बोया और उससे उनकी पैदावार कम हुई।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो योजना हाथ में लेते हैं उसका पूरा समुचित प्रबन्ध

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

किया जाय और अच्छी तरह से पालन किया जाय तब ही ठीक तरह से हो सकता है। जो ९७ ३ का बीज हमारे यहां दिया गया था वह काफी मिलावट का था और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारे क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ। सरकारी अधिकारियों की यह धारणा बनी है कि उस तहसील में पैकेज प्रोग्राम नहीं रहना चाहिये, क्योंकि पैदावार कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आसींद तहसील में डेढ़-दो लाख मन कपास पैदा होता है और हर साल जो कपास काश्तकार बोते हैं उससे दो लाख मन पैदा होता है. यदि पैकेज प्रोग्राम को लच्चर तरीके से चलाया जायगा तो निश्चित रूप से वहां पैदावार में कमी हो जायगी। इसमें काश्तकारों का क्या दोष? उल्टा उनका नुकसान हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन अधिकारियों की गलती के कारण हमारे यहां पर पैकेज प्रोग्राम से बढ़ोतरी नहीं हुई और जो बाधायें पड़ी और पैदावार में कमी आई उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन न लेकर उस तहसील को उस प्रोग्राम से वंचित रखना कहां तक न्यायोचित है। यदि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कपास उत्पादन में दिलचस्पी ली जायगी तो अधिक से अधिक कपास पैदा होगा और पूरी तरह से हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में लोग सहयोग देंगे।

इसी प्रकार से पेकेज प्रोग्राम में स्टाफ नियुक्त किया है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर, फील्डमेन आदि की नियुक्ति समय पर न होने के कारण जिस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है, जिस प्लान को कामयाबी के साथ चलाना चाहिये था वह नहीं चलाया जा सका और जो टार्गेट्स थे वे पूरा नहीं कर सके और उनकी कमी के कारण बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। जहां दवाई वगैरह छिड़कने और इम्प्लीमेन्ट्स का सवाल है वह समय पर न होने के कारण काश्तकारों की शिकायतों का समाधान ठीक समय पर न कर सके, इस ओर भी अधिकारियों की ठीक तरह तवज्जोह दिलानी चाहिये।

कपास की पैदावार के लिए अर्ज किया कि बीज और खाद अच्छे समय पर मुहैय्या होना चाहिये जिससे कि प्रोडक्शन पर असर अधिक पड़े। बीज के सम्बन्ध में हमारे अधिकारी उतनी तवज्जोह नहीं करते जितनी कि होनी चाहिये. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट चीज़ यह है कि अच्छा बीज उपलब्ध करेंगे तो पैदावार पर अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन अधिकारियों का रवैया देखा गया है कि वे ज्यादा तवज्जोह न देकर इस तरह से कर देते है कि जिस प्रकार से कोई बेगार हो वैसा ही वे कर रहे हैं।

आज हमारे ए. ई. ओ. और ग्राम-सेवक और कृषि के अन्दर काम करने वाले अफसर हैं उनके अन्दर ऐसी भावना नहीं आयी है कि हमारे देश का काम है और हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है हमारा परम कर्तव्य है और उसे कर्तव्य समझ कर हमें करना चाहिये। ए. ई. ओ. ग्राम सेवक कॉलेज से पढ़ कर आते हैं, प्रेक्टिकल तजुर्बा उनको होता नहीं है। जिससे होता क्या है कि योजना हम बनाते हैं और जिस प्रकार वह कार्यान्वित होनी चाहिये वह होती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होता है और

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

वे तो स्कूल और कॉलेजों से भेज दिये जाते हैं जिससे गांव में रहने की उनकी इच्छा नहीं होती है, शहरी बाबू होते हैं उनको गांवों के प्रति स्नेह और सहानुभूति नहीं होती है। जो एक्स्टेन्शन ऑफिसर और ग्राम सेवक इस प्रकार से हैं उनको हर एक स्थान पर जहां जहां फील्ड्स गवर्नमेन्ट की तरफ से बीज वगैरह पैदा करने के लिए बनाये गये हैं वहां उनको साल छः महीने की ट्रेनिंग दी जाकर और उसके बाद में पंचायत समितियों में भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक यह निवेदन है कि पंचायत समितियों के अन्दर कृषि के सम्बन्ध में भी बजट एलॉट किये जाते हैं वह डिपार्टमेन्ट की ओर से मद वाइज कर दिये जाते हैं इससे पंचायत समितियों को किसी तरह का लाभ नहीं होता है। यह जो पंचायत समितियों को बजट अलॉट किया जाता है पंचायत समितियों पर ही निर्भर कर देना चाहिये। एग्रीकल्चर के संबन्ध में इब्तदाई अमाउन्ट दे देना चाहिये जिससे उसको जिस प्रकार से वे लगाना चाहें उसी प्रकार से लगा सके। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो पंचायत समितियां इसके सम्बन्ध में ज्यादा सोच कर काम करेगी।

इसी प्रकार से एनीमल हस्बेन्डरी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर जो पशुधन है उसकी ज्यादा से ज्यादा सम्हाल हो, इसको ठीक तरह से चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिये। क्योंकि काश्तकारों के लिए यह जीवन है। कृषि के साथ पशु धन का अच्छा होना आवश्यक है। यदि हम अपने पशुधन को ठीक रखेंगे तो कृषि में अधिक उन्नति होगी। इससे हमारे काश्तकारों की हालत भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए यह निवेदन है कि हमारे यहां पर जिस प्रकार से काम चलता है, हमारा पशुधन अच्छा हो, बलवान हो और ज्यादा से ज्यादा हम को उससे फायदा मिल सके। पशुधन की उन्नति के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनायें बनाई हैं और उनसे लाभ हुआ है। इनमें बहुत कमियां अभी हैं उनको दूर करना आवश्यक है। यदि हम पशुधन को हृष्टपुष्ट और बलवान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना होगा। आज जितने स्टॉकमेन वगैरह गांव में रखते हैं उनकी यह ड्यूटी होनी चाहिये कि वे बराबर हर क्षेत्र में जाकर मालूम करें कि किस किस गांव में कैसे पशुधन हैं, वहां पर किस किस प्रकार की उनमें बीमारी है और उनका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। यह बात आवश्यक जरूर है, मगर आज होता क्या है कि पंचायत समितियों में एनीमल हस्बेन्ड्री एक्सटेन्शन ऑफिसर होते हैं, वे पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर बैठे रहते हैं। वे पशुओं में फैल रही बीमारी की रोक-थाम के लिये कोई प्रत्यन नहीं करते है, उसमें रुचि नहीं लेते हैं जिस प्रकार एक डाक्टर होता है अपने बीमार में रुचि लेता है और किसी भी समय देखने के लिये तैयार रहता है चाहे रात हो या दिन, उस प्रकार से ये लोग रुचि नहीं लेते इस प्रकार की धारणा उनमें भी होनी चाहिये। बीमारियों को रोकने के बारे में सरकार ने प्रयत्न किया है, उनके टीके लगाने का अलग प्रबन्ध किया है और उसके लिये अलग स्टाफ भी प्रोवाइड किया है, जो हर पंचायत समिति वाइज जाकर देखते हैं। एनीमल हस्बेन्ड्री द्वारा एक क्रोड़ जानवरों के टीका लगाया

Page No. 60

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

गया है। लेकिन असल में आप जानकारी करें तो आपको पता चलेगा कि पंचायत समिति में जिस प्रकार से स्टाफ रहता है या जाता है उनके लिये जीप प्रोवाइड आप करते हैं, स्टॉकमेन वगैरह तो जाते हैं और वे अपना काम भी करते हैं ये जो आंकड़े उन्हीं के द्वारा दिये हुए ही हैं। सरकार की यह योजना है कि यह पार्टी गांव गांव मे जाकर टीके लगाये जानवरों के मगर हमारे यहां की जो पार्टियां इस काम के लिये जाती हैं वे सिर्फ जीप का दुरुपयोग ही करती हैं उसका फायदा बहुत थोड़ा मिलता है स्टॉक मेन और दूसरे कर्मचारी हैं वे तो काम पर बराबर रहते हैं, लेकिन जो डाक्टर्स आदि उनके साथ में जाते हैं वे जीप का दुरुपयोग करते रहते हैं।

डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जो अधिकारी रहते है उनको पशुओं की बीमारी की रोकथाम के सम्बन्ध में निगरानी रखनी चाहिए लेकिन वे निगरानी नहीं रखते इस सबन्ध में ठीक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये, अपने यहां के पशुधन को प्रबल करने के लिए विभाग द्वारा कई तरह की योजनायें रखी गई है। कहीं कहीं सान्ड देने का प्रबन्ध है और जहां खराब नस्ल के आलरेडी मौजूद है उनको बधिया करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। कई जगह आपके द्वारा सान्ड दिये हुए हैं लेकिन उनके खाने पीने की ठीक व्यवस्था न होने से वे खराब होते जा रहे हैं इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को प्रावधान करना चाहिए। हालां कि गांव के लोगों को कहा जाता है कि सांड को ज्यादा से ज्यादा पोषण दिया जाय और गांव के लोग कई कई जगह देते भी है, लेकिन कई जगहों पर नहीं देते हैं ऐसी स्थिति में सरकार को प्रबन्ध अवश्य करना चाहिए। अगर हम योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो जितनी पशुधन के संबंध में योजनायें बनायी है सरकार की तरफ से इनका प्रबन्ध होना चाहिये तभी हम जाकर इन योजनाओं को सफल बना सकते हैं।

मेरा एक निवेदन और है। आपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नस्ल कायम कर दी है, हमारे क्षेत्र में आपने गिर नस्ल को चालू किया है। वैसे गिर नस्ल जहां तक दूध देने का सवाल है, खराब नहीं होती लेकिन जहां बोझा ढोने का सवाल है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में पूर्णतया जांच कराई जाय कि कौन से क्षेत्र मे किस प्रकार की नस्ल कामयाब हो सकती है। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितनी योजनायें हमारी इस सम्बन्ध में है उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये और उचित कदम उठाने चाहिये।

जहां तक कॉटन का संबन्ध है फसल के संरक्षण का संबन्ध है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ, जो खेतीबाड़ी के संबन्ध में भी योजनायें हैं उनके लिए सफलतापूर्वक योजना बनानी चाहिये। इसके साथ साथ आप गावों में कुए खोदने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। हर पंचायत समिति को दस-बारह हजार की तकावी दी जाती है, उसमें मुश्किल से पांच-सात आदमी कुआ खोद सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस जगह ज्यादा धन देने की आवश्यकता हो वहां ज्यादा दिया जाना चाहिए और इस संबन्ध में पूरा प्रावधान करना चाहिये। जहां तक कुए खोदने का

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

संबन्ध है इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि कम्प्रेसर मशीन जिला वाइज अलोट की गई। हर जिले में मुश्किल से तीन चार कम्प्रेसर मशीनें दी जाती हैं इससे काम की पूर्ति नहीं होती इसके लिए मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति वाइज एक कम्प्रेसर मशीन प्रोवाइड करनी चाहिये। मेरा तो यह भी सुझाव है कि हर पंचायत समिति वाइज इस प्रकार से कम्प्रेसर मशीन का प्रोवीजन आवश्यक है जिससे हमारे काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा।

इसके साथ साथ हर पंचायत समिति में सीड फार्म होने चाहिये प्रोडक्शन के सम्बन्ध में कई प्रोग्राम होने चाहिये जिससे लोगों को कुछ मालूम पड़ सके, उन्नत औजार यन्त्र आदि की जानकारी किसानों को मिल सके। हर पंचायत समिति में इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये मुश्किल से एक दो जगह है उसको बढ़ाया जाना चाहिये। हर क्षेत्र में होना चाहिये कम से कम आसीन्द क्षेत्र में आसीन्द पंचायत समिति में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे लोगों को उन्नत बीज, उन्नत औजार आदि के तरीको की जानकारी हो सके जिससे कपास व तिलहन खाद्यान्न की पैदावार में वृद्धि हो सके। इसको मैं बहुत आवश्यक महसूस करता हूँ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हर पंचायत समिति में कम्प्रेसर मशीन होनी चाहिये और इसके साथ साथ एक ट्रेक्टर पंचायत समिति वाइज आवश्यक है। ट्रेक्टर्स द्वारा खेती संबन्धी ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बन सकता है। इसके साथ-साथ खाद लाना बीज लाना, आदि के उपयोग में भी वह आ सकता है, इस प्रकार का प्रावधान हर पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्दर हो जाय तो खेती के विकास के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है।

श्री केसरीसिंह (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और पशु-पालन के संबन्ध में चार पांच बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़े उसके लिये जो जो बातें मेरे ख्याल से आवश्यक हैं वे मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ।

नई जमीन तोड़कर उस पर खेती की जाय तो खेती की पैदावार बढ़ती है। जो जमीन खेती के नीचे है उन पर खेती-बाड़ी की प्रोड्यूस बढ़े उसके लिए एक तो यह जरूरी है जिसकी जमीन है उसको यह पूरा विश्वास हो कि वह जमीन उसी के पास रहेगी तो वह अपना पैसा जिस तरह से भी हो लाकर लगा सकता है और उसकी पैदावार को बढ़ा सकता है। इस तरह से सर्टेन्टी ओफ टेन्योर बहुत जरूरी चीज है।

दूसरी चीज है; 'बेटर नो' हो, अच्छी जानकारी हो कि किस तरह से खेत में उन्नत किस्म का बीज, उन्नत तरीके के औजारों का उपयोग कर, ज्यादा साइन्टिफिक मेथड द्वारा पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इसके बारे में किसान को सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। यह भी पैदावार में बढ़ोतरी के लिये बहुत आवश्यक है।

[श्री केसरीसिंह]

तीसरी चीज है जहां 'बेटर नो' हो उसके साथ साथ जो जो चीजें खेती की उपज के लिये आवश्यक है वे चीजें उसको वहीं पर उपलब्ध हो या उसके आसपास हो यह भी बहुत आवश्यक है।

चौथी चीज जो आवश्यक है वह है पैसे की। जिस जिस चीज के लिए पैसे की आवश्यकता हो वह उसको तुरन्त उपलब्ध हो और वह भी समय पर उपलब्ध हो जिससे कि इन चीजों को काम में ले सकें।

(१०.०० म० पू०)

इस विषय में पहली बात है। इसमें आपकी नीतियों की आलोचना नहीं करूंगा। पर जो लैंड रिफॉर्म्स आपने किये हैं उनके बारे में केन्द्र के श्री पंजाबराव देशमुख ने जो कहा है मैं उसी को अर्ज कर देता हूँ: Nothing but horn has come on of it. उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। आप अब इसे मन्जूर करें या न करें पर यह वस्तु-स्थिति है। आज जिन किसानों को यह भरोसा नहीं कि ये जमीनें हमारे पास रहेंगी भी या नही, तब तक आप उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे उन जमीनों में इन्वेस्ट करेंगे आपने सीलिंग में अच्छे फार्मों के लिये एग्जेम्पशन रखा है। पर फिर भी किसानों का सटेन्टी ऑफ टेन्यार नहीं रहेगा, जब तक आप कॉन्स्टीट्यूशन में इसके लिए प्रोवीजन न कर दें।

अब मैं आपके ''बेटर नो हाऊ' के बारे में निवेदन करूं। पहले तो इसमें एक्सटेन्शन ऑफिसर है, ग्राम सेवक है, डी. एल. ओ. हैं इनके द्वारा 'बेटर नो हाऊ'' काश्तकार तक पहुँचता है। आपके इस स्टाफ में जितने योग्य आदमी होने चाहिये उतने नहीं हैं। कोई है ही नहीं, यह मैं नहीं कहता पर बड़ा परसेन्टेज इनमें ऐसा है जो योग्य नहीं है, काश्तकारों को नई नई चीजें और तरीके बताने में। अब जब से पंचायत समितियां बनी हैं, तब से तो डी. एल. ओ. अपने को इसके लिये इतना जिम्मेदार भी नहीं मानता, जितना पहले मानता था। इसलिए 'नो हाऊ' का काम जैसा होना चाहिये वह नहीं हो पाता।

अभी यहां डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग में आये तो उनसे बात-चीत हुई, उनसे बातचीत के दौरान यह जानकर दुख हुआ कि अधिकांश उन लोगों की तनख्वाएं ही रेगुलर नहीं मिलतीं, और इस कारण से दौरा करने के लिए उनके पास रकम नहीं रहती। यह सत्य है। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

यह सही है कि जितने साइन्टिफिक तरीके है और जो विभाग वाले काश्तकार को बतलाते हैं वे बेशक पैदावार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। पर एक तो वे अधिकांश में इतने योग्य नहीं, दूसरा जब तक काश्तकार को प्रत्यक्ष में करके नहीं बताते वह उसके अनुसार चलने में बहुत झिझकता है तो इसलिये आपको अपने फार्मों में डिमोन्सट्रेशन के द्वारा यह बात उनके गले उतरनी चाहिये। डिमॉन्स्ट्रेशन आप करते हैं, नहीं करते यह बात नहीं कहता पैकेज प्रोग्राम मेरे यहां पाली जिले में चल रहा है।

एक काश्तकार पहले भी बोता था और अच्छे से अच्छी उपज पैदा करने की कोशिश

[श्री केसरीसिंह]

करता था। लेकिन एवरेज काश्तकारों के खेतों पर जो हम कहते हैं कि पैदावार उनकी भी बढ़े और इसके लिये तरीके बताते हैं तो वह काश्तकार भी चाहता है कि बढ़े पर आपकी बातों पर उसको तब तक भरोसा नहीं होता जब तक कि वह आप के डिमान्स्ट्रेशन को हर पाइन्ट ऑफ व्यू से इकोनोमिकली और दूसरी तरह से देख न ले, आपके तरीकों को अपनाने से हिचकता है। तो हम अपने फार्मों में डिमांन्स्ट्रेशन देकर कम्पेअर करके फायदा प्रत्यक्ष न बता दें, तब तक असर नहीं हो सकता।

सीड है, फर्टीलाइजर है, इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हैं उन चीजों की सप्लाई के बारे में भी मैं अर्ज करता हूं। आपने कहा कि सीड हम ½ एरिया को सेचुराइज्ड करेंगे। यह स्कीम आठ-दस साल से चल रही है लेकिन अभी तक सारा एरिया सेचुराइज्ड हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसके लिये भी कोशिश नहीं करते. ऐसा नहीं कहता। पर देखने में यह नहीं आता आपके हिसाब से तो आज तक सब हो जाना चाहिये। कारण इसके अब आप जानें

दूसरी चीज है गवर्नमेन्ट के सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म्स हैं वे घाटे में चलते हैं ज्यादातर। इसके मुख्य दो कारण हो सकते हैं--या तो अफसर अयोग्य हैं, या जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे उपलब्ध नहीं कराते आप इनको। आप प्लानिंग की बड़ी हिमायत करते हैं। पर करते क्या हैं? अस्सी-सौ जितनी जगह चाहिये उतनी जगह जो रुपया आपने इनके लिये रखा बराबर बांट कर दे देते हैं। पर यह नहीं सोचते कि फलां जगह उबड़ खाबड़ है, खराब है उसके लिये स्पेशल फण्ड चाहिये। तो अलग अलग फार्मों की क्या स्थिति है. क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार सोच कर आप फण्ड नहीं देते। केवल रुपया हिस्सेवार बांट देते हैं। आप डी. ओ. से एक लाख रुपया खरीद लेने का प्रोवीजन कर देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में नहीं हिचकते, पर अगर बिजली का मीटर कहीं जल गया और उसके बिना सारा काम ठप्प हो गया तो वह ३००) रु० खर्च नहीं कर सकता अपनी तरफ से। यह अधिकार आपने उसको नहीं दिया। तो इस तरह जो फण्ड इमीजिएटली और टाइमली अवेलेबल होना चाहिये वह नहीं होता और इसकी बिना पर नुकसान हो जाता है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं। अफसर अयोग्य हों या साधन पूरे न हों। अब आप स्वयं घाटे में जाते हैं तो किसान से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे आज के इन आपके साइन्टिफिक तरीकों को बिना झिझक अपना लें। वे आपको देखते हैं।

अब डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है। आप पंचायत समितियों या कोऑपरेटिव सोसायटियों के मार्फत कराते हैं। इसमें एक दिक्कत यह होती है कि जब सीड के लिये पंचायत समिति को आप पैसा देते हैं तो उसी दिन से ब्याज लगा लेते हैं और सीड देर से मिलता है, ये काश्तकारों से तो तभी ले सकते हैं जब सीड दें। तो बीच के समय का जो ब्याज का घाटा होता है वह इनको उठाना पड़ता है पर ये भी निकालते सब काश्तकारों से हैं। तो इस तरह से सीड महंगा पड़ता है किसान को। कई जगह तो अच्छा बीज भी नहीं मिलता, चूक करने में चूक हो जाती है। मान लेता हूं तब भी कि अधिकतर अच्छा सीड देते हैं, पर वह महंगी रेट पर उपलब्ध होता है जो उनको पुरबता नहीं। मैं मानता हूं कि फर्टीलाइजर से और अच्छे सीड से फायदा होता है। पर कीमत इतनी ज्यादा है कि किसान हिम्मत नहीं

[श्री केसरीसिंह]

करता। वह मुकाबला करता है। वह समझता है कि अगर वह अपने तरीके से खेती करता है और उससे उसको १००) रु. की पैदावार होती है तो वह फर्टीलाइज़र और आपके सीड से नेचुरली यह चाहेगा कि इसमें मैं दस रुपया ज्यादा लगाता हूं तो १२०) रु० की आमदनी तो उसे होनी ही चाहिये दस रुपया खर्चा हुआ तो दस रुपया बच जावेगा। पर वस्तु-स्थिति यह है कि इतना मार्जिन उसको मिल जावे तब तो ठीक है। पर १०) रु० का खाद डाला और उसको उससे रिटर्न केवल १०।।) या ११)रु० का ही मिला तो रुपया-आठ आना के मार्जिन पर वह यह रिस्क नहीं उठावेगा। उसको डर रहता है कि अगर यह भी नहीं मिला, तो सारा खर्चा उस पर पड़ जायेगा। तो फायदे का जितना डिफरेन्स होना चाहिये वह उसको नहीं दिखता—बिकाज ऑफ हाई प्रेसेज। इसलिये वह आपका खाद डालने में घबराता है। वह कोशिश जरूर करता है पर डरता डरता, जिसके पास सौ बीघा होगी जमीन तो वह पांच बीघा में ही यह एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर करेगा।

तो मेरा निवेदन यह है कि खाद हुआ, बीज हुआ—सस्ती रेट पर काश्तकार को उपलब्ध हो सके इसका प्रबन्ध करिये। अब आप यह किस एजेन्सी के मार्फत करें, I leave it to you.

इसके अलावा, आप लोन्स देते हैं। ठीक है कि आप बीज, फर्टीलाइजर आदि के रूप में देते हैं। पर फिर भी उनको लोन चाहिये—बैलों के लिये, धोरा पाला के लिये। मीडियम टर्म लोन से फायदा पहुंच सकता है पर यह आप प्रोवाइड नहीं करते। आप शॉर्ट टर्म लोन देते हैं तुरन्त लौटाने के सिद्धान्त पर। इससे उनको लाभ नहीं होता। वह लेता भी है तो तुरन्त पहले का कर्जा आदि देने में उसको व्यय कर देता है और इस तरह से उसकी इकोनोमी जम नहीं सकती, आप अपना कर्जा उगाहने की जल्दी करते हैं। तो जब तक लोन आप उसको ऐसा नहीं देते कि वह चार-पांच साल में भी चुका सके तब तक उसकी इकोनोमी जम नहीं सकती।

इसी प्रकार से लौंग टर्म लोन्स जो कुओं वगैरह के लिए देते हैं, उसके बारे में अर्ज करूं कि वह इनएडीक्वेट है, बहुत कम है। मैं एक दिन पहले भी अर्ज कर रहा था कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर रुपया ज्यादा खर्च करते हैं, इसके बजाय अगर छोटे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा खर्च करे तो उसका इमीजियट और जल्दी फायदा दिखाई दे सकता है। इसके लिए फिर सवाल उठता है कि फण्ड्स कहां से लायें—ऐसा कौल साहब भी कह रहे थे। मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि जैसे माही की स्कीम थी उसको एक दो साल रोक दिया जाता और ज्यादा फण्ड्स माईनर इर्रिगेशन में दिये जाते तो उनका फौरन फायदा मिल सकता था। मंत्री महोदय याद करें कि उन्होंने एक बार कहा था कि पाली के अन्दर ४ रिग्स मगा रहे हैं और उनके लिए कहा था कि बस चार महीने मे ही आ जायेंगे और जून तक तो पहुँच जायेंगे। मैं याद दिलाऊं कि रिंग अभी तक नहीं आई है। तो कुओं को खोदने के लिए ज्यादा लन्स मिलें और टाइम से मिलें ऐसा कोई प्रबन्ध आपको करना चाहिये। लोन्स के देने में भी आपके रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स ऐसे हैं कि इतने से ज्यादा नहीं दे सकते, फिर एक

(श्री केसरीसिंह)

दिक्कत यह है कि हिसाब से लेकर आयें और फिर ओवरसीयर के पास से लायें कि अच्छी तरह से इस्तेमाल हो गया। यह जो इस प्रकार के आपके कम्बरसम रूल्स हैं और फिर काश्तकार को पंचायत समिति के पास आना पड़ेगा और उसको स्टाफ कहता है कि आज रुपया नहीं है कल मंगायेंगे, परसों मंगायेंगे और फिर स्टाफ कहता है कि कागजों में यह खामी रह गयी पूरी कराके लाओ। तो इस तरह से एक काश्तकार वहां लोन लेने के लिए जब आता है तो हैरान हो जाता है। आप कहते हैं कि अब हम २ लाख रुपया देंगे और काश्तकार कहता है कि कुओं में पानी कम पड़ रहा है और यही समय है जब कि हम अपने कुओं को खोद सकते हैं उस समय टाइम पर पैसा नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यह कि पैसा टाइम पर मिले और एडीक्वेट मात्रा में मिले और उसका बहुत ही सिम्पल वे हो।

आज हमारे यहां ७५ प्रतिशत काश्तकार हैं और उनमें से बहुत बड़ा परसेन्टेज गरीब है, वीकर सेक्शन है और आप वीकर सेक्शन को हैल्प करने की सौ बातें करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप दो बातें नहीं करेंगे तब तक इस सेक्शन को आप हैल्प नहीं कर सकते। एक बात तो यह है कि २५ रुपये से कम की जिनकी बिगोड़ी है उनसे लैण्ड रेवेन्यू आप बिल्कुल मत लो। यह नितान्त आवश्यक है क्योंकि वह पैसा उन्हीं के पास रहेगा और उससे उनकी हालत सुधरेगी। सिर्फ यही उसके लिए काफी नहीं होगा आपको लोन्स भी देने पड़ेंगे तो वह पैसा वह अपनी एग्रीकल्चर में लगा सकेगा। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आपको लैण्ड रेवेन्यू फोरगो करना चाहिए। जिनको वीकर सेक्शन आप मान लें उनको जो आप लोन्स दें वह ज्यादा इन्सटालमेन्टस में रिपे कर सकें ऐसा आपको प्रबन्ध करना चाहिये आप इन्टरेस्ट लें ही नहीं तब तो बहुत बड़ी बात है। अगर लेते हैं तो फिर ज्यादा इन्सटालमेंटस में लें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा अन्यथा नहीं। इसके अलावा आप उनको इन्सेन्टिव्ज़ भी दें। जब हम जागीरदार थे तो हमें याद है जो जमीन हम काश्तकारों को बताते थे और कहते थे कि अगर वह जमीन को डेवलप करेगा और उसमें कुआ खोदगा तो इतने साल तक लगान नहीं लेंगे, अगर धोरा पानी कर दिया तो इतना कर देंगे। इसी प्रकार से साइन्टिफिक मैथड्स जिनको आप मानते हैं आप भी ऐसा कर दें कि अब को से किसी ने धोरापाली कर दिया, कुआ खोद दिया और कुछ कर दिया तो उसके लिए लोन्स तो देना ही है लेकिन आप रेमीशन के आधार पर उसको कुछ दीजिए, यदि आप सही माने में चाहते हैं कि काश्तकार को इन्सेन्टिव मिले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।

इसके अलावा, मैं अर्ज करूंगा कि कुओं में बिजली लग सके, पानी बाहर निकालने के लिए तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मुझे मालूम है कि गवर्नमेन्ट इसके लिए जागरूक है। लेकिन मैं हाइडल पॉवर का तो नहीं कहता लेकिन जो थर्मल पॉवर है जिसको जनरेट करने में १८ न०पै० खर्च आ जाता है वह आप उनको १२ न०पै० पर देने के लिए कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को काश्तकारों के लिए और इधर वह कहते हैं कि यह प्रोफीटेबल नहीं है। आप कहते हैं कि हम इसमें सबवेन्शन दे देंगे। आपने लेकिन इसके लिए

(श्री केसरीसिंह)

एक पाई भी नहीं दी है। अगर दी हो तो बताइये। बिजली वाले कहते हैं कि हमें पुरबता नहीं है इसलिए नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए।

अब मैं इर्रिगेशन के बारे में बहुत संक्षेप में अर्ज करूं कि इर्रिगेशन की फैसेलिटीज भी एग्रीकलचर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सहायक है यह तो प्रत्यक्ष है। तो इस विषय में मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा लेकिन हमारा जो पाली का क्षेत्र है पैकेज प्रोग्राम का उसको हटाने तक की बात सोची गयी और वह इसलिए सोची गयी कि यहां पर इर्रिगेशन की फैसिलिटीज नहीं हैं इर्रिगेशन की फैसेलिटीज को बढ़ाने के लिए मैं अर्ज करूं कि जितनी तवज्जोह दी जा सकती थी उनको टोप प्रियोरिटी देनी चाहिए। बानियावास बांध के लिए मैंने कहा था। आपने आश्वासन दिया है। मैं ज्यादा अर्ज नही करना चाहता हूं। आपने क्योंकि पैकेज प्रोग्राम वहां रखा तो वहां इर्रिगेशन की फैसेलिटीज बढ़ाने के लिए आपने रिग भी भेजने के लिए कहा था और जवाई के पानी के आने की भी बात कही है लेकिन इर्रीगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए आपको जितना ध्यान देना चाहिए था और जितनी टोप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गयी है पाली डिस्ट्रिक्ट में।

अब मैं बहुत ही संक्षेप में पशु-पालन के संबंध में भी अर्ज कर देता हूं। पशु-पालन विभाग में सब स्कीम्स अच्छी हैं और सरकार के इरादे भी अच्छे हैं। राजस्थान का पशुधन बढ़ाना अच्छा है और पशु-पालकों में खुशहाली आये यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह जो आप स्कीम चलाते है वह इस तरह से चलाते हैं कि आप जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। मैं अर्ज करूं कि अच्छे सांड बांटना ऐसी चीज है कि जिससे आप कैटल ब्रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। अगर आप इससे संचुरेट कर सकते हैं अच्छी तरह के सांड को तो, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी ब्रीड हो सकती है। आप कहते है कि हम २०० रुपया दे देंगे जो भी पंचायत समिति बुल खरीदना चाहे और फिर कहते हैं कि हम १०), १०) रुपया देते रहेंगे बुल रखने वालों को और जब वह बुल बड़ा हो जायेगा तो इस कीमत पर खरीदेंगे। तो आपकी तरफ से जो बुल पर्चेज सब्सिडी और बुल प्रीमियम की स्कीम्स हैं उसके तहत में जो आप देने हैं उसके लिए लोग कहते हैं कि वह पुरबता नहीं है। आप कहते हैं कि १०),१०) रुपये से अगर ज्यादा देंगे तो इन पैसों का मिस-यूज हो सकता है। इसी प्रकार से पंचायतें भी कहती हैं कि आप २०० रुपये तो बुल परचेज के लिए सबसीडी देते हैं और अच्छा बुल ८०० या १००० के बगैर नहीं आता है तो वह बुल भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए इन स्कीम्स के लिए जो आप पैसा ट्रान्सफर करते हैं वह अनस्पेन्ट पड़ा रहता है। अगर आप सचमुच चाहते हैं तो उन फण्ड्स को आप बढ़ायें। यह कितना एडीक्वेट हो सकता है यह आपके डाइरेक्टर साहब से आप दर्याफ्त कर लें कि कितना रुपया एडीक्वेट रहेगा और यह जो आपने रेट्स अभी बांध रखी हैं यह कौन से जमाने की बात को देखकर बांध रखे हे जब कि कम्पेरेटिवली सस्तीवाड़ा था। आप कहते हैं कि ज्यादा इसलिए नहीं देते क्योंकि मिस यूज होता है और काश्तकार खुद खा जायेंगे लेकिन आप चाहते हैं कि अच्छे बुल्स मिलें तो मैं अर्ज

(श्री केसरीसिंह)

करू' कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एडीक्वेट पैसे देने पड़ेंगे। आप यह क्यों नहीं करते कि अच्छे बुल्स मिलें इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार की सहूलियत दें कि वे गवर्नमेन्ट फार्म्स पर उनको रीयर करें,... चाहे आपका करके रखें चाहे नहीं मर्जी आये वैसा रखें; लेकिन Make good bulls available to all cost. इसके लिए बुल रियरिंग फार्म्स की नितान्त आवश्यकता है। आप अपव्यय करने के बजाय अगर इस तरह से खर्च करेंगे तो जो चीज चाहते हैं केटल के ब्रीड को सुधारने की वह चीज हो सकेगी, वर्ना खर्च बहुत हो रहा है और नतीजा कुछ नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं तीन मिनिट में खत्म कर देता हूँ।

यही बात मैं कूकड़ों के बारे में कहना चाहता हूँ। पोल्ट्री को बढ़ावा देने के बारे में आप फर्माते हैं। कई लोग चाहते हैं कि इतना लोन देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं। हम कुक्कट फार्म शुरू करते हैं तो कूकड़े कहां से लायें? आप फर्माते हैं कि उदयपुर चले जाओ हम यह देंगे लोन या मंगा देंगे। जो आदमी आपके पास में आता है तो उसका उत्साह तो वहीं पर ढेर हो आता है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह के कूकड़ों के फार्म गवर्नमेंट के चल रहे हैं। यह आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सके और जो आदमी चाहता है कि वह कुक्कट फार्म चलाये तो उसको अच्छे कूकड़े मिल सकें तो यह मैं उम्मीद करता हूँ यह स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल होगी।

यह जो आपकी विलेज स्कीम है इनमें केटल डिस्पेन्सरीज़ को मैंने सुना है पंचायत समितियों को दे दिया है। तो पंचायत समितियों में उनका ठीक काम नहीं होता है। जो आप चाहते हैं वैसा काम नहीं होता है। जीप पंचायत समिति के दूसरे काम में लाते हैं। कभी उसको प्रधान ले भागता है कभी विकास अधिकारी उसको अपने काम में लेता है। ऐसी बातें मैंने एक रेस्पोन्सिबल ऑफिसर से सुनी है जो आपके डिपार्टमेंट के हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी स्कीमों को जिला परिषदों के नीचे क्यों न रखें जहां डी०एल०ओ० उसका इन्चार्ज हो सकता है। पंचायत समिति के नीचे मत रखो। यह आप देखें कि पंचायत समितियों के नीचे रखने से जैसा आप चाहते हैं वैसा इम्प्लीमेन्टेशन स्कीम्स का नहीं होता है तो बेशक इनको जिला परिषदों के नीचे रख दें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि कोई भी पंचायत समिति या और कोई भी यह नहीं चाहेगा कि डिस्पेन्सरी ठीक से न चलें की विलेज स्कीम्स ठीक ढंग से न चलें। जिला परिषदों के नीचे देकर इस स्कीम को प्रभावशाली बना सकते हैं। वहां पर डी०एल०ओ० रहता है वह ज्यादा रेस्पोन्सिबल ऑफिसर होता है। वह ज्यादा रेस्पोन्सिबिलिटी फील करता है और उसका मिसयूज़ नहीं होता है। तो इसको जिला परिषद के नीचे रखें और डी० एल० ओ० को इसका डाइरेक्ट इन्चार्ज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

एक स्कीम, आपकी यह है कि नोमेडिक केटल ब्रीडर्स जो हैं उनको रिहेबिलीटेट करने के लिए हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि कोई काम इस स्कीम के अन्दर नहीं हुआ है सिवाय इसके कि आपने २९ बुल

(श्री केसरीसिंह)

डिस्ट्रिब्यूट किये हैं। यह मैं डेढ़ साल पहले से कर रहा हूँ। इस साल में आपने कुछ किया हो वह मालूम नहीं। लाखों रुपया खर्च करके भी अगर हम यह रिजल्ट देखें तो २९ बुल डिस्ट्रिब्यूट कर दिये। तो मैं यह कहता हूँ कि यह खर्च व्यर्थ है। बुल किन को डिस्ट्रिब्यूट किये? बुल लेकर उन ब्रीडर्स को दिये जिनके बुल्स आपके डिपार्टमेंट के बुल्स से अच्छे हैं। भले ही उनसे लेकर कह दिया हो कि ऐसा किया है। आपने उनको कितनों को रिहेबिलिटेट किया है? कितने साल से यह स्कीम चल रही है? कहां लोन देकर उनको किया है? आप चाहते हैं कि पशु-पालक जो हैं उनकी इकोनोमी बढ़े उसके लिए अच्छे ब्रीडर्स की आवश्यकता है, उसके लिए जमीन की जरूरत है। अब आपने सीलिंग्स के रूल्स में प्रावधान रखा है कि जितने भी रजिस्टर्ड फार्म्स होंगे उनको एक्जेम्पट करेंगे, लेकिन कौन से फार्म्स को एक्जेम्प्ट करेंगे जो कि ५६ से पहले के रजिस्टर्ड होंगे। आपने पशु-पालन की स्कीम को ज्यादा फैलाया है वह ५९ के बाद में फैलाया है पंचायत समितियों के हो जाने के बाद में। ६०, ६१, ६२ और ६३ में ज्यादा लोन्स दिये गये हैं, ज्यादा केटल ब्रीडिंग फार्म्स खोले हैं ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपकी यह बेसिक नीति है कि आप पशुओं के लिए छोड़ें तो जो ५६ से पहले रजिस्टर्ड किये गये हैं उनको छोड़ेंगे और बाद वालों को नहीं छोड़ेंगे तो इसमें कोई रीज़न मुझे दिखाई कतई नहीं देता है तो मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें। जब तक जमीन नहीं होगी तब तक पशुधन नहीं होगा। इसके लिए सीलिंग्स के रूल्स में जो प्रावधान रखा है वह ठीक नहीं है।

मैंने संक्षेप में आपके एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट का प्रोडक्शन बढ़े, उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, उनमें कहां पर मुझे खामियां दिखाई देती हैं वो मैंने आपको पोइन्ट आउट करने की कोशिश की है ऐसा ही मैंने पशुधन विभाग के बारे में कहा है। मुझे उम्मीद है कि जवाब देते वक्त आप इन बातों पर, आपकी जो राय हो वह दर्शायेंगे।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी द्वारा पशुपालन विभाग की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३ जो प्रस्ताव के रूप में सदन के समक्ष उपस्थित की गई है उसके ऊपर मेरा एक कटौती-प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारत में राजस्थान एक कृषि-प्रधान प्रान्त है उसी प्रकार बाड़मेर और जैसलमेर पशुपालन के अन्दर अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एरिया अपना पशुधन के रूप में एक विशेष स्थान रखता है उस एरिया को बढ़ावा देने के लिए उस दृष्टि से सरकार कुछ नहीं कर रही है। विशेषकर मैं अर्ज करना चाहता हूँ पशु-धन के अन्दर गायों की नस्ल को आप ले लें। गायों के अन्दर थारपारकर ब्रीड और कांकरेज ब्रीड यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाड़मेर के अन्दर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मगर उस नस्ल को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई ब्रीडिंग फार्म वहां पर नहीं खोल रखा है। खैर, ब्रीडिंग फार्म एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन मैं अफसोस इस पर जाहिर करना चाहता हूं कि वहां पर एनीमल हस्बेन्ड्री का हास्पिटल नस्ल को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

Page No. 69

(श्री उम्मेदसिंह)

एक बुल तीन साल पहले का है जो कि बुड्ढा हो चुका है और जो आज भी खत्म हो चुका हैं। खैर, जाने दें।

अब मेरी अर्ज यह है एक और सुझाव है कि उस एरिया की गायों की नस्ल बनाने के लिए एक ब्रीडिंग फार्म खोलना चाहिए। खैर, बाड़मेर की आवश्यकता पर अर्ज करूं तो यह थोड़ी कूप-मण्डूकता होगी जोधपुर डिवीजन के अन्दर भी राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी ब्रीडिंग फार्म नहीं है। एक खोला गया है नागोर के अन्दर वह भी जो पुराना राज्य था मारवाड़ का, जो जोधपुर स्टेट थी उस समय खोला गया था और उसको जरूर एक्सपेन्ड किया गया है। मेरा अर्ज करना यह है कि केटिल ब्रीडिंग फार्म की व्यवस्था बाड़मेर जिले में होनी चाहिए।

अब मैं आपके सामने जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी बाड़मेर जिले में ग्रेजिंग लैण्ड के लिए खास व्यवस्था कोई नहीं है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिव एरिया के अन्दर जमीन बहुत पड़ी हुई है। घास भी वहां होता है। वहां पर अभी ट्यूब वैल निकला है नेवला के अन्दर तो पानी भी काफी मात्रा में है। तो मेरे सुझाव को नोट किया जाय कि वहां पर ब्रीडिंग फार्म खोला जाय और वहां पर गायों की नस्ल सुधारने के लिए कार्य किया जाय।

दूसरी बात जो है वह यह है कि उस जिले के अन्दर, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों को ही लेता हूँ कि वहां पर मेडिकल एड उन पशुओं को नहीं मिलती है। इतनी संख्या के अन्दर पशु होने पर भी एक पुराना हॉस्पिटल है जो कि जोधपुर स्टेट के वक्त में वहां पर था उसकी हालत आज भी वही है। वहां एक डाक्टर और एक कम्पाउन्डर है। जब एक कम्पाउन्डर की जगह दो कम्पाउन्डर हो जाते हैं तो डाक्टर गायब हो जाता है। उसका मकान अभी तक राज्य सरकार नहीं बना सकी है। उसके किराये का अगर आज अनुमान लगायें तो जो किराया एक प्राइवेट आदमी को दिया गया है उस किराये की राशि को जोड़ दिया जाय तो उस राशि से मकान बन जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक मकान नहीं बना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि वहां पर अस्पताल विशेष रूप से, जो जिला स्तर की दूसरी जगह है, वहां पर किया जाय।

तीसरा पोइन्ट, मेरा यह है कि बाड़मेर जिले के अन्दर हमारे सामने राज्य सरकार के सामने एक कठिनाई आती है कि वहां पर इन्डस्ट्रीज के लेवल को बढ़ाया जाय तो वहां पर पशुधन के द्वारा जो रॉ मेटीरियल पैदा होता है; For example hides, bones आदि ये चीजें बाहर जाती हैं और दूसरी इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिये रॉ मेटीरियल यहीं से मिलता है तो राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, समझ में नहीं आता, अपने साधनों को दूसरों को देती है तो बाड़मेर में यह इन्डस्ट्री खोल कर यहां रॉ-मेटीरियल यहीं पर काम में ले लें।

एक सबसे बड़ा ओब्जेक्शन मेरा यह है कि बाड़मेर में शीप शीयरिंग शेड्स बनाये, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये यटरली फेल्योर है। सन् ६१ में जब पहली बार शीप शीयरिंग के लिये विशिष्ट विशेषज्ञ वहां पर आये थे और

(श्री उम्मेदसिंह)

वहां पर एक जिला स्तर के कहना चाहिये सबसे प्रमुख आफिसर उसका उद्घाटन करने के लिये बालोतरा पहुंचे तो वहां पर क्या होता है कि भेड़ें इकट्ठी की जाती हैं और जब वे विशिष्ट विशेषज्ञ कैंची लेकर उन कतरने के लिये पहुंचे तो जा उद्घाटन करने के लिये महानुभाव आये थे उन्होंने उनसे कहा कि ध्यान रखना कहीं भेड़ का चमड़ा न कट जाय। तब उन्होंने कहा कि मैं विशेषज्ञ हूं, भेड़ का चमड़ा कैसे काट दूंगा? लेकिन क्या होता है कि उन्होंने नये इन्स्ट्रूमेन्ट्स का प्रयोग किया जिसको प्रयोग करना वे शायद जानते नहीं थे जिसके कारण भेड़ का ३ इंच चमड़ा कट जाता है। यह बडे आफिसर की बात है आपके विशेष विशेषज्ञ ऐसे हैं तो क्या हाल होगा। प्लान गलत नहीं है........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): वह अधिकारी कौनसा है?

श्री उम्मेदसिंह : अधिकारी कौनसा है यह तो डिपार्टमेन्ट को जानने का काम है, ऐसे अधिकारी को क्यों रखते हैं?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): भेड़ का चमड़ा काटने वाले गला भी काट सकते हैं। भेड़ का गला काटने में क्या देर लगती है।

श्री उम्मेदसिंह : जो शीयरिंग शेड्स बनाये हैं वे खातेदारी की जमीन के बीच में बना दिये। आपको ध्यान होगा कि ऊन की कतरन चैत्र या भादवा में होती है और भादवा में फसल बोई जाती है तो बोई हुई फसल के बीच में से भेड़ों को कैसे ले जाया जा सकता है इसका विचार होना चाहिये था। शीयरिंग शेड्स ऐसी जगह होने चाहिये जहां पब्लिक आराम से भेड़ों को लेजाकर शीयरिंग करवा सके।

सबसे बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में वेटरनरी होस्पिटल में जो लोग वहां पर शिक्षा लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं उनको जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, वक्तव्य देते हैं वे एम्लोईज़ ज्यादा कुत्तों और घोड़ों के बारे में समझाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्तों और घोड़ों का समय तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ चला गया अब तो डाक्टरों को गायों और भेड़ों के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिये न कि कुत्तों और घोड़ों के बारे में। समय बदलता है तो उसके साथ ही राजस्थान सरकार की पोलिसी भी बदलनी चाहिये।

नेक्स्ट पोइन्ट पोल्ट्री फार्म्स के बारे में है। इसके बारे में मेरे कुछ कांक्रीट सुझाव हैं एक तो यह यह है कि राजस्थान में जो पोल्ट्री फोर्म्स हैं उनमें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन ऐसे फार्म्स नहीं जो एक्स-पेरिमेन्ट कर सके कि किस तरह मुर्गे और मुर्गियों की क्रोस नस्ल होती है जो बहुतायत रूप से अंडे दे सकें। ऐसे कोई इन्स्टिट्युशन राजस्थान में नही हैं। राजस्थान में ऐसा इन्स्टिट्यूशन होना चाहिये जिनसे मालूम हो सके कि मुर्गो और अंडों का उत्पादन किस तरह से ज्यादा हो सकता है जो कि पोल्ट्री का मुख्य ध्येय है कि यह कैसे ऊपर जाय? केवल उदयपुर में एक ऐसा इन्स्टिटियुशन हैं जहां ऐसी व्यवस्था है लेकिन उसका ताल्लुक आपके विभाग से नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक एक्सपेरिमेन्टल फार्म जयपुर में या जहां चाहें वहां लगावें।

(श्री उम्मेदसिंह)

जो लोग ट्रेनिंग लेने के लिये बाहर से आते हैं उनको ट्रेनिंग क्या दी जाती है गड्ढा खोदें, बांस लगावें, पत्थर लगावें, यह करें, वह करें। उनको थ्योरिटिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरा सुझाव है कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय जिससे उनको मालूम हो सके कि किस तरह से कौनसी उम्र में क्या किया जाय, कौनसी बीमारी आती है, उससे बचने के क्या उपाय हैं ये सब थ्योरिटिकल बातें उनको बतानी चाहिये।

मेरा एक सुझाव और है। अभी प्लान बनाया है ब्लॉक्स वाले मुर्गी खरीदने आते हैं तो उनको १ दिन का बच्चा प्रोवाइड करते हैं। राजस्थान में जहां जहां भी गवर्नमेन्ट के पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां १ दिन के बच्चे को लेकर जाते हैं ब्लाक्स में और वहां से फार्म्स पर तो कई तो बीच में ही मर जाते हैं और बचे हुए पहुंचते पहुंचते हो खत्म हो जाते हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे मुर्गी के बच्चो को भेज कर गवर्नमेन्ट मनी क्यों वेस्ट की जाती है? इससे तो बेहतर है कि इसे बंद कर दिया जाय और बंद नहीं किया जाय तो कम से कम १ माह का बच्चा हो तब भेजा जाय।

हां, एक मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि यह जो स्कीम है आपकी फीड को कम पैसों से फीड देने की स्कीम आपने बनाई है और डिस्ट्रिब्यूटर्स बाजार में इसको बेचते हैं, मेरा कल ही काम पड़ गया किशनपोल बाजार में मैंने वहां इस फीड को देखा तो यह फीड मूंगफली की खली का होना चाहिये, लेकिन वहां पर मूंगफली की खली के बजाय मूंगफली के छिलके थे। ऐसा फीड सरकार से मिलता है। छिलके को फीड बनाकर देने से काम नहीं चलेगा। यह गलती सरकार की नहीं है लेकिन यह गलती उनकी है जो निगरानी रखते हैं पर ध्यान नहीं देते और सरकार का पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे फीड को खाकर क्या मुर्गी अंडे दे सकती है?

दूसरी अर्ज यह है कि यहां शहरों में पोल्ट्री फार्म्स बनाने के लिये विशेष सुविधाएं देने की बात कही है। जो लोग फार्म्स बनाते हैं उनको फार्म्स पर शेड डालने के लिये आयरन शीट्स देने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं विशेष तौर से कृषि मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में या एनिमल हस्बेन्ड्री में ऐसा विशेष प्रोविजन रखें कि मुर्गी पालने वालों के शेड्स के लिये आइरन शीट्स का अलग कोटा रखें। लालपुरा पोल्ट्री फार्म के लिये ८,०००) रु० लगाकर पक्का बिल्डिंग बनाया पर शेड के लिये आइरन शीट्स दो तीन महीनों तक कोशिश करने पर भी नहीं मिले, इसलिये उन्होंने आइडिया भी छोड़ दिया कि पोल्ट्री फार्म बनायें, इसलिये मैं कहूंगा कि इतना प्रोविजन रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जावन्दसिंह।

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में अकाल हर साल ही बह जाता है और इस साल सारे राजस्थान में अकाल बह गया है। वह थोड़ा सा हिस्सा जिला गंगानगर में था जिसमें नहर के पानी से अकाल में भी खेती हो जाती थी इस साल नहर बन्द रहने के कारण खेती बिल्कुल ही सूख गई नहर में पानी तो बहुत ही कम आया। जो थोड़ा सा आया

(श्री जावन्दसिंह)

उसको भी बन्द उस वक्त किया कि जब दोनों फसलें ही सूख गई। सितम्बर और अक्टूबर में बन्दी की है। इसके अलावा जो सालाना बन्दी करते हैं वो फरवरी या मार्च में करते हैं। हमारे नहरी अफसरान और मिनिस्टर साहिबान को पता नहीं को सालाना बन्दी किस महिने करनी चाहिये। मैं इस सदन में पहले भी दो तीन दफा कह चुका हूँ कि सालाना बन्दी जनवरी से पहले हफ्ते करनी जरूरी है। उस वक्त फसल बहुत ही छोटी छोटी होती है और मैं श्री भीखाभाई को सन् ६३ की जुलाई में मिला। इस वक्त दरिया में पानी बहुत है। इस वक्त बन्दी होने का क्या कारण है? उसने मुझको एक माह के बाद जवाब दिया कि नहर का ऊपर वाला हिस्सा ठीक नहीं है उसकी मरम्मत पंजाब वाले करते हैं। इस साल उन्होने ने मरम्मत नहीं की। इस कारण से नहर पूरी नहीं चल सकती। बहुत अफसोस की बात है कि जिस नहर के पानी से राजस्थान में खेती होवे और नहर की मरम्मत पंजाब वाले करें। जिस भैंस का दूध हम लोगों को पीना हो और चारा दूसरे घर वाले डालें यह बहुत शर्म की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): आप खेती के मसले पर बोलें।

श्री जावन्दसिंह: हमारे जिला गंगानगर में खेती का दारोमुदार पानी के ऊपर ही है। अगर पानी मिल गया तो खेती काश्त कर ली अगर पानी न मिला तो किसान खेती करने से रह गया। हमारे जिला गंगानगर में पंजाब से बढ़ कर खेती करने वाले काश्तकार हैं और हमारी फसल पंजाब से भी अच्छी होती थी। इस साल हमारी फसल से पंजाब में दस गुणा फसल अच्छी है। हमारी सरकार एक कमेटी मुकर्रर कर दे, गंगानगर की फसल का और पंजाब की फसल का मुलाहिजा करे। हम लोगों को और भी बहुत परेशानियें हैं जिसके कारण खेती पूरी नहीं कर सकता क्योंकि यह इलाका पाकिस्तान के बहुत ही नजदीक है। खतरे के वक्त ना तो हमारे पास कोई असला है और न ही कोई पक्की सड़क है। इसलिये हम लोग खतरे से अपनी जान बचा सकें। हमारे में कुछ लोग ट्रैक्टरों से भी खेती करते हैं। ट्रैक्टरों पर जगह जगह पाबन्दी है। हमारे पड़ोस पंजाब में ट्रैक्टरों पर कोई पाबन्दी नहीं है क्योंकि ये खेती में ही काम आते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ट्रैक्टरों पर पाबन्दी न की जावे।

इस साल मामला साफ किया जाना बहुत जरूरी है। नहरी मामला साफ किया जावे। क्योंकि खेती बहुत खराब हो चुकी है जिससे काश्तकार का बीज भी पूरा नहीं हो सकता। और जिन लोगों को बरानी जमीन अलॉट की है जब तक अच्छा सामान रहे वो लोग किश्त नहीं दे सकते। उनकी वजह यह है कि तीन साल से बराबर काल पड़ रहा है। उनकी जमीन को बहालरखा जावे। अगर ऐसा ना हुआ तो वो लोग बस नहीं सकेंगे। उजड़ जावेंगे। पंजाब सरकार एक लमाड़िया नाम की नहर निकाल रही है जिसका रूख राजस्थान की तरफ कर रही है उसमें सीम का पानी और जब बहुत वर्षात होगी तो सारा पानी मिलकर हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के एरिया को बरबाद कर देगा। इसलिए सरकार को जल्दी ही इन्तजाम करना जरूरी है।

(श्री जावन्दसिंह)

गन्ना पैदा करने वाले काश्तकार को खांड न मिल कर शहरों को दी जाती है। इसका कारण यह है कि एक किसान शहर में सरसों लेकर तेली के पास तेल निकालने के लिये गया, तो उसको वहां अन्धेरा पड़ गया। वह तेली के पास ही ठहर गया। जिस घोड़ी के ऊपर किसान सरसों लेकर आया था वो घोड़ी रात को ब्या गई। उस घोड़ी ने बछेरा दिया। जब दिन निकला तो वह किसान अपने घर को जाने लगा। उस तेली ने बछेरा पकड़ लिया। उसको किसान कहने लगा-यह बछेरा मेरा है। तुमने क्यों पकड़ लिया? तो तेली ने कहा-यह बछेरा मेरे कोल्हू ने दिया है। तो उस फैसले में हमारे मिनिस्टर साहबान पहुंच गये और दोनों तरफ की बात सुन कर फैसला कर दिया कि यह बछेरा कोल्हू ने दिया है। किसान उस फैसले को मान कर चलने लगा। घोड़ी रोने लगी और बछेरा भी रोने लगा। किसान भी रोता था। यह सारे हालात देख कर तेली भी रोने लगा। तो उससे पडोसी ने पूछा कि तेली आप क्यों रो रहे हो? दूसरों को तो रोना ही था उनके साथ जुल्म हुआ। तो तेली ने कहा कि मैं इसलिये रो रहा हूं अगर ये मिनिस्टर ना रहे तो ऐसे फैसले कौन करेगा? हमारे शहरी भाई इसलिये रो रहे हैं कि यह सरकार रहने वाली नहीं है। ये जुल्म कर रही है। किसान को तो रोना ही है क्योंकि उसके साथ तो हर रोज ही जुल्म होता है।

इनसे दोनों ही खुश नहीं हैं। न किसान राजी है न शहरी राजी हैं।

नोट:—मूल भाषण माननीय सदस्य ने पंजाबी भाषा में दिया। अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार माननीय सदस्य से पंजाबी भाषा में दिये गये भाषण का अनुवाद प्राप्त किया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप २४ तारीख को नहर की बात करेंगे। अभी आप कृषि के बारे में ही कहें।

श्री जावन्दसिंह : मेरा तो गंगानगर का सारा ही क्षेत्र पानी से ही ताल्लुक रखता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सारी बातें आप २४ तारीख को कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री सागरमल।

श्री सागरमल (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि पर होने वाले वजरपात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : किसानों को कितनी ही सहूलियतें दी जाती हैं।

श्री सागरमल : जो कुछ सहूलियतें किसानों को दी जाती हैं उनके लिए कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं कहूँगा कि पंचायत समितियों के द्वारा जो लोन किसानों को दिया जाता है उसके री-पेमेन्ट करने की प्रणाली एक साल से लागू कर दी है और किसान को ७॥ प्रतिशत फी अलग देनी पड़ती है। अब देखने की बात यह है कि एक गरीब किसान को कुए के लिये तकावी मिलती है उसके लिये तहसीलदार के पास उसको चक्कर काटने पडते हैं। पहले पंचायत समिति में उसको चक्कर काटने पड़ते हैं और बाद में तहसील में उसको जाना पड़ता है, और फिर उसको ७॥ परसेन्ट फी ज्यादा देनी पड़ती है। समझ में नहीं आता कि जब दूसरी जगह कहीं

Page No. 74

(श्री सागरमल)

भी ऐसी प्रणाली नहीं है तो यह किसानों से ७।। प्रतिशत फीस क्यों ली जाती है ? एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि ज्यादा अनाज पैदा किया जावे और दूसरी तरफ आप यह फीस लेते हैं तो यह राजस्थान सरकार की एक बोहरों की प्रणाली है । यह एक विचारने की बात है कि जहां आप लाखों और करोड़ों रुपये उद्योग के लिये लोगों को लोन के देते हैं वहां पर उनसे कुछ नहीं लिया जाता है और किसानों से यह लिया जावे और जिसको पाने के लिये किसानों को पंचायत समिति के अलावा तहसील में ज्यादा से ज्यादा परेशान होना पड़ता है ।

दूसरी बात मैं आपसे मेरे क्षेत्र फुलेरा में जो बिजली की कन्डीशन है उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ जब फुलेरा क्षेत्र में दो साल से बिजली चालू है. घरों के लिये तो बिजली दे दी है, पर कुओं के लिये एक जगह भी बिजली नही दी गई है । एक तरफ सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाय और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में बिजली आये दो साल हो गये पर इन दो सालों में एक कुए पर भी बिजली नहीं दी गई है, जब कि घरों में लाइट दे दी है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और कुओं पर बिजली देनी चाहिये जिससे कि हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़े ।

अब मैं एक बात पशु-पालन के बारे में कहना चाहता हूँ । फुलेरा में पशुओं के दो अस्पताल चल रहे हैं। फुलेरा एक कस्बा है, वहां पर दो पशुओं के अस्पतालों की आवश्यकता नहीं है, इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इन दो में से एक पशुओं का अस्पताल रेनवाल या भदाल में रख दें और एक अस्पताल फुलेरा में रखें । फुलेरा में एक अस्पताल ही काफी है ।

मेरा खास निवेदन यह है कि तकाबी पर जो साढ़े सात परसेन्ट रजिस्ट्रेशन फीस है, उस पर ध्यान दें, वर्ना कोई माने नहीं रखता कि उनको कम ब्याज पर रुपया दिया जाता है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयलाल ।

श्री जयलाल (डग): माननीय अध्यक्ष, मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१, कृषि पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है । फसल की बीमारी को रोकथाम के लिये सरकार लाखों रुपया खर्च करती है लेकिन फसल की बीमारियों की रोक थाम नहीं होती । किसानों के खेतों में इन बीमारियों की रोक-थाम नहीं होती । अध्यक्ष महोदय, सरकारी किताबों में रोकथाम होती होगी या अफसरों की फाइलों में, कृषि-कार्य के लिये बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी फाइलों में इन बीमारियों की रोकथाम होती होगी । आज काश्तकारों की फसल में बड़ी भयंकर बीमारियां लगती हैं, जिनके कारण किसानों को बहुत नुकसान होता है । आज हम देखते हैं कि फसल में कहीं घेरा लगता है, कहीं खारोल हो गया है तो कहीं रातिया लगता है और अन्य कई प्रकार की बीमारियां फसल में लगती हैं, पर आज उन बीमारियों का कोई इलाज नहीं, उन बीमारियों की कोई रोकथाम नहीं.

(१०.५३ म०पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और इस प्रकार की शिकायतें बड़े अफसरों के पास की गई पर आज तक उन शिकायतों की

(श्री जयलाल)

कोई सुनवाई नहीं की गई, किसानों की इस मांग की सरकार ने कोई जांच नहीं की। कृषि कार्यों को बढ़ाने के लिये ग्राम सेवक रखे हुए हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवक उनके क्षेत्र के गांवों तक को नहीं जानते हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने गांव हैं, कौन कौन से गांव हैं और मुझे क्या करना चाहिये, किस प्रकार कृषि कार्य को बढ़ाना चाहिये, लेकिन यह कोई काम नहीं होता है। आज हम सरकार का ध्यान अधिकतर कृषि कार्यों की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसके जरिये देश का उत्पादन बढ़ता है, देश शक्तिशाली बनता है और देश सुदृढ़ बनता है। इस कृषि कार्य के ऊपर सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। कृषि कार्य के लिये अधिक से अधिक बिजली देनी चाहिये, जिससे देश का उत्थान हो, भला हो, देश के गरीबों का अधिकतर पेट भरे, उनको अन्न मिले, देश की गरीबी, भुखमरी देश से निकले। लेकिन सरकार जो लोन देती है, तकाबियां देती है, वह अन्य अन्य विषयों में देती है। अधिकतर कृषि के लिये तकावी और ऋण देने चाहिये। आज जो सरकार का रवैया है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। मच्छी पालने के लिये तकावी देती है, मुर्गे पालने के लिए तकावी देती है, जानवरों को मालिक पालते हैं। कभी सरकार मक्खी और मच्छरों को पालने का ठेका देगी। ये मक्खी, मच्छर, भेड़, मुर्गे, मच्छी पालने के लिये सरकार पैसा देती है पर कृषि कार्यों के लिये सरकार का प्रावधान नहीं है कि कृषि के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा दे जिससे कि गरीबों को फायदा मिले, देश को फायदा मिले और सरकार को भी उत्पादन अधिक बढ़ने से अधिक फायदा हो।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिल्कुल जंगली इलाका है, वहां किसान फसल तैयार करते हैं तो उनकी फसल को जंगली जानवर खा जाते हैं, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसान अपनी फसल की हिफाजत के लिये जंगल से झाड़ी वगैरह काट कर लाते हैं तो जंगलात वाले उनको काटने नहीं देते हैं और बड़ा तंग करते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों पर सरकार की ओर से कन्ट्रोल होना चाहिये कि वे अपने क्षेत्र के हर गांव में हर एक किसान के खेत पर जा कर देखें और पता लगावें कि उनकी फसल में किसी तरह की बिमारी तो नहीं फैल रही है, उनकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, किस खेत में मेढ़ की आवश्यकता है, इस तरह की किसानों को फायदा पहुंचाने वाली सब बातो को देखना चाहिये, वर्ना ग्राम सेवकों का खर्चा सरकार पर बिना मतलब का लदा हुआ ही समझा जायगा। इस प्रकार के कदम उठाने से सरकार को भी फायदा मिलेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा, उत्पादन बढ़ाने से देश को लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली देने में सरकार बिल्कुल आगे रहती है और उद्योगपतियों को बहुत सस्ती रेट पर बिजली देती है, पर आज किसान मांग करते हैं अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये आज किसान सरकार से अधिक से अधिक तादाद में बिजली की मांग करते हैं, बहुत सी जगह बिजली के खम्भे भी गड़े हुए हैं, लोग बिजली की मांग करते हैं, परन्तु सरकार किसानों को बिजली नहीं देती है। आज किसान कृषि के

(श्री जयलाल)

कार्यों के लिये अधिक से अधिक बिजली चाहते हैं, देश की खेती पैदावार बढ़ा कर देश को तरक्की की अगली मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं–: उन किसानों को आज सबसे पहले बिजली देनी चाहिये, तकावी देनी चाहिये। अधिकतर में सरकार का ध्यान उन किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो किसान अफीम की काश्त करते हैं। अफीम की काश्त में कई बीमारियां फैल जाती हैं, जिनसे उन किसानों का सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। अफीम की काश्त में किसानों को बड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अफीम की काश्त में कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, कई प्रकार के कीटाणु लग जाते हैं, उन बीमारियों को मिटाने के लिये सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

(११.८० म० पू०)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम). उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें चाहिये-कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे मुल्क के सामने सबसे पहली, सबसे अहम और सबसे मुख्य समस्या है अनाज की। हमें अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारा देश अनाज में आत्म निर्भर नहीं है। लाखों करोड़ों टन अनाज बाहर से आता है। इस समस्या को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार, क्या राज्य सरकार, क्या राज्य सरकारें कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए बार-बार जोर दे रही हैं और कई प्रकार की योजनायें भी बनायी गई हैं।

हमें देखना है इस पंचवर्षीय योजना में हमारे राज्य ने कृषि में क्या उपलब्धियां प्राप्त कीं? यह कहा जाता है कि हमारे राज्य ने अन्न के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है। हमें खुशी है यह जान कर कि हमारा राज्य इसमें आत्म निर्भर है। हमें यह जो आत्म निर्भरता प्राप्त हुई है वह पिछले कुछ साल में नई जमीन की काश्त करके हुई है। वास्तव में औसत उत्पादन वही माना जावेगा जो प्रति एकड़ के हिसाब से बे सके। क्योंकि ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जावेगी त्यों त्यों उत्पादन बढ़ता जावेगा। जमीन तो कोई रबड़ नहीं है जो खींच कर बढ़ायी जा सके लेकिन उत्पादन कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। मैं सोचती हूं इस पर एक नजर डाल कर देखना चाहिये। यदि हम पिछली गतिविधियों पर एक सिंहावलोकन की नजर डाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन मुख्य साधन माने गये हैं—पहला सिंचाई, दूसरा बीज तथा खाद और तीसरा नये प्रकार के औजार। यह बात ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई एक बिलकुल अलग विभाग है परन्तु कृषि के साथ इसका इतना नजदीक का सम्बन्ध है, इस पर विवेचन करते हुए हम सिंचाई को कृषि से अलग नहीं कर सकते। पिछले सालों में हमारे राज्य ने निस्संदेह कई बड़े बड़े बांध बनाये हैं और उनसे सिंचाई की जाती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट है कि बड़े बड़े

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

बांध बनाये हैं उनसे पर्टीक्यूलर एरिया ही लाभ उठा सकते हैं। कुछ खास एरिया ही है जो उन बांधों से लाभ उठाते हैं। हमारा राज्य इतना विस्तृत है कि बांधों के बनाने के अलावा इतनी बड़ी भूमि और है जहां बांध नहीं बनाये जा सकते। हमें पूरे राज्य की सिंचाई के लिये व्यवस्था करना है। हमने इसके लिए एक इन्टीग्रेटेड सारे राज्य को दृष्टि से एक स्कीम के तौर पर नहीं सोचा है। हमारे राज्य में कितनी भूमि ऐसी है; जैसे बीकानेर का इलाका है, जैसलमेर का इलाका है, जोधपुर के कई भाग, सवाई माधोपुर इत्यादि के स्थान ऐसे हैं जहां पर किसी प्रकार बांधों से पानी नहीं जाता है, वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर हम ट्यूब वैल्स के जरिये से ये साधन उपलब्ध करा सकते हैं। ट्यूब वेल्स के द्वारा ही उन क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। पिछले वर्षों में या पिछले साल इसकी ओर दृष्टि डालें तो हम पायेंगे कि हमने बहुत कम ट्यूब वैल्स खोदे हैं। जैसलमेर में ट्यूब वेल खोली गई है जिसमें इस साल से सिंचाई शुरू होगी। जितना इस ओर इन वर्षों में किया जाना चाहिये था उतना नहीं किया गया है।

दूसरा खाद और बीज। बीज के लिए स्वावलम्बी बनाने के लिये बीज की किस्में उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार ने क्या स्टेप लिये हैं उन पर एक नजर डाल दें। सीड फार्म खोलने के लिए राज्य सरकार ने यह निश्चय किया था कि राजस्थान में १५ सीड फार्म्स खोले जावेंगे। इस पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में एक भी सीड फार्म नहीं खोला गया। तीसरे साल में तीन खोले हैं। जहां १५ सीड फार्म्स खोलने थे वहां ३ खोले हैं। जो टार्गेट निश्चित किया था उसका चौथा हिस्सा भी नहीं खोल सके। मुमकिन है, मंत्री महोदय कहें, हम इस योजना को पूरा कर लेंगे। आगे आने वाले दो वर्षों में पूरे के पूरे सीड फार्म्स खोल लेंगे, मुझे तो यह मुमकिन नहीं दिखायी देता है। अगर मुमकिन भी है और राज्य सरकार इस टार्गेट को पूरा कर लेती है, हमें यह तो कहना पड़ेगा कि पंचवर्षीय योजना के इन सालों में इन सीड फार्म्स के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिये था उस लाभ से तो अवश्य वंचित रह गये।

इसके साथ साथ फर्टीलाइज़र का प्रश्न आता है। जहां तक रसायनिक खाद का सम्बन्ध है, रसायनिक खाद के उत्पादन का सम्बन्ध है इसका उत्पादन एक दम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। रसायनिक खाद को व्यवस्था भी की है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके वितरण की व्यवस्था का प्रश्न है यह साइन्टिफिक नहीं कहा जा सकता। जो खाद डाला गया उसको भी साइन्टिफिक तरीके से नहीं मान सकते क्योंकि प्रत्येक जिले के लिए, तहसील के लिए कोटा कायम कर दिया जाता है और उसके अनुसार तहसील को वह कोटा मिलता है, जिले को वह कोटा मिलता है। होना तो यह चाहिये था कि किस जिले की कौनसी तहसील को, किस प्रकार की भूमि को किस प्रकार का खाद मिलना चाहिये और उसी प्रकार से उसका कोटा निर्धारित करना चाहिये था, वह नहीं होता। हमारा किसान इतना जागरूक नहीं है कि वह यह समझ सके कि कौनसी जमीन में कौनसा खाद डाला जायगा? उपाध्यक्ष महोदय, जनता को इसके विषय में सही ढंग से

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

किसानों को जानकारी नहीं दी जाती जिससे उनको पता चले कि किस समय किस जमीन में किस प्रकार का खाद डालना चाहिये। इसके साथ साथ जिला स्तर पर कृषि विभाग से कोई पब्लिकेशन भी नहीं किया गया जिससे उसको पढ़ कर लोग यह जान सकें कि किस भूमि में किस प्रकार का खाद डालना चाहिये इसका नतीजा यह होता है कि डाला जाना चाहिये किसी प्रकार का रसायनिक खाद, और उसकी एवज में दूसरा खाद डाल दिया जाता है इससे काश्तकारों को भूमि को और काश्त को नुकसान होता है। जब इस प्रकार का नुकसान होता है तो किसानों के मन में यह डर बैठ गया है कि यदि यह खाद डाल दिया गया और उससे उनकी फसल जल गई तो उनको बड़ा नुकसान होगा। कृषि मंत्रीजी कह सकते है कि जिलों में ए. ई. ओज. मुकर्रर हैं जो किसानों को गाइड करते हैं। ए ई.ओज. हैं जरूर। ये फेश ग्रेजुएट हैं यह कृषि मंत्रीजी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उनको प्रेक्टिल अनुभव नहीं होता है। कभी-कभी ए. इ. ओज किसानों के सामने ऐसी बातें कहते हे कि किसान उनको सही नहीं मान सकता। वे अनुभव के आधार पर उल्टी होती हैं, इसलिए किसानों का उन पर विश्वास नहीं बैठना। एक माननीय सदस्य ने ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि यह रसायनिक खाद हमारे यहां दिया जा रहा है उसका उपयोग किस प्रकार से हो? होना यह चाहिये कि जगह जगह इसका डिमोन्स्ट्रेशन किया जाय। जब तक इसका डिमोन्स्ट्रेशन हर तहसील में नहीं होगा तब तक किसान सीख नहीं सकता। इसका प्रत्येक किसानों को फायदा देना चाहते हैं तो इसका इस प्रकार से डिमोन्स्ट्रेशन किया जाय। इससे किसान को लाभ होगा। यह मैं मानती हूँ कि सरकार की यह हिदायत है कि डिमोन्स्ट्रेशन्स किये जायं लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं किये जाते हैं। जहां ए. ई. ओज. और बी. डी. ओज. इस ओर विशेष दिलचस्पी लेते हैं वहां डिमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं और वहां पर इसका फायदा भी होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि देवगढ़ में डिमोन्स्ट्रेशन किया गया उसका नतीजा यह हुआ कि जहां चार साल पहले मूंगफली पैदा नहीं होती थी वहां पिछले साल ही २५ हजार मन मूंगफली पैदा हुई है। दूसरी मिसाल यहां मौजूद है- श्री माधोपुर और नीम का थाना। दोनों इलाके पास पास हैं। नीम के थाने में डिमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरीके से किया गया। उसका फल यह हुआ कि सारा का सारा खाद काम में आ जाता है, उसका उपयोग अच्छी तरह से होता है और बिलकुल मिला हुआ इलाका है। श्री माधोपुर का वहां डिमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जो खाद वहां पर वितरण के लिये दिया जाता है, ८० प्रतिशत पड़ा रहता है और उसका उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि इस खाद को काम में लाने की सफलता डिमोन्स्ट्रेशन पर निर्भर करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने रसायनिक खाद का टार्गेट निश्चित किया था उसको ४० प्रतिशत मात्रा ही आज तक उपयोग में आ सकी है। हमें यह देखना है कि इसको किस तरह से बढ़ा दिया जाय। यदि इस क्षेत्र में हम पूरी ताकत लगा कर कर सकें, ठीक ढंग से डिमोन्स्ट्रेशन कर सकें तो बेशक इससे किसान लोगों का काफी फायदा हो सकता है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

जब हम इन दोनों तीनों क्षेत्रों की ओर नजर डालते हैं, चाहे हमारा राज्य अन्न को दृष्टि से आत्म-निर्भर हो, हम यह निस्संकोच कह सकते हैं कि जो टार्गेट फिक्स किये थे उनको छूना तो दूर रहा हम अभी तक उन टार्गेट से बहुत दूर हैं। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग को बहुत मेहनत के साथ, बहुत सूझ बूझ के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा तब ही हम जा कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोल्ट्री इत्यादि का जिक्र किया। जब चिकन्स एक एक दिन के दिये जाते हैं, मोर्टेलिटी होती है, आधे रास्ते में ही मर जाते हैं और जिनको बिजली की रोशनी में बड़े किये जाना चाहिये, गांवों में प्रबन्ध न होने से एक एक दिन के देने से मोर्टेलिटी पर बड़ा नुकसान होता है। तो यह एक दिन के चिकन्स वितरण करने की व्यवस्था है उसको एक सप्ताह में बदल दिया जाय तो आर्थिक हानि के साथ साथ जबर्दस्ती मोर्टेलिटी का नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के साथ में अपना आसन ग्रहण करूंगी कि कृषि मंत्री इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे कि टार्गेट्स के अचीव करने में उनको कौनसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसके कारण आज तक के टार्गेट्स वे अचीव नहीं कर सके।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग और पशु पालन विभाग इन दोनों का सम्बन्ध राजस्थान की सम्पूर्ण जनता से है। राजस्थान सरकार की आय इस विभाग पर काफी मात्रा में निर्भर करती है। वैसी स्थिति में इन दोनों विभागों का महत्व अन्य विभागों की तुलना में अधिक है और यह स्वाभाविक भी है।

राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की बहुसंख्यक जनता कृषि पर निर्भर करती है। कृषि की उपज और पशु पालन ये दोनों चीजें ऐसी है कि इस से आर्थिक ढांचा सुधारने और बिगाड़ने के लिये यह काफी जिम्मेदारी रहती है। पहली पंच वर्षीय योजना में से लेकर इस समय तक हमारी सरकार का यह दावा है कि हमने कृषि उत्पादन बढ़ाया है। हमारी सरकार का यह भी दावा है कि पशुपालन विभाग के द्वारा हमने पशुओं के हित में काफी धन राशि खर्च की है। जहां तक धन खर्च करने का प्रश्न आता है, मैं यह मान कर चलता हूँ कि सरकार ने काफी धन खर्च किया है लेकिन इससे फिजीकल अचीवमेन्ट्स क्या हुए हैं उनकी ओर देखने का प्रयास किया जाय तो हमें इस प्रकार की तुलना में निराशा आयगी। मैं उन आंकड़ों के संबन्ध में यहां जाना नहीं चाहता क्योंकि आंकड़ों की विवेचना इस सदन में काफी हो चुकी है: उससे यह निर्विवाद रूप से बातें सामने आ गई है कि हमारा पर एकड़ जो यील्ड है वह गिरा है। श्री लोकनाथन् ने अपनी रिपोर्ट द्वारा यह बात बतायी है कि राजस्थान का पर एकड़ यील्ड भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में सब से कम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट द्वारा एक डायरी दी गई है। उस डायरी को यदि देखा जाय तो कुछ सीरियल्स को छोड़ कर बाकी जो खाद्यान्न हैं उनका उत्पादन हमारे राज्य में पर एकड़ के हिसाब से कम

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ता है। अब इसका कारण कोई यह कहे कि मौसम की खराबी कारण हमने फेलो लैन्ड्स को अन्डर कल्टीवेशन लिया है इस कारण, बीमारी लग जाने के कारण, टिड्डियों के कारण इन सब के कारण पर एकड़ यील्ड गिरा है मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। इसमें सब से बड़ा कारण हमारी सरकार की नीति है। हमारी सरकार की नीति अभी तक किसानों के हित में नहीं बनी है, एग्रीकल्चरिस्ट के हित में नहीं बनी है। आप किसानों से उत्पादन बढ़वा कर सरकार की आमदनी और किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। हम इस सेक्टर को भूल कर नहीं चल सकते कि राजस्थान का किसान राजस्थान की बेहबूदी के लिये एक आधार स्तम्भ है। पर एकड़ यील्ड जब गिरता है तो उसके कुछ कारण अवश्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा बीज, अच्छा खाद, जुताई, बुवाई ये सब कुछ फेक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फेक्टर जो आज किसान के मन में बना हुआ है वह यह कि उस खेत पर उसका पजेशन बना रहेगा या नहीं यह अनसर्टेन्टी उसमें बनी हुई है। हमने लैन्ड रिफोर्म्स के अन्तर्गत कई कानून बनाये हैं, किसानों को खातेदारी के हक हकूक दिये गये, लेकिन फिर भी किसान के अन्दर अनसर्टेन्टी बनी हुई है इसका कारण क्या है? इसका कारण है सरकार की नीतियां। सरकार एक तरफ कहती है कि किसान को खेत का मालिक रखना चाहते हैं। सरकार के जो एक्शन्स हैं चाहे पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन पब्लिक के मन में यह सन्देह है कि जिस खेती का आज दिन तक वह मालिक रहा है वह उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा?

सरकार की समाजवादी नीति, कोआॅपरेटिव फॉर्मिंग की नीति, सहकारी समितियों में शामिल होने वाले किसानों को ज्यादा रियायतें दी जायंगी सरकार की इस प्रकार की घोषणायें, समाजवादी व्यवस्था में किसान अपने खेत का मालिक नहीं रहेगा-इस प्रकार का विवेचन यह सन्देह पैदा करके चल रहा है किसान कि कोई भी जमीन उसके अधिकार में नहीं रहेगी। सीलिंग कानून आपने लागू किया, आपने उसके इम्पलीमेन्टशन के अन्दर देरी की, इससे हजारों-लाखों एकड़ जमीन जो सरप्लस होने वाली थी, और सरप्लस होने के नाते सरकार के अधिकार में आने वाली थी और वह उन भूमिहीन किसानों में वितरित हो सकती थी लेकिन सीलिंग कानून को देरी से पास करने के कारण आज किसान के दिमाग में एक सन्देह सा बना हुआ है कि हमारी जमीन सीलिंग के जरिये जाने वाली है, इसलिये उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना कोई किसान नहीं चाहता अन इकोनोमिक होल्डिंग पर लैन्ड रेवेन्यू का प्रेसर पड़ता है इसलिये लोगों का दूसरे धन्धों की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है। इस तरह से वे अन्य धन्धे अपनाकर अपनी आवश्यकताओं को सब सीडाइज करते हैं क्योंकि अनइकोनोमिक होल्डिग सबस्टेन्सियली इकोनोमिक फेक्टर न रह कर वह एक प्रकार से उनका साइड बिज़ीनेस की तरह हो जाता है। अन इकोनोमिक होल्डिग पर, पर एकरेज यील्ड गिरा है और जहां सरप्लस लैन्ड है उसको एक्वायर करना चाहते हैं। आज इस श्रेणी में बीच का साधारण किसान आता है। सरकार को यह परवाह नहीं है कि किसान के पास जमीन रहे या न रहे वह कोआॅपरेटिव फॉर्मिंग के नाम पर उस जमीन को अपने अधिकार में लेना चाहती है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसान के दिमाग में यह जो अनिश्चितता है उसको दूर करना होगा । हम समाजवादी नीति में विश्वास करते हैं इसके बावजूद भी को-ऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के नाम पर किसानों का जमीन से मालिकाना हक हटाकर सरकार ज़मीन लेना नहीं चाहती, इस प्रकार की घोषणा सरकार की ओर से नहीं होती है तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा । आज किसान के मन में सन्देह है इस वजह से अपना इन्वेस्टमेन्ट वह खेती में नहीं करना चाहता, वह देखता है, मैं अपना इनवेस्टमेन्ट इसमें क्यों करूं क्योंकि आखिर जमीन तो सरकार लेगी । तो वैसी हालत में जो इस प्रकार सन्देह किसान में आज व्याप्त है वह दूर नहीं होता, हमारा उत्पादन बढ़ नहीं सकता । आज किसान हर चीज के लिये सरकार की ओर देखता है, बीज लाना हों तो वह देखता है । सरकार से तकावी मिलेगी तो बीज लाया जायगा । कुआ खोदना होता है तो वह सरकार के अनुदान की ओर देखता है । पंचायत समिति में कब तकावी आती है वह तकावी पर निर्भर करता है । इस तरह से वह अपना इन्वेस्टमेन्ट अपने आप में नहीं करना चाहता । इस स्थिति में किसान को सरकार के ऊपर निर्भर बना दिया गया है । मैं ऐसा समझ कर चलना चाहता हूं कि किसान का इनीशियेटिव खत्म करने के लिये यह बहुत बड़ा फेक्टर तैयार हुआ है । पहले उसको बीज खरीदने का, कुआ बनाने का खुद का इनीशियेटिव होता था कि वह जमीन पर पैदावार बढ़ावेगा तो उसका फायदा उसको मिलेगा । आज सरकार ने किसान को अपने इनीसियेटिव द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय सरकार पर ज्यादा निर्भर बना दिया है, इस तरह से धीरे धीरे किसान को जो सरकार ने अपने चंगुल में फंसा लिया है , जब तक उनको उनके खेत पर मालिकाना हक प्रप्त नहीं होगा और जब तक अनसर्टेन्टी बनी रहेगी तब तक उत्पादन में वृद्धि होना नामुमकिन है ।

राजस्थान में पानी की कमी है, यह हम सब मानकर चलते हैं । दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान का इर्रिगेशन पोटेन्शियल है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं । राजस्थान में चम्बल का पानी है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं होता हैं । करोड़ों रुपया आपने चम्बल डैम पर खर्चकर दिया, लेकिन केनाल का उपयोग नहीं हो पाता । जिस समय यह योजना बनी तब से आपके दिमाग में यह बात थी कि जब यह योजना कम्प्लीट होगी राजस्थान में पांच लाख एकड़ की अधिक की सिंचाई होगी । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप जो भी टार्गेट्स बनाते हैं जिस समय यह योजना कन्स्ट्रक्शन में थी, डैम अन्डर कन्स्ट्रक्शन था उस समय मैंने एक बार नहीं, बीसों बार यह कहा था कि आपका एग्रीक्लचर डिपार्टमेन्ट एग्रीक्लचरिस्ट के बीच में जाकर उत्पादन बढ़ाने के संबन्ध में उनको जानकारी दे, उस समय आपको उनके दिमाग में से जो भय पैदा हुआ है इस डैम के बन जाने की वजह से वह उसी समय निकाल देना चाहिये और सिंचाई के साधन धीरे-धीरे उनको ऐसे बताये जाते जिससे वे पूरा डैम बन जाने पर उसके पानी का वे पूरी तरह से लाभ उठा सकते । लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इर्रिगेशन पोटेन्शियल होते हुए भी फुल युटिलाइजेशन उसका हो, इस ओर कार्यवाही नहीं की गई । आपने कुछ टार्गेट्स बनाये, आपका डैम जो वर्षों से निर्माण में चल रहा था उस समय के

(श्री भैरोंसिंह)

अन्दर आपके विभाग ने किसानों के बीच में जाकर यह बताया है कि फलां तारीख तक डेम बन जायगा, तब हमें पानी का उपयोग करना है हमारी सरकार इस संबन्ध में किसानों को शुरू से प्रेरणा देती तो इस प्रकार के टार्गेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। वाटर पोटेन्शियल का युटिलाइजेशन हो जाता है तो आज जो दिक्कतें हैं वे दिक्कतें नहीं होतीं। जो मीडियम और माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं उनका भी यूटीलाइजेशन नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, अशोक महता ने फूड ग्रेन्स एन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट में सारे फेक्टरों की जांच करने के बाद सलाह दी कि जहां जहां नये वाटर रिसोर्सेज क्रिएट किये जाते हैं उनको रेवेन्यू के सोर्स बनाकर प्रारम्भ में न चलें, बल्कि प्रारम्भ में किसानों को इन्सेन्टिव देने के लिये वाटर चार्ज, बेटरमेन्ट लेवी देने की स्थिति में न लावें। चार-पांच साल बाद में आप उन पर कुछ लगावें तो यह समझ में आ सकता है। इसका वैसे कोई बहुत महत्व नहीं है, पर साइकोलोजिकल असर किसान पर बहुत पड़ता है। जहां आज लगान का वह १॥) रु० देता है वहां ४), ६) रुपया हो जाता है तो किसान यह देखता है और संकोच करता है आपका पानी लेने में। सबसे बड़ा कारण यह है। तो शुरू में ही आप किसानों को टैक्स करके पानी का पूरा प्रयोग करने से न रोकें।

मैं कहता हूं कि बाकी आपको कई बातों में घाटा होता है और आप उनकी पूर्ति करते हैं। आप इसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। पर मैं कहता हूं आप किसानों को रिलीफ देंते और उसका उत्साह और उमंग बढ़ावें और इसके बीच में जो फेक्टर है उसको रिमूव कर दें। किसान आज उत्पादन बढ़ाने का इच्छुक है। वह पानी लेने के लिये इन्कार नहीं करेगा।

हमारी तीसरी योजना में प्लान के खर्च का टार्गेट ४७१ लाख है। कोर में कम किया २०० से। पहले ६५६ लाख था। मैंने फिगर देखे ६१।६२, ६२।६३ और ६३।६४ के। सितम्बर महीने तक आपका खर्चा कम हुआ। जितना करना चाहिये नहीं कर पाये। परिणाम यह हुआ कि हमारे दिमाग में प्रोजेक्ट टार्गेट अचीव करना, प्लान की मंशा वह है या नहीं, यह अलग बात है, पर हमारी सरकार यह मानकर चलती है कि ६५६ लाख का जो प्रोवीजन है वह सारा का सारा खर्च कर देते हैं तो पूरा टार्गेट अचीव कर लेंगे। यह गलत परम्परा है। हम खर्च कर सकते है। कोई विशेष दिक्कत इसमें नहीं आवेगी, पर इसके आधार पर जो अचीवमेन्ट होने चाहिये वे नहीं होते तब तक खर्चा बेकार है। आप किसी भी मद को उठा कर देखें। फूडग्रेन के लिए आपने कहा कि १६ लाख टन का एडीशनल टार्गेट है। वह पूरा होता है या नहीं ? इसके लिये फिगर हम देखें तो ६१ से ६३ तक ४.३५ लाख बढ़ने की बात कही। ६३-६४ में ३.४ बढ़ा, ६४-६५ में ४.३२ का अनुमान है। मेरी समझ में नहीं आया। आप एक तरफ कहते हैं ६३-६४ में अकाल पड़ गया। गंग केनाल से पानी नहीं मिला, ४४ हजार मैट्रिक टन का इसलिये उत्पादन कम हुआ और यह भी मानकर चलते हैं कि खरीफ के समय चूंकि बारिश नहीं हुई तो रबी की फसल पर भी इसका असर पड़ा, यह भी कहते हैं कि चम्बल के वाटर पोटेन्शियल का भी पूरा उपयोग नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कर पाये, तो इन सबके बावजूद आप किस आधार पर ये आंकड़े तैयार कर सके कि ६३-६४ में टार्गेटउत्पादन का जो था वह पूरा हो गया। मैं प्रश्न करता हूँ कि यदि आपके टार्गेट पूरे हो गये अकाल और पानी की कम सप्लाई के बावजूद, तो फिर आज यह मंहगाई क्यों हो रही है? अनाज कहां जा रहा है? तो आपके ये सारे आंकड़े गलतफहमी पैदा करते हैं! फिर बह भी है कि जितने टार्गेट आपने फिक्स किये हैं एडीशनल फूड प्रोडक्शन के, तो उसमें जो अचीवमेन्ट किये हैं वे खर्चे के अनुपात में होने चाहिये। मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरह जो भी टार्गेट हैं वे खर्च के मुकाबले में कम हैं।

आपने तो कह दिया शुगरकेन की खेती होगी अमुक स्थान पर। कोटा में शुगरकेन की फसल के लिये व्यवस्था की। किसानों को कम्पेल करके भी मजबूर किया इसके लिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि गन्ने का उत्पादन हो गया तो क्या आपने उसके डिस्पोज आफ किये जाने की भी व्यवस्था की है, उसको खरीदेगा कौन? आपने आज तक इसकी इन्डस्ट्री के बारे में व्यवस्था की? यदि आप आज लाइसेन्स भी देंगे तो फैक्टरी लगाने में कितना समय लगेगा यह भी देखा? अब कह तो आपने दिया, अब किसान के गन्ने का प्रश्न आवेगा बिकने का और अगर वह बिका नहीं शुगरकेन इन्डस्ट्री तब तक डेवलप नहीं हुई और एक साल उसका गन्ना खरीदा नहीं गया तो दूसरे साल वह बोने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी हालत में किसान को उसके रॉ-मैटीरियल के प्रोडक्शन को खपाने के लिये गारन्टी आपको करनी होंगी।

अनाज के भाव बढ़ रहे हैं। एक महीने के बाद वे कम होंगे। अब स्वाभाविक रूप से किसान जब अपना गल्ला बेचने के लिए बाजार में लावेगा, तब उसे कम पैसा मिलेगा और जब उसको खरीदने के लिए बीज आदि के लिए बाजार में जाना होगा तब मंहगा हो जावेगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या किसान को यह गारन्टी नहीं दे सकते कि प्राइस इन्डेक्स इस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ सकेगा, तुम्हारे खरीद और बेचने के बीच में मार्जिन इससे ज्यादा नहीं होगा? वह गारन्टी आप नहीं देते। किसान के दिमाग में संशय होता है कि आर्थिक स्थिति उसकी खराब करने के लिए सरकार इस तरह उसे मजबूर कर रही है कि वह अपना प्रोडक्शन सस्ते भाव पर सरेन्डर कर दे कोआँपरेटिव सोसायटियों को और अगर ज्यादा आर्थिक हालत बिगड़े तो वह सरेन्डर कर दे अपने खेतों को अपना मालिकाना हक और कोआँपरेटिव सोसायटियां बनाकर, अपने मालिकाना हक उसके सुपुर्द कर दे। आप किसी गांव में चले जाइये। गंगानगर से अच्छा बीज आता है, पर हर जगह वह नहीं पहुंचता। आज बाजरे का बीज गंगानगर से आता है, सीड मल्टीपिलकेशन बोर्ड १५ बनाने वाले थे आप, पर दो बनाये। पंचवर्षीय योजना की बात को कम्पलीट नहीं कर पाये। आवश्यकता है आज अच्छा बीज किसान को दो, पर नहीं दे पा रहे हैं। आपका कलेक्शन का मेथड गलत है। एग्रीकल्चरिस्ट आँफिसर थ्योरिटीकली जानता होगा, पर किसान का माइन्ड समझकर उसके माइन्ड को स्टडी नहीं कर पाया। इसलिए आज वह आपके पास से बीज नहीं खरीद कर बाजार से खरीदना ज्यादा ठीक समझता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को सीड मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किसानों के ग्रुप बना कर जिस जगह का अच्छा बाजरे का बीज

(श्री भैरोंसिंह)

होता है, गेहूँ का बीज होता है उनको ले जा कर बतावें कि तुम्हें यह पसन्द है क्या ? अगर पसन्द है तो उस क्रॉप को पूरा खरीद लो और उसे उस क्षेत्र के लिए रिजर्व रख लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इससे किसान राजी होगा, उसको सस्ता बीज मिलेगा, अच्छा मिलेगा और परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा। पर आज होता यह है कि बीज आप खरीदते हैं मण्डियों में से। उसके प्रति किसान की आस्था नहीं है, इसलिए फिर उसका दुरुपयोग होता है। वह बीज खेतों में नहीं, पेटों में जाता है। सरकार फिर कहती है उसने बीज बांट दिया।

इसी तरह फर्टीलाइजेशन की बात है। आप डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे पाये। यह देना पड़ेगा। गलत अफवाहें चल रही हैं लोगों में कि इसके कारण पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। यह तो सही है कुछ अंशों में। पर यह भी अफवाह है कि इसके कारण फसलें नष्ट हो जाती है या हो सकती हैं, इस प्रकार के फैक्टर जो उसके दिमाग में बैठ गये हैं उनको निकालने के लिए आपको हर क्षेत्र में डिमॉन्स्ट्रेशन देना होगा। आप अपने फार्म खोलें, इसकी भी इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आप किसी किसान को एक एक क्षेत्र में एन्करेज करिये कि तुम गवर्नमेंट के खर्च पर और उसकी देखरेख में फर्टीलाइजर का उपयोग करो। उस फर्टीलाइजर का जिस समय उपयोग किया जाये, बाकायदा गांव के किसानों को इकट्ठा किया जाये, उनके सामने उपयोग हो कि कैसे, उसकी सिंचाई होती है उसके सारे साधन उसको बताये जायें, उसकी नोलेज दी जाये और जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहां के किसान उस फर्टीलाइजर के प्रति अपनी आस्था रखकर उसका उपयोग करने के लिए तैयार होंगे। कोई किसान पंचायत समिति में चला गया, जिला परिषद् में चला गया और फर्टीलाइजर ले आया। बोरियों की बोरियां भरी हुई किसानों के पास पड़ी रहती हैं। आपके वी० एल० डब्ल्यू गांव में जाता है और पूछता है कि तुमने इस फर्टीलाइजर का प्रयोग क्यों नहीं किया तो किसान कह देता है कि अगली फसल में करेंगे। दूसरी साल फिर कह देता है कि अगली फसल पर करेंगे। इस प्रकार से किसानों के पास गांवों में फर्टीलाइजर की बोरियों की बोरियां भरी पड़ी रहती हैं और आपका वी० एल० डब्ल्यू० आपको फिगर्स बना कर दे देगा कि हमने इतना फर्टीलाइजर दिया, इतना मेन्योर दिया, इतना सीड दिया और इतने एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किये और वही फिगर्स आप यहां कह देंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जायें जिसको आप बैस्ट सिलेक्टेड विलेज मानते हैं, गवर्नमेन्ट मानती है वहां चले जायें, आप नहीं कह सकते कि राजस्थान में कोई आदर्श गांव है जिसमें फर्टीलाइजर का प्रयोग हुआ हो, जिसमें सरकार ने सस्ते दामों पर बिजली दी हो। आप यह नहीं कह सकते कि गांव के अन्दर जो भी बीज दिया है उसको जमीन में डाला गया है: आप सिर्फ फिगर्स के ऊपर विश्वास करते हैं। सारे आंकड़े बना कर दे देंगे कि इतना हुआ।

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि पर-एकड़ ईल्ड बढ़ती है या नहीं, लेकिन हमने ज्यादा जमीन को अण्डर कल्टीवेशन लिया है, इसलिए हमारी ईल्ड बढ़ी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा जमीन को अण्डर कल्टीवेशन में

(श्री भैरोंसिंह)

लेकर आप पैदावार अधिक बता दें तो यह हमारे प्लान की मन्शा नहीं है। योजना के अन्दर ६०० लाख रुपये खर्च करने की बात भी नहीं है। जमीन जब ज्यादा जुताई में आयेगी तो यह नेचुरल है कि प्रोडक्शन बढ़े। मैं एक बात जरूर कहूं कि माननीय कृषि मंत्री जरूर कहते हैं कि हमने पड़त जमीन काश्त के नीचे ली, इसलिए पर-एकड़ ईल्ड हमारी गिरी। मैं आपको बताऊं कि यदि आप कृषि का थोड़ा बहुत भी अनुभव रखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि पड़त जमीन को हम जोतते हैं तो उसमें बाकी के जमीन से ज्यादा पैदावार होती है। आज आपने उस जमीन में हल बोया है तो उसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। बिना खाद डाले ही ज्वार, बाजरा और मक्का पैदा हो जावेगी।.....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): गेहूं की पैदावार बढ़ेगी या घटेगी?

श्री भैरोंसिंह: बिना सिचाई के गेहूं पैदा नहीं होता, यह सब लोग जानते हैं। लेकिन पड़त जमीन में जहां बिना बरसात के गेहूं पैदा होता है वहां पड़त जमीन हो तो आप मान कर चलिये कि गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। आज सरकार जो उल्टा दृष्टिकोण लेकर चलती है और हम सबको भ्रम में डालने की कोशिश करती है मैं समझता हूं कि यह गलत है। आप किसी भी पड़त जमीन को देख लें, आस-पास की जमीन बारानी है तो उस पड़त जमीन में पैदावार बढ़ेगी, चाही है उसमें भी बढ़ेगी। बल्कि गांव में तो कहते हैं कि यह तो नोतोड़ जमीन की पैदावार है और यह साधारण जमीन की है। नोतोड़ की जमीन की पैदावार ज्यादा नजर आयेगी। मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए इन चीजों की डिमान्सट्रेट वैल्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको समझकर गांव गांव में यूनिट बनाकर एक काश्तकार को सिलेक्ट करें, उसको आदर्श खेत का रूप देकर जब तक आप डिमोन्स्ट्रेशन नहीं देंगे तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती। आपके वी०एल०डब्ल्यू०, आपके एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर्स, बी०डी०ओ० किसी प्रकार से ईल्ड बढ़ाने में कारगर साबित नहीं हो सकते। आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स की तो ऐसी हालत है कि जिसके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एग्रीकल्चर फील्ड गवर्नमेन्ट के होंगे वहां तो इम्प्लीमेन्ट्स जरूर पड़े होंगे लेकिन किसानों के पास कोई इम्पलीमेन्ट्स नहीं हैं, वह आज भी अपना वही पुराना तरीका काम में ला रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यह अच्छी चीजें हैं उनको लागू करने के लिए किसानों के दिमाग में आप विश्वास पैदा कीजिए। विश्वास किसान नारों से नहीं करेगा, विश्वास किसान भाषणों से नहीं करेगा, विश्वास किसान उसके सामने आदर्श रखने से नहीं करेगा। किसान प्रत्यक्ष में अपनी आखों से जब अच्छी चीज को देखेगा तो उसको उसे मानने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी।

दूसरा प्रश्न आता है एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट के बारे में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट है, उसमें खर्च भी खूब है। बीमारियों का इलाज भी करते हैं। आज कोई यह कह सकता है कि

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान में हमने गायों की नस्ल को सुधारा है, भैंस की नस्ल को सुधारा है. भेड़ों की नस्ल को सुधारा है या बाकी के जानवरों की नस्ल को सुधारा है ? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक फिगर पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ३ करोड़ ३५ लाख पशु हैं, उनकी हालत को सुधारने के लिए इन्जेक्शन्स काम के नहीं हैं। केवल आप इन्जेक्शन लगाकर उनकी बीमारियां दूर कर दें, इससे काम नहीं चलता। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने की विलेज सेन्टर्स खोलने के बावजूद और बुल्स प्रीमियम स्कीम को लागू करने के बाद में भी कितने गांवों में बुल्स प्रोवाइड किये ? कितने गांवों में की-विलेज स्कीम में अच्छी नस्ल सुधारने के बारे में उसका उपयोग हुआ है। यह किताबों में लाने से काम नहीं चलेगा, फिगर्स के बताने काम नहीं चलेगा। आज आप गांवों में चले जाइये, आपको गांवों में सब प्रकार के जानवरों की वैराइटी मिलेगी और सब प्रकार की वैराइटी मिलने का कारण यह है कि आपका आउटलुक केवल फिगर्स देने का है, वास्तव में नस्ल सुधारने पर नहीं है। आपने जितने भी डेयरी फार्म खोले हैं क्या कह सकते हैं कि जिन डेरी फार्म्स के लिए हमने रुपये दिये, लोन दिये जो कुछ भी सहायता दी जा सकती थी वह दी। जमीन दी आप बता सकते हैं यदि एक डेरी फार्म भी राजस्थान में कोई सफल हुआ हो ? आपने भेड़ों के लिए अलग अलग सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं। आपने लोगों में इतनी आदत जरूर पटकी है कि लोग भेड़ पालें। क्या आपने इस बात की भी जांच की कि सन् ५२ से लेकर आज तक कितने लोगों ने भेड़ रखने की आदत बनाई थी और आज भी चल रही है ? जो पहले के काश्तकार भेड़ें रखते थे उनको तो छोड़ें, लेकिन नये लोगों में कितनों को आपने भेड़ पालने के लिए प्रेरित किया कि भेड़ें पाली जायें और उन नये लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी पाल रहे हैं। ५२ से इस तरह का नम्बर तो जरूर बढ़ा है, लेकिन वास्तव में सोसाइटी होल्डर्स के पास भेड़ें हैं क्या ? भेड़ों का तुरन्त इलाज नहीं हो पाता है, भेड़ों के रखने के बारे में जो साइन्टिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए वह नहीं है और अगर हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलकर ऐसी ट्रेनिंग दें तो जिस भाषा में किसान समझ सकता है वह चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मेवाड़ी हो, चाहे उदयपुर की भाषा हो, उस भाषा में पशुपालकों को किसी प्रकार की जानकारी दे सकते हैं उस प्रकार की बुकलेट लोगों के पास हमें भेजनी पड़ेगी; भेड़ों में क्या बीमारियां होती हैं, किस प्रकार से उनको दूर किया जाये, किस प्रकार से उनकी नस्ल सुधार सकते हैं; यह सब हमको बताना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सरकार इस संबंध में लोगों को जानकारी नहीं दे पायी है, उसका रिज़ल्ट यह है कि आज पशुओं की स्थिति स्टेन्डस्टिल है। हमें बुल्स डिस्ट्रिब्यूशन के कुछ आंकड़े बताये गये लेकिन ३ करोड़ पशुओं को आप सुधार सकें यह सम्भव प्रतीत नहीं होता आपकी बुल प्रीमियम स्कीम फेल हुई है, आपकी की विलेज स्कीम फेल हुई........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह ३ करोड़ का जो आप फिगर दे रहे हैं यह कहां से लाये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह इस डायरी में से निकाला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप दे दें।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं अभी दे दूंगा । तीन करोड़ सेंतीस लाख हैं इसमें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बता दें ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें हैं, (किताब दिखा कर) वह निकाल रहा हूँ: सारे जो जानवर हैं वह ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे जानवरों का जो फीगर दिया है वह तीन करोड़ का दिया है, वह मैं जानना चाहता हूँ । जो सेन्सस रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे राजस्थान में कुल संख्या १ करोड़ ३२ या ३३ लाख है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पशुपालन विभाग की प्रगति रिपोर्ट जो आपने भेजी है उसके पेज नं० ९ पर है, उसका आप मुहालिजा कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : पहले आप देख लें तो इसका फैसला हो जाय कि जो इसमें फीगर्स दिये गये हैं वे सही हैं या जो आपने फीगर्स कहे हैं वे सही हैं ।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज कर रहा था कि इन सब चीजों का असर क्या पड़ता है । एक तरफ तो उद्योग खत्म हो गया है, गांवों की कॉटेज इन्डस्ट्री खत्म हो गई है, ऑक्युपेशन का पैटर्न बदला नहीं तो उन सब चीजों का असर राजस्थान की इकोनोमिक्स पर पड़ा है, और राजस्थान की इकोनोमिक्स पर जब असर पड़ता है तो किसान भी दुःखी है और किसान पर निर्भर रहने वाली जनता भी दुःखी है । इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि फिज़ीकली किन चीजों का उपयोग किस प्रकार से हो सकता है इस सम्बन्ध में इस डिपार्टमेंट का रिओरियेन्टेशन किया जाय । डिपार्टमेंट में रिओरियेन्टेशन्स सारे के सारे होंगे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेक्टिकल पर्पजेज़ के लिए डिपार्टमेन्ट की तरफ से अब तक ढिलाई हुई है, प्रेक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देने में डिपार्टमेन्ट की तरफ से ढिलाई हुई है, किसानों को इनिशियेटिव एन्करेजमेन्ट देने में आपके डिपार्टमेन्ट की ढिलाई हुई है, और उस ढिलाई का रिज़ल्ट यह निकला है कि आपका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, आपकी पर-एकड़ एवरेज ईल्ड गिरती जा रही है । किसानों के पास इस कारण से सेविंग नहीं है । राजस्थान स्टेट की पर केपिटा इन्कम गिरती जा रही है । उन सब परिणामों का यदि आपको मुकाबला करना पड़ता है तो आपको नीति यह पहले बनानी पड़ेगी कि जो भी नीति होगी वह किसानों के हित में होगी । उनके हित की नीति का पालन करने के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को औरों के मुकाबले में ज्यादा महत्व देंगे । इसलिए यह आवश्यक है कि किसानों के ऊपर जो बर्डन ऑफ टेक्सेशन है उसमें उसको रिलीफ दी जाय, ताकि उसके पास सेविंग हो सके और अपने सेविंग को इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ाने में मददगार हो सके ।

जो कुछ भी पशुधन है उस पशुधन को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, उस सम्बन्ध में केवल सरकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करूंगा । यों तो आपने जो कुछ किया है फिशरीज पर किया है, पोलट्री पर किया है, फिशरीज़ पर आप खर्च करते हैं । ये सारे

(श्री भैरोंसिंह)

आइटम्स आपके चल रहे हैं । खच्चर, ऊंट, घोड़े, गधे सब पर आपने किया है ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह सकते हैं कि इसमें पिगेरीज़ में तरक्की की है, घोड़ों की नस्ल सुधारने में तरक्की की है, ऊंटों की नस्ल सुधारने में तरक्की की है; आपने तरक्की यह की है कि जिनके चरने के लिए जगह थी वह जगह खत्म कर दी । यह धन नष्ट होता जा रहा है । लोग ऊंट नहीं रख पाते, लोग घोड़े नहीं रख पाते, खच्चर नहीं रख पाते, पिगेरीज़ नहीं रख पाते हैं । आपने पिगेरीज़ में क्या तरक्की की है ? गांवों में भंगी पहले ही पिगेरीज करते थे । आप बताइये कि कितनी पिगेरीज़ आपने ऐसी साइन्टिफिक वे में खोल दी हैं ? कुक्कुटशालाओं के पक्ष में हो सकता है कि बहुत सी खोली हों । तकावी लेने की दृष्टि से खोली हों । कुक्कुटशालाएं वहां पर वास्तव में एन्करेजिंग स्थिति में हों तो कहें कि तरक्की की है । अव्यवस्थित रूप से काम चल रहा है । कोई नस्ल नहीं सुधरी है । गावों में जाकर देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि आज भी यह राजस्थान वही राजस्थान है । नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में चराई के कारण एक बहुत बड़ा फेक्टर पैदा हुआ है । राजस्थान की इकोनोमी पर असर करने वाली बहुत बड़ी चीज है यह पशुधन, लेकिन बदकिस्मती से राजस्थान के अन्दर अकाल में पशुधन को बचा नहीं पाते, अकाल के बाद उनको चराने की व्यवस्था नहीं कर पाते । जो कुछ भी जमीन है उसको आप ऐसा करते हैं कि हल के नीचे लाया जायगा तभी राजस्थान की समस्या का हल होगा । इस कारण से हम राजस्थान के जानवरों की चराई लिए पर्याप्त भूमि नहीं छोड़ते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी खत्म करता हूँ ।

आप कम से कम उनके लिए एग्रीकल्चर लैण्ड में लाने की कोशीश नहीं करेंगे; आप चराई की व्यवस्था करेंगे, उस चराई की व्यवस्था से जो राजस्थान को इन्कम होने वाली है वह जमीन की काश्त से नहीं होगी । जितने जानवरों को उसमें चरा कर जो कुछ पशुधन बढ़ेगा उसका असर राजस्थान की इकोनोमी पर भी पड़ेगा, किसान की इकोनोमी पर भी पड़ेगा । उस इकोनोमी को खत्म करने के लिए किसान के सामने यह समस्या खड़ी कर दी कि २० भेड़ें तो रख लूंगा लेकिन उनको चराऊंगा कहां ? १०० जानवर भी रख लूंगा लेकिन चराऊंगा कहां ? गंगानगर के लिए और कोटा के लिए आप कह सकते हैं कि वह एग्रीकलचर लैण्ड है जिस पर कि सिंचाई होती है तो इस प्रकार की जमीन रखने को तैयार नहीं हैं, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में और नागौर, पाली में जहां कि सिंचाई नहीं होती है वहां पर उन लोगों की चराई की समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? कोई व्यवस्था नहीं है । वहां के पशुधन का ह्रास हो रहा है । उसके ह्रास होने के कारण से किसानों की इकोनोमिक स्थिति गिर रही है । उसकी स्थिति गिरने पर भी उस पर टैक्स लगायें तो टैक्स लगाने पर किसानों के पास में सेविंग नहीं रहती है, और सेविंग नहीं होने के कारण अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान सर—

(श्री भैरोंसिंह)

कार पर डिपेन्ड करने लग गया। उस डिपेन्डेन्ट किसान को आप पैसा देते हैं, वह आपसे बीज लेता है, खाद लेता है, इम्प्लीमेंट लेता है तो इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसान के हाथ में से छीनकर अपने हाथ में लेलेंगे यह सब से मुख्य कारण है कि किसान अपने साधनों से एग्रीकल्चर उत्पादन को और पशुओं के उत्पादन को आगे बढ़ाता आ रहा था उस उत्पादन में कमी आई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी नीति में इस आधार पर परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ में मैंने कटौती-प्रस्ताव इस अभिप्राय से रखा है कि कृषि के आधुनिक साधनों का पूर्ण रूपेण प्रचार नहीं हो पाया है। कृषि-उत्पादन की कमी का मुख्य कारण में इन कृषि-यन्त्रों का ठीक तरह से प्रोत्साहन नहीं हो पाया है उसको मानती हूँ। आज भी हमारा किसान उन्नत बीज के उपयोग में और सुधरे हुये औजारों के उपयोग में तथा रासायनिक खाद के बारे में उतना ही अनभिज्ञ है जितना कि आज से २० वर्ष पूर्व था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आपकी जो यह पुस्तक है उसके पेज ५३ पर लिखा है कि ३,३५,००,००० पशुओं की संख्या है मतलब यह है कि यह सब आ गये।

श्रीमती गौरी पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारा ग्राम किसान अपने उन्हीं पुराने बैलों के साथ पीढ़ियों से चले आ रहे हैं खेती करके अपना गुजारा करता है। इसलिये मैं इसके लिये जिम्मेवार अपने कृषि विभाग की निष्क्रियता समझती हूँ। अधिकारीगण समय समय पर प्रदर्शन करके ग्राम किसानों को समझाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आज हमारे पंचायत समिति लेवल पर जो प्रसार अधिकारी हैं, वे देखने में ऐसा आता है कि केवल गांवों में घूमकर टी० ए०, डी० ए० की कमाई पर विश्वास करते हैं बनिस्बत इसके कि ग्राम किसानों तक उनकी पहुंच हो और अपने आधुनिक कृषि-यन्त्रों का प्रदर्शन करके उनमें प्रचार करें। इसलिये आज ग्राम किसान की वही हालत है जो कि २० वर्ष पहले थी। क्या हुआ कि २-४ किसान हर गांव में ऐसे हों कि आधुनिक यन्त्रों से खेती करने लगे हों। उससे हमारे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस तक नहीं पहुँचने के और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे अकाल है इत्यादि, सुधरे हुए इम्प्लीमेंट मिलते हैं उनमें कमी रह जाती है। उनकी मरम्मत के लिये किसानों के लिये पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। यह कई खामियां रहने के बावजूद जो सबसे बड़ा कारण है वह मैं इसी को मानती हूँ कि आज कृषि विभाग जयपुर में बैठकर या जिलों के हैड-क्वार्टर में बैठकर कागजी कार्यवाही से देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह बिल्कुल ही असम्भव है। इसलिए इसके लिए मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूँगी कि अगर हमें अपने उत्पादन के लक्ष्य तक पहुँचना है तो मैं कृषि मन्त्रीजी को आपके द्वारा सुझाव देना चाहूँगी कि वे अपने विभाग को अधिक सजग बनायें ताकि वे किसानों की छोटी-मोटी बातों

(श्रीमती गौरी पूनिया)

की ओर ध्यान दें। इसके लिए मेरा पहला सुझाव यह है कि जिला स्तर पर इस तरह के वर्कशॉप्स स्थापित किये जायं जहां पर इम्प्लीमेन्ट्स की मरम्मत हो सकें। ओर दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पंचायत समिति स्तर पर प्रदर्शन फार्म्स खोले जाने चाहियें। जिनमें समय समय पर प्रसार अधिकारी किसानों को बुलाकर, उनका सम्मेलन करके पंचायत समिति लेवल पर भी ओर गांवों में जाकर भी कृषि यन्त्रों का प्रदर्शन पूर्ण रूप से करें जिससे कि ग्राम किसान फायदा उठा सकें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अधिकतर किसान ऐसे हैं जो यन्त्रों को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके पास रुपये नहीं हैं जिससे कि वे यन्त्र खरीद सकें ओर उत्पादन बढ़ा सकें इसलिये विभाग की ओर से यन्त्र रखने चाहियें ताकि किसान उन्हें किराये पर ले सकें ओर अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

दूसरा यह सुझाव है कि एक चलता फिरता वर्कशोप होना चाहिये। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको सुविधाएं नहीं कि जिला हैड क्वार्टर पर आकर मरम्मत करा सकें। किसान यंत्र खरीद भी लेते हैं तो भी उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। प्राइवेट फर्म्स को आप ओजार बनाने की सुविधा देते हैं लेकिन कई बार वे गलत इम्पलीमेन्ट्स बना देते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है कि पंचायत समितियों में इम्पलीमेन्ट्स पड़े रहते हैं, किसान उनका उपयोग लेना नहीं चाहते हैं, जहां उल्टे हाथ की व्यवस्था होनी चाहिये थी वहां सीधे हाथ की बना दिया है इस तरह की गलतियां हो चुकी हैं। यन्त्रों से खेती करने से बहुत से लाभ होते हैं। थोड़े से समय में अधिक खेत बोया जा सकता है, किसान ओर पशुओं का श्रम बच सकता है, किसानों की ओरतों को समय मिल सकता है जिसमें वे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकती हैं। जब बुवाई कटाई का समय होता है तब तो उनका जीना दूभर हो जाता है। चोबीसों घंटों उनको काम में लगा रहना पड़ता है फिर भी उत्पादन उतना ही होता है जितने से वे अपने परिवार का पेट भर सकें। मैं तो कृषि मंत्रीजी के ध्यान में ये सब बातें लाना चाहती हूँ ओर निवेदन करना चाहती हूँ कि किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये हर तरह का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये वे अधिक से अधिक ध्यान दें ओर अपने विभाग को अधिक सक्रिय, सजग ओर जागरूक करें ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उनको अधिक गाइडेन्स मिल सकें, उनकी दशा सुधर सके ओर वे देश के उत्पादन बढ़ाने में अपना योग दे सकें।

उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कृषि विभाग से संबधित डिमान्ड पर आज जो विचार हो रहा है उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे जो कृषि मंत्री महोदय हैं उनका शुरू का पेशा काश्तकारी है। मैं उनकी तारीफ जाति के हिसाब से तो कर सकता हूँ लेकिन जब वे इस विभाग के मंत्री बन गये तो उनकी जो पहले नोलेज थी उस नोलेज के आधार पर यदि वे

Page No. 91

(श्री हीराभाई)

इसमें सफल होते तो आज राजस्थान में कृषि उत्पादन के संबंध में हमारे राजस्थान से लगाकर हिन्दुस्तान भर में जो नारा लगाया है वह बिल्कुल नाटकीय और खोखला नारा नहीं हो सकता था ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि लोग कहते हैं कि जितना बादल गरजता है उतना नहीं बरसता । कभी कभी भड़ाम भिड़म करते हैं उसी तरह इस विभाग का एडवरटाइजमेन्ट ज्यादा से ज्यादा रहता है और नतीजे पर पहुंचे तो जीरो ही जीरो है, इसके अलावा कुछ नहीं है । इसलिये मुझे कहना जरूरी है कि माननीय उपाध्यक्षजी, यदि हम इस कृषि उत्पादन को ज्यादा न बढ़ावें तो फिर राजस्थान के नागरिकों के लिये शायद और कोई उपाय नहीं है और देशों में जाना पड़ेगा । क्योंकि आज से पहले भी हम कम से कम ५० परसेन्ट या ५० टन अनाज दूसरे राज्यों से मंगाते थे वही हालत आज हो रही है । हो सकता है कि आप कहें कि कदम दिन ब दिन बहुत बढ़ा रहे हैं लेकिन आपको यह भी जानना चाहिये कि राजस्थान में पहले कितनी आबादी थी और आज कितनी आबादी है । पहले कितना भाग जमीन का काश्त होता था और आज कितना भाग काश्त होता है । इस सब को देखें तो आपको पता चलेगा कि हम पहले जहां थे वहीं के वहीं आज भी हैं । कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । हम दोनों जूण खा भर लेते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि विभाग के अधिकारी निकम्मे हैं । पंचायत समितियों के स्तर पर, जिला स्तर पर जो अधिकारी है वे भी ऐसे ही हैं, और राजस्थान स्तर पर भी ऐसे ही हैं, उनमें इनी लापरवाही की उसके बारे में कहा नहीं जा सकता । यदि लापरवाही नहीं है तो उनको अनुभव या नालेज नहीं है और जितने कृषि प्रसार अधिकारी डी. एफ. ओ ......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मोडल) : यह डी०एफ०ओ० कहां से आ गया ?

श्री हीराभाई : डी० एफ० ओ० नहीं, जिला कृषि अधिकारी, बी० डी० ओ० ग्राम सेवक और स्थानीय पंचायत समिति के कृषि प्रसार अधिकारी ये सारे लोग ऐसे ही हैं । आज आपकी दृष्टि से यह देखते हैं कि हमारे विभाग के लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन मैं साफ शब्दों में यह कहूंगा कि ये बिल्कुल अनुभवी नहीं हैं और अयोग्य हैं क्योंकि इनको कृषि कार्यक्रम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । ये ग्रामों में जाकर लोगों को बता नहीं सकते और आज तक टारगेट्स नहीं बताये हैं कार्य करने के लिये । मै समझता हूं ये लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेन्ट ने ६ महीने या साल भर या दो साल ट्रेनिंग दी, सरकार ने धन खर्च किया, जबर्दस्ती नौकरी पर लगाया और नौकरी लगनेके बाद मजा उड़ा रहे हैं इसके अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया । इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इनको नोलेज नहीं है । मैं समझता हूं कि शिक्षा इनकी अच्छी होगी, पढ़े लिखे होंगे, दूसरे कार्यों में मजबूत होंगे । मैं यह नहीं कहता कि वे अयोग्य हैं या अनसमझ हैं लेकिन खेती के काम में ये जेन्टलमैन लोग काम नहीं कर सकते और न खुद जानते हैं । वे बाहर जाते हैं तो पंचायत समितियों में एक दो दिन दौरा करके अपना भत्ता कमाते हैं । भत्ता सीधा करने के अलावा गांवों में इन्होंने

(श्री हीराभाई)

कोई एक्शन नहीं लिया, इनको टार्गेट फिक्स करके नक्शा देना था कि किस पंचायत समिति में कितनी काश्त होती है, इतना उत्पादन हो रहा है, इतना उत्पादन हो सकता है यह सब आंकड़े देने थे तभी बी० डी० ओ० काम कर सकते हैं। आप खुद नहीं जानते इसलिये जो वे बता देते हैं उसको सही मान लेते हैं। इसी से तो हमारा देश बरबाद हो गया। अपने वहां के स्थानीय लोगों को तैयार करके इस काम को अच्छी तरह से चलाना चाहिये। यह काम जैन्टलमैन लोगों के काबू में आना वाला नहीं है। ये कुछ जानते नहीं हैं। इनसे यह काम कभी नहीं होगा। इसके लिये तो एक तरीका हो सकता है वह यह कि हरेक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर यह करना चाहिये कि वहां पर भूमि सेना भर्ती की जानी चाहिये और जितने बेकार लोग हैं उनको वहां पर ५०) या जो निश्चित करें उस तरह का वेतन देकर तमाम ऐसे लोगों को खेती के काम में लगाना चाहिये, काश्त करने के लिए उनको लगाना चाहिये तभी जाकर हमारे यहां खेती का उत्पादन ज्यादा बढ़ सकता है. नहीं तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है।

(१२.०० मध्यान्ह)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कि आप लोगों ने इस बात को माना है कि जमीन नहीं है और अभी अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जो बोल गये कि बात भी सही है लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि जो आदमी खुद खेती नहीं करे उसको हजारों एकड़ की तादाद में जमीन आपने दे रखी है और उसमें कोई पैदावार नहीं होती और झूठ मूठ यह कह दिया जाता है कि वहां पर पैदावार उस जमीन में होती है क्योंकि तीन वर्षों तक अगर जमीन पड़त पड़ी रहे तो गवर्नमेन्ट उसके बारे में ओब्जेक्शन उठा देती है। इस ओब्जेक्शन से बचने के लिये झूठें इन्दराज कर दिये जाते हैं कि इसमें काश्त होती है। कई जमीदारों के पास बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं। आप यह कहते हैं कि ३। करोड़ एकड़ जमीन की काश्त आपके यहां पर की जाती है मगर मैं यह कहूंगा कि सही तौर से आप देखें तो आपको मालूम होगा कि दो करोड़ एकड़ से ज्यादा काश्त नहीं होती हैं. आप कहते हैं कि इससे आमदनी ज्यादा होगी। मुझे इस बात से दुश्मनी नहीं है, चाहे जमीन मिनिस्टर साहब के पास ज्यादा रहे या मेरे पास जमीन ज्यादा रहे मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हल हल पर हाथ लगा कर और पसीना ऊपर से नीचे लेजाकर खेती करते हैं तो खेती होगी, नहीं तो नहीं। इसको राजस्थान के राज्य अधिकारी समझ नहीं पाते और कुर्सियों पर बैठने वाले और पंखों के नीचे बगलों में बैठने वाले हाली और नोकरो से खेती कराते हैं तो कतई खेती नहीं करेंगे और न उससे आपको लाभ होगा। चाहे कोई भी हो। चाहे वह जमीदार हो चाहे जागीरदार हो। मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां के जागीरदारों ने भी ट्रेक्टर आखिर मे वेच दिये हैं खेती आपको करनी है और आप यह चाहते हैं कि उससे आपको फायदा हो तो नोकर आपको कभी खेती करके लाभ नहीं दे सकता। इसलिये खेती हो तो खुद करें। कहते हैं कि "खेती मर्दों से तो नहीं तो जावे दुगलों देती'। उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग का कानून है अगर आप उसमें किसी को राजी रखना चाहें तो भले ही रखें लेकिन जिन्होंने जबर्दस्ती जमीन पर कब्जा कर रखा

(श्री हीराभाई)

है उन जमीनों को भूमिहीनों को दिलादी जावे ताकि इससे आपके खेती की आमदनी बढ़े।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि फसल के लिये जिस तरह से मनुष्य के लिये तीन चीजें जरूरी होती हैं उसी तरह से इसके लिये भी तीन चीजों की जरूरत हैं। मनुष्य के लिये पानी, रोटी और कपड़ा—ये तीन चीजें जिस तरह से जरूरी होती हैं उसी तरह से खेती के लिये भी पानी और सफाई व उसके बाद खाद की जरूरत रहती है। खाद से उसका पेट भर जाता है और सफाई हो जाती है और उसको पानी पिलाया जाता है तब उत्पादन हो सकता है। लेकिन अगर यह मान कर चलते हैं कि हमारी मरू भूमि है राजस्थान की सूकड़ जमीन है और कभी आप यह कहते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली है। समझ में नहीं आता कि वास्तव में बात क्या है। जब आप पूरी तरह से कहते हैं और आपको अनुभव हो गया कि लोग बढ़ गये हैं और जमीन कम है एक बीघा जमीन में ७५ आदमी बसेंगे तो सूकड़ जमीन में पैदा नहीं होती। जमीन तो जो है सो है मगर जब तक हम हर जगह जो जमीन पर पानी बह कर जाता है उसको तमाम को नहीं रोकेंगे सूकड़ इलाके की जमीन को ठीक नहीं कर सकेंगे। सूकड़ इलाके को तीन तीन बार सियालू, चौमासू और उनालू फसल तभी ले सकेंगे जब हम पानी उनको दे सकेंगे और तभी जाकर दो दो तीन तीन बीघा से लोगों का पेट भर सकता है और आमदनी बढ़ सकती है वर्ना सूखी जमीन में आप कोई पैदावार नहीं कर सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा और लोग यह कहेंगे कि हमारी सरकार हमेशा झूठ कहती है। इसीलिये आप जो यह कहते हैं कि हम पैदावार ज्यादा करेंगे उस पर किसी को विश्वास नहीं होगा। जिस जगह आपने कुए निकाले हैं उसमें कम से कम एक बीघा या आधा बीघा से ज्यादा जमीन की सिंचाई नहीं होती है और अगर वह भी होती है तो कुछ समय तक के लिये और कुओं का पानी खत्म हो जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि आप नदी, नाले और बांधों को बांध दें और तमाम पानी उनमें जमा हो जावे तो उसका नतीजा यह होगा कि जमीन में तरी आ जावेगी और कुओं में भी पानी अभी नहीं है वह भी ऊपर उठ आवेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह योजना सफल हो सकती है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और बेकार जाने वाले पानी नहीं रोकेंगे, आप चाहे कितना ही धन खर्च क्यो न करें कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ आप सरकारी अफसरों पर भी अंकुश रखें। मैं यह नहीं चाहता कि सरकारी कर्मचारी गुलाम रहें। समाजवादी पार्टी का छोटे कर्मचारियों के लिये यह असूल नहीं है कि वे कर्मचारी तबाह हों। हम यह चाहते हैं कि आप उनको काम बतादे कि वे इतना काम करके बतावें। अगर वे अपने काम की सीमा पूरी नहीं करते तो अवश्य उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करनी होगी।

इसके अलावा, मैं यह कहूंगा कि अभी जैसा की एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि आपके वहां पर फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी मैंने इस बात के लिये चैलेंज दिया था और फिर भी कहूंगा कि इसके बारे में मैं कहूंगा कि काली सूकड़ जमीन में पानी जून में गिरा और बाद में

(श्री हीराभाई)

बन्द हो गया मगर उस समय तक लोगों ने फसलें बो दी थी। पानी नहीं आने से फसलें सूख गई। आखिर जुलाई में फिर वहां पर फसले बोई और १॥ महीना पानी लगातार गिरता रहे और एक दम पानी रह गया और पानी आया नही इससे फसल अधकचरी होकर सूख गई और पानी नहीं आने के कारण गर्मी चलती रही और जो बीज बोया गया था वह जमीन के बाहर ही नहीं निकल पाया और कुछ बाहर निकले वे कट कर सूख गये। यह कोई मेरे बाप का बेटा नहीं है जो भूखे मर रहा है। मगर यह जो मैं कह रहा हूं वह सही बात बता रहा हूं और मेरे सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य होने के नाते इन सब बातों को आप झूठ बताते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री झूठ जवाब देकर जनता और मेरा मुंह बन्द करना और मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं और यह सरकार की नीति हमारे प्रति हमको बिल्कुल जहर देने की है। इसके लिये आपको शर्म करनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन का जहां तक सवाल है पशुपालन के बारे में, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप कागजों में प्रदर्शन करते रहें तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। पशुओं के लिये भी घास और समय पर बीमारी होने की हालत में दवाइयों की जरूरत रहती है और उनकी हिफाजत करने की जरूरत है मगर आप प्रदर्शन करते हैं ठीक है। मगर मैं यह कहता हूँ कि डाक्टर के होते हुए भी हमारे इलाके में गये साल हजारों की तादाद में मवेशी मर गये। अगर दवाइयों से असर नहीं होता हो तो अच्छी दूसरे प्रकार की दवाइयें रखें और अच्छे डाक्टर रखें। अगर इस प्रकार से जानवर मरते जावें और आप यह कहें कि हम आगे बहुत प्रगति कर रहे हैं तो मैं यह कहूँगा कि राजस्थान के सारे पशु नष्ट हो जावेंगे अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पंचायतें कहती हैं कि यह जमीन गोचर के लिये है और दूसरी तरफ रेवेन्यू विभाग के लोग कहते हैं कि यह जमीन गोचर भूमि नहीं है, हमारी है और उधर जंगलात वाले कहते हैं कि यह जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं, हमारी है। जब उस जमीन पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं तो उनको वहां से डंडे मारकर निकाल देते हैं। हमारी सरकार को अभी तक यह भी पता नहीं चलता कि यह जमीन जंगलात की है या रेवेन्यू विभाग की है। जंगलात वाले कहें यह हमारी जमीन है और पंचायत वाले कहें कि यह गोचर भूमि है। इस प्रकार की हालत है। इसका नतीजा यह होता है कि पशु भूखे मरते हैं।

तो इस ढंग से हमारे पशुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, इस तरह के व्यवहार को बन्द करने के लिये अच्छे चरागाह कायम करने चाहिये। आज यह हो रहा है कि चौफेर खेत हैं बीच में खराब जमीन टुकड़ टुकड़ पड़ी हैं, उस पड़त जमीन का नम्बर बता कर पटवारियों ने बता दिया कि इतनी जमीन है, इतने पशु हैं, इतना चरागाह है, पर वास्तव में देखा जाय तो वे चरागाह के काम में आते नहीं

Page No. 95

(श्री हीराभाई)

है, फिर भी चरागाह के नक्शे में उनका नम्बर है। न उस जमीन का काश्त में उपयोग होता है और न मवेशियों के चरागाह के रूप में उसका उपयोग होता है।

इस तरह माननीय उपाध्यक्ष, अभी अभी कृषि विभाग ने लुधियाना पंजाब में विश्व विद्यालय में ट्रेनिंग के लिये जिन अधिकारियों को भेजा है आज किसी को पता नहीं है कि किन को भेजा गया है, उन अधिकारियों में से एक अधिकारी गया है, मैंने सुना है कि एक अधिकारी था और कोई नहीं था, यह होता है तो, गलत है। किसी को ट्रेनिंग में भेजते हैं तो सीनियोरिटी के हिसाब से भेजना चाहिये अपने रिश्तेदार को भेज दो तो इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, न तो वह कुछ सीखेगा और न कुछ काम ही हो सकेगा।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

[श्री गंगासिंह (हिन्डोली) और श्री गंगासिंह (जायल) दोनों एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए]

श्री गंगासिंह (जायल)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' [अकलेरा-सु०] : अब इधर के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भैरवलालजी और सांवलिया रामजी अपना चान्स छोड़ना चाहें तो आपको पहले चान्स दे दूं।

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, यहां के करीब ८० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। यदि राजस्थान की आम जनता का स्टेन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा करना है तो यह जरूरी है कि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और काश्तकारों के स्टेन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा किया जावे। जहां तक मैं समझता हूँ, राजस्थान सरकार ने यहां के काश्तकारों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है जिसके फलस्वरूप यहां के काश्तकार आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जिन परिस्थितियों में कि पहले थे। राजस्थान सरकार का उद्देश्य था, कांग्रेस का इन्डिपेन्डेन्स मिलने से पहले उद्देश्य था कि जमीन उसको होनी चाहिये जो कि काश्त करता है। सरकार की पहले उसी ओर नजर उठी थी कि काश्तकारों को ऊंचा उठायेंगे पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने काश्तकारों को जो विश्वास दिलाया था, उसका सरकार ने हनन किया है, राजस्थान सरकार की एग्रीकल्चर पोलिसी पहले से बदल चुकी है, राजस्थान सरकार ने तय किया है कि जितनी एग्रीकल्चर की जमीन है, वह उसमें कोआपरेटिव बेसिस पर काश्त की जावें। इस तरह भूमि पर किसानों के राइट्स हैं किसानों के उन राइट्स को छीन लिया जाय और उन राइट्स को कोआपरेटिव सोसायटीज को दिया जाय। सरकार की इस प्रकार की एग्रीकल्चर पोलिसी के कारण आज किसानों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि न मालूम किस समय हमारी जमीनें सरकार द्वारा ले ली

(श्री गंगासिंह राठोड़)

जायेंगी। यह अविश्वास किसानों के दिल में सरकार के प्रति पैदा हो गया है और इससे कृषि के उत्पादन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार अपनी टिनेन्सी राइट्स के बारे में बिलकुल स्पष्ट नीति की घोषणा करे और काश्तकारों में यह भावना पैदा की जाय कि उनके टिनेन्सी राइट्स सीक्योर्ड है. उनके इन राइट्स का कभी हनन नहीं किया जायगा। तभी काश्तकार अपने खेतों में दिलचस्पी से काम करेगा और अपनी जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ायेगा। अभी अनसीक्योर्ड पोजिशन आफ टिनेन्सी है उससे काश्तकार सोचने लग गया है कि न मालूम आज या पांच साल बाद. या १० साल बाद कभी भी उसकी जमीन छीनी जा सकती है और वह एक कोआॅपरेटिव सोसायटी को दी जा सकती है, जिसमें उसका हित न हो।

जहां तक कोआॅपरेटिव सोसायटीज का सवाल है मैं यह मानता हूं कि दो, तीन, चार काश्तकार मिल कर काश्त करें तो उस हद तक तो बुरी बात नहीं होगी पर उनके खेतों की आइडेन्टिटी रहना जरूरी है। मान लीजिये मेरी २० बीघा जमीन है, दूसरे काश्तकार की ३० बीघा जमीन है और तीसरे की ४० बीघा जमीन है और हम तीनों मिल कर प्रोडक्शन बढाने के लिये मिलकर काश्त करते है तो कोई बुरी बात नहीं है पर सरकारी कानून के आधार पर अगर कोआॅपरेटिव सोसायटी से मेरी २० बीघा जमीन मेरी जमीन नहीं रहेगी, दूसरे काश्तकार की ३० बीघा जमीन उसकी नहीं रहेगी, तीसरे की ४० बीघा जमीन उस तीसरे काश्तकार की नहीं रहेगी, वह सारी की सारी हम तीनों की सम्मिलित रहेगी और न मालूम जो कायदे कानून आपकी कोआॅपरेटिव सोसायटीज के बन रहे हैं, न मालूम किस प्रकार के कानून कायदे बनें कि हमारी जमीन के राइट्स खतरे में पड़ जांय। इसलिये टिनेन्ट्स को सीक्योरिटी आफ टिनेन्सी राइट्स देना जरूरी है।

सिलिंग के कायदे कानून से भी काश्त पर बुरा असर पड़ा है। एक काश्तकार लगातार वर्षों से ५०० बीघा जमीन पर काम करता चला आ रहा है, उसने उस जमीन को सुधारा है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी दिन दिन बढ़ती जा रही है, उस पर आप सीलिंग लगा कर उसकी २०० बीघा जमीन ले लेंगे और ३०० बीघा जमीन उसके पास रखेंगे तो उसके पास जो ३०० बीघा जमीन रह गई है उसमें वह प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी और दूसरे को जो आपने २०० बीघा जमीन दी है उसकी भी प्रोडक्टिविटी घटेगी। जहां वह ५०० बीघा में आसानी से ५०० मन अनाज पैदा कर सकता था वहां दो सौ ढ़ाई सौ मन भी पैदा नहीं हो सकेगा। तो इस तरह इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा।

जहां तक आंकड़े मोजूद हैं, उनसे पता लगता है कि आपकी इस प्रकार की एग्रेरियन पोलिसी से २५ प्रतिशत प्रोडक्शन घटा है। यह सही है कि बहुत सी जमीनें पड़ी हुई थीं उनको आपने काश्त में लिया है. काश्त जरूर पोपुलेशन के साथ साथ बढ़ी है पर जो जमीन आपके द्वारा काश्त में ली गई और जो पहले से ही काश्त में चली आ रही है इन दोनों तरह की जमीनों को मिला कर प्रोडक्शन को आंकेंगे तो साफ पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में प्रोड-

(श्री गंगासिंह राठौड़)

क्शन बढ़ा नहीं, घटा है। आपने जो लैंड अलोटमेंट कमेटी बनाई है, उस कमेटी के द्वारा जो लैन्ड अलोट की जाती है उसमें अलाटमेंट के रूल्स यह है कि किसी नये काश्तकार को जमीन दी जाय तो वह १५ बीघा से ज्यादा नहीं दी जाय। समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के अलाटमेंट क्यों कर रही है ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स नहीं रहने चाहिये, क्योंकि अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज से प्रोडक्शन घटता है। और दूसरी तरफ इस प्रकार के अनइकोनोमिक होल्डिंग्स नये काश्तकारों को अलाट करते हैं। तो इनसे होता क्या है कि जो आप पन्द्रह बीघा जमीन काश्तकार को देते हो उस पर वह काश्त करके अपनी उदरपूर्ति नहीं कर सकता। मान लीजिये १५० बीघा, २०० बीघा का फार्म है। १५-१५ बीघा जमीन देकर १५० बीघा फार्म दस आदमियों में बांध दिया। पन्द्रह-पन्द्रह बीघा में जो प्रोडक्टिविटी होगी, एक ही फार्म में जो प्रोडक्टिविटी होती, उससे १/४ भी नहीं हो सकती। आपका यही ध्येय होता है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को जमीन दी जाय। आपकी यह पोलिसी किसी भी देश के लिए किसी भी प्रान्त के लिए अच्छी पोलिसी नहीं हो सकती। आपको तो लोगों को इस प्रकार जमीन देकर यह दिखाना है कि हमने अनएम्प्लोयमेंट दूर किया है। गांवों में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देकर आप उनको सिर्फ खुश करना चाहते हैं। अनएम्प्लोयमेन्ट को दूर करने की नीति की दृष्टि से भी देना चाहते हैं तो भी वह दूर नहीं होता है वह वैसा का वैसा ही रहता है। यदि आप किसान को खुश करने की दृष्टि से देते हों तो जिस काश्तकार के पास १५ बीघा जमीन होगी वह उसमें काश्त करेगा, उस पर जो प्रोडक्शन की कोस्ट आवेगी वह अधिक होगी और उससे उस पर कर्जा ही रहेगा। इसलिए आपको सीलिंग मुकर्रर करना है। अगर आपको एक काश्तकार को जमीन देना है कि वह उस पर अपना जीवन-निर्वाह करे तो आपको एक सीलिंग कम से कम जमीनें अलॉट करने का मुकर्रर करना होगा। जिस प्रकार आप सीलिंग मुकर्रर करते हैं कि एक काश्तकार इससे अधिक जमीन नहीं रख सकता तो उस दृष्टि से जब अलॉटमेंट का सवाल आयगा तो कम से कम जमीन कितनी दी जावे तय करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अनइकोनोमिक होल्डिंग में बंटवारा हो जायगा। जिस मकसद और ध्येय से जमीन देते हैं वह हमारा पूरा नहीं होगा और काश्तकारों को वह जमीन वापिस सरेन्डर करना पड़ेगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि आपकी पोलिसीज़ हैं लैंएड अलॉट करने के लिए, आपकी पोलिसीज़ है सीलिंग के सम्बन्ध में, आपकी यह पोलिसीज है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को जमीन किस प्रकार दी जाय उन पोलिसीज में आपका यह ध्येय रहना जरूरी है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की नीति से ही यह काम करना है। प्रोडक्शन की नीति से नहीं करते हैं और इस ध्येय से करते हैं कि हमारा यह एक इज्म है उसको लाने के लिए सारा का सारा ढोंग रचना पड़ता तो एक इज्म को लाने के लिए प्रोडक्शन की घटोती होगी वह प्रान्त के लिए हितकर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में सीलिंग से सबन्धित मैंने कुछ कहा था। अब मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के

(श्री गंगासिंह राठोड़)

बारे में मेरे डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां सीलिंग बारानी जमीन ६६ एकड़ और बारानी थल की १.६० एकड़ रखी है। ६० एकड़ का मतलब हमारे वहां का २२५ बीघा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि एक काश्तकार के पास ३०० बीघा जमीन हो तो वह २२५ बीघा से अधिक नहीं रख सकेगा। एक काश्तकार अपना जीवन सुचारु रूप से चला सके २२५ बीघा जमीन से यह संभव नहीं लगता है। इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तहसील वाइज किस प्रकार प्रोडक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी और काश्तकार का स्टेन्डर्ड किस प्रकार का रहेगा यह आपके ध्यान में नहीं है। इसको ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे यहां सवाल व सलाग और सोमथल की जमीन की सीलिंग एक रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सलाग की जमीन १.१० आना है वहां दूसरी तरफ सोमथल की जमीन ८ आना है। आपने इन दोनों जमीन की सीलिंग बराबर रखी है। जमीन की फर्टीलिटी को ध्यान में रख कर रेट मुकर्रर करना चाहिये था। उन काश्तकारों का क्या होगा जो सोमथल इलाके में रहते हैं और सलाग में रहते हैं जहां फर्स्ट क्लास जमीन है। सोमथल की जमीन में २२५ बीघा में ८० मन से अधिक अनाज नहीं होता है। एक्ट के प्रोविजन को कान्ट्राबीन करते है। एक्ट में यह रखा है कि जमीन इतनी होगी जिससे प्रोडक्टिविटी ३०० मन गेहूं हो, उतना गेहूं पैदा न हो तो उसके बराबर दूसरा अनाज पैदा करें। हमारे वहां गेहूं पैदा नहीं होता। बाजरा पैदा होता है। ३०० मन गेहूं की जगह ४०० मन बाजरा पैदा होना चाहिये। उतना सीलिंग तो रखना चाहिये। २२५ बीघा रखने का मतलब है कि १०० मन बाजरा हो जाय। वैसी हालत में काश्तकारों की क्या हालत होगी? कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ायेंगे?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, खेती बाड़ी के सम्बन्ध में मैंने कट मोशन रखा है। मैं समझता हूं खेती और पशुधन दोनों का एक ही सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : १२.४५ से सरकारी पक्ष से उत्तर प्रारम्भ होगा, उस दृष्टि से आप थोड़े समय में बोलें।

श्री सांवलियाराम : थोड़ा ही समय लूंगा।

खेती के लिए अच्छा खाद और पानी की आवश्यकता होती है। इन चीजों को मुहैय्या करने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाये। मेरे यह देखने में आता है, हमारे यहां तीन पंचायत समितियां हैं, किसान आये दिन बीज और खाद दोनों के लिए वहां पड़े रहते हैं। उनके कई बार चक्कर लगाने पर भी उनको समय पर अच्छा खाद और अच्छा बीज नहीं मिलता है। इन बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

दूसरा, हमारे यहां सिंचाई के साधन काफी हैं लेकिन बांध वगैरा इस हालत में पड़े हैं कि टूट फूट गये हैं। यह मैं आपको रूपबास क्षेत्र की बात बता रहा हूँ जहां से मैं चुन कर आया

(श्री सांवलियाराम)

हूं। रूपबास एरिया में यह हालत है, चारों तरफ बांध हैं लेकिन टूटे फूटे हैं उनका खतरा है। हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है। इन बांधों से कट गई है। जेठ के महीने तक वहां पर पानी भरा रहता है और इस कारण उस जमीन में एक छटांक अनाज नहीं होता। रूपबास क्षेत्र में पांच हजार बीघा जमीन ऐसी है जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। मैं यह सब के लिए नहीं कह रहा हूँ।

हमारे यहां काश्त करने के लिए काफी लोग रहते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। सरकार ने सीलिंग एक्ट लागू किया और तीस स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन एक काश्तकार के लिए रखी। इससे क्या होगा कि न तो उनके पेट भरने के लिये जमीन पूरी मिलेगी और न गरीबों के पास जमीन है। जमीन न होने से कृषि उत्पादन नहीं होता है। गरीब महनत करना चाहते हैं। हमारे यहां पर मील १५१ की आबादी है। सीलिंग आबादी को देखते हुये जमीन कम है। जमीन अधिक होनी चाहिये। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसके लिये ग्राम सेवक जो हैं वे कभी नहीं बताते कि इसको किस प्रकार काम में लिया जायगा? ग्राम-सेवक तो काम नहीं करते केवल ताश बाजी में लगे रहते हैं। महीने में थोड़े दिन इधर उधर हो जाते हैं खाद के लिए गढ्ढे खोद देते हैं। कृषि के बारे में बताते नहीं, किसानों को समझाते नहीं कुछ तो वे किसानों को समझा नहीं पाते हैं दूसरा किसान भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वह केवल बातों से कुछ समझ सके। उसके सामने प्रेक्टिकल रूप में काम बताया जाय तो वे समझ सकते हैं। ग्रामसेवकों को चाहिये कि जो जमीन ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई है उसको ठीक कराकर दें उसके लिए विभाग में कुछ प्रावधान हों और इसके साथ साथ इरिगेशन की सब बातों की ओर ध्यान दिलाना ग्रामसेवक का काम होना चाहिये। आज किसान का हौसला पस्त हो गया है। आज वह सोचता है मुझे टैक्स के भार से दाब रखा है। इसके अलावा किसान देखता है कि मुझे अपने खेत से भी लकड़ी काटने के लिये अपनी निजी उपयोग के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। आज किसान पर पंचायतों और पंचायत समितियों से भी काफी बोझा बढ़ गया है उसके भी तरह तरह के टैक्स उसको देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उसकी परेशानियां भी अधिक बढ़ गई हैं बगैर मन्जूरी लकड़ी काट नहीं सकता। यदि उसको अपने खेत में मकान बनाना है तो वह मन्जूरी बिना मकान नहीं बना सकता अगर बनाता है तो पंच, सरपंच, प्रधान प्रमुख द्वारा बाधायें उपस्थित की जाती हैं, इन सारी बाधाओं की चक्कर में वह किसान पिटता रहता है।

श्री **नाथूराम करौल** (चाकसू): इसका खेत से क्या ताल्लुक है, यह तो राजस्व विभाग से ताल्लुक रखता है।

श्री **सांवलियाराम**: इसका सम्बन्ध इसलिए है कि इसके बिना किसान का दिमाग स्थिर नहीं रहता और वह इस तरह से उपज में ध्यान नहीं लगा पाता है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि रूपबास क्षेत्र में काफी गन्ने का उत्पादन होता है लेकिन वहां के लोगों के सामने जरिया नहीं सही तरीके से

(श्री सांवलियाराम)

काम करने का न कोई हौंसला है गन्ना ज्यादा पैदा करें। इसलिये मैं सुझाव रखना चाहता हूँ कि आप वहां एक चीनी मिल कायम करें ताकि वहां के लोगों को गन्ना उत्पादन में प्रोत्साहन मिले और गुड़ और शक्कर वहां के लोगों को खाने को मिले।

पशुपालन के बारे में हमारे सामने एक बाधा है। हमारे यहां कुछ पशुधन ऐसा है जो दूध देता है और वह दूध शहरों में बिकने के लिये चला जाता है। दूसरे पशु ऐसे हैं जो बोझा ढोने के काम में आते हैं। दूध वाले पशुओं के बारे में मेरा निवेदन है कि दूध जो गांवों में होता है वह शहरों में बिकने के लिए आ जाता है इससे जो पशुओं की देखभाल करते हैं उनकी हिफाजत करते हैं उनको पीने के लिए दूध नहीं मिलता है। किसान के बच्चे दूध से महरूम रह जाते हैं, उसकी पत्नी रह जाती है इस तरह से गांव के लोग बिना दूध घी के कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिये गांव के दूध को बाजार में बिकने से रोका जाय। शहर में डेयरीज हैं, फार्म्स हैं बड़े-बड़े जहां से दूध उपलब्ध हो सकता है।

इसके अलावा, शहरों में बड़े बड़े लोग होते हैं उनको दूध के लिए जानवर रखने की आदत नहीं है वे लोग कुत्ते तो पालते हैं लेकिन दूधारू पशुओं को नहीं रखते इसलिये किसानों को इस बात के लिये उत्साहित किया जाय कि दूध वे शहरों में बेचे नहीं और अपने काम में लेवें मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग यह एक गरीबों का महकमा है। इस बारे में मैं समझता हूँ आज सरकारी अधिकारियों की आलोचना करना उचित नहीं समझता। आलोचना की दृष्टि से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कृषि विभाग के ऊपर जन प्रतिनिधियों का भी ज्यादा ध्यान नहीं है। आज कृषि के बारे में डिमान्ड चल रही है और बहुत से माननीय सदस्य उपस्थित भी नहीं हैं। अभी उद्योग संबंधी मांग होती तो आप देखते बोलने वालों की बहुत संख्या होती.......

श्री उपाध्यक्ष : आप सूत्रवत् वाक्य कह सकते हैं तो एक माननीय सदस्य को और बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दूसरी डिमान्ड चलती तो काफी दिलचस्पी होती। पुराने समय में हमारा किसान बहुत दुखी था तो उस समय किसान लोग आन्दोलन करते थे। और किसानों के आन्दोलन की वजह से सामन्ती शासन और अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया आज इन गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो किसान बेचारा अपने खेत में रात दिन लगा रहता है आज उस किसान की ओर ध्यान नहीं है......

श्री अध्यक्ष : आप इनको अच्छी तरह समझा देवें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अभी इतना लम्बा समय नहीं है सारी बातें बतायी जावें फसल उजड़ जाय, बिगड़ जाय किसान को चिन्ता है वह सोचता है कि अगर फसल उजड़ जायगी तो देश बिगड जायगा......

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

फसल उजड़ ज्या देश बिगड़ ज्या दुनियां भूखां मर ज्याए । सेठजी का सड्या नाज की कीमत बढ़ ज्याए ।

वह सोचता है कि अगर उसकी फसल बिगड़ गई तो देश बिगड़ जायगा और सेठजी का सड़ा हुआ अनाज की कीमत बढ़ जायगी आज उस किसान की कोई चिन्ता नहीं कर रहा है।

चम्बल नहर क्षेत्र में पानी इस कदर भरा हुआ है कि मानो चांवलों के खेत में भरा हो जिससे फसल गल गई है। वहां की फसल को खेत से लाने के लिये रास्ता नहीं है खेत से खलिहान में ला नहीं सकते क्योंकि रास्ते में पानी भरा हुआ है आज तक उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मगर जिन किसानों ने अपनी कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये लोन और कर्जा लिया है आज किसान की पैदावार न होने से वह चुका नहीं पाया है तो उसको पी० डी० आर के तहत देकर कुर्कियां लाकर उसे जबरन वसूली की जाती है। इस तरह से किसान को परेशान किया जाता है। दूसरे विभागों से जो लोन लोग लेते हैं वे पैसा होते हुए भी नहीं देते हैं उनका कुछ नहीं होता। आज किसान की हालत अगर इस प्रकार की रही तो देश बिगड़ सकता है। किसान के कन्धे पर आज भी सारे देश का बोझ है अगर उसके कन्धे पर और ज्यादा बोझ लादने की कोशिश की और वजन को हल्का नहीं किया तो उनका बोझ दूसरे लोग झेलने वाले नहीं हैं मुझे याद है किसानों ने उस समय कहा था जिस समय राजा महाराजाओं का राज था।

करसा थांका अन्नदाता छे क्यों लाग्या धमकाबाने। जो थांसे या से बैर करो तो, मिले न टुकड़ो खाबाने ।। अगर आपने किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो यही हालत होने वाली है जो राजाओं की हुई। आप किसान के प्रतिनिधियों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो देश की हालत खराब हो जायगी। सड़े अनाज की कीमत बढ़ जावेगी इसलिये इनकी हालत की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली): उपाध्यक्ष महोदय, किसाना रा संबन्ध में म्हे यो निवेदन करनो चाहूं छूं कि किसाना रे संबंध में सदन रा माननीय सदस्या ने दिलचस्पी कम है दूसरों सबजेक्ट होतो तो सारी बेन्चा भरी लाध्ती। किसाना सूं वोट लेकर के किसाना रो नारो दे बाने उस तरफ बैठगां वाला सदस्य मोहिर है लेकिन आज जब किसाना रो विषय में चर्चा हो रही छे तो वे आज उपस्थित नहीं छे। आज किसाना के बारे में भली कहणो रो मौको छे इण वख्त वे अठे उपस्थित नहीं है आज सारी बेन्चा खाली नजर आवे है। किसाना रे प्रति हमदर्दी राखवा वाला सदस्य कठे गया छे। आज आपणां प्रदेश में किसाना रे सामने अकाल की समस्या है अन्न उत्पादन में जो कमी है इण कारण आज देश में काफी असन्तोष बढ़यो हुयो छे। हिंडोली तहसील में व नैणवा एरिया में नहरों के अलावा अनाज व घास की भी कमी छे। फेरूं भी P. D. R के तहत पुरानी तकावियां की वसूली हो रही छे। खाणे को भी पूरो नहीं छे। जठे नहरां हैं वठे आम रास्ता पे पाइप नहीं लगाया गया। इण कारण सूं काश्तकारां का खेत चांवलां का खेत की तरह भरग्या है। गाड़ी मोटर और तांगा निकल

(श्री गंगासिंह परिहार)

कर जावे तो गहार भर जावे। मसाणों का रास्ता भी रोक दिया छे। नहर निकाल कर तो सरकार आछो काम करियो। इतरा आछा काम आज तक नहीं हुआ राजाओं का राज में भी नहीं हुआ। पर सरकार का विभाग का लोगों का इन्तजाम आछा नहीं है। इ कारण सूं ऐ सब दिक्कतां है। सरकार ने देखणो चाहीजे। बाकी सरकार का तो लोग गुणगान गावे छे कि आ सरकार करोड़ां रुपया लगार बान्ध बांधिया। सावंतगढ़ (तहसील हिंडोली) में मशान का रास्ता भी रोक दिया है। विभाग वाला सुणाई नहीं करे।

हिन्डोली में छोटा मोटा बान्ध बण सके इण पर भी सरकार गौर करे। में इतरो ही कहकर अपणो स्थान ग्रहण करूं छूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के सामने आज सुबह तीन मांगें प्रस्तुत की थीं। एक मांग कृषि से सम्बन्धित है, दूसरी पशु पालन से, तीसरी कृषि के लिये कुंए बनाने का अन्डर ग्राउण्ड महकमे का प्रावधान है, कैपिटल आउट ले है उसके बारे में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक समिति है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, जो इन मांगों की किस प्रकार चर्चा हो, इसका ब्यौरा प्रस्तुत करती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इन मांगों में खास कर के उन मुद्दों पर जोर दिया गया है जो उत्पादन से सम्बन्धित है कि यह कैसे बढ़ाया जाय। उन्होंने जो इस प्रकार का चयन इस सदन में इस बार किया, मैं समझता हूं, उस कमेटी के सदस्य भी बधाई के इसके लिये पात्र हैं। आम तौर से दूसरे वर्षों में जहां बजट की चर्चाएं हुईं, उनमें खास तौर से उन मांगों पर अधिक बहस हुई जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से सम्बन्ध रखती थीं और उन मांगों के बारे में ही ज्यादातर समय गया। पर इस बार खास तौर से उत्पादन से कन्सर्न्ड हिस्से पर ही चर्चा चल रही है और खास तौर से इस बार कृषि की और पशु पालन की मांग के लिये एक दिन का समय मिला जिसके लिये मैं माननीय सदस्यों के सामने इस योजना में, इन वर्षों में इस सदन में क्या क्या काम किये जा रहे हैं, उसका भी ब्यौरा मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों के सामने रख सकूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को मानकर चलना चाहिये कि आज हमारा देश एक बड़ी क्रान्ति से गुजर रहा है। वह क्रान्ति शान्तिपूर्वक हमारे देश में हो रही है। इस शान्तिमय क्रान्तिकाल में हमें देश को देश के करोड़ों लोगों को, उनके रहन सहन के स्तर को बदलना है, गरीबी मिटाना है, किसानों को ऊपर उठाना है जो देश की आबादी का ८० प्रतिशत है या ७५ प्रतिशत कहिये।

अगर हम चाहते हैं कि इन ७५ की सदी लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो यहां की वैल्थ बढ़े और बढ़ने के बाद सही वितरण उसका हो और लोगों को जीवन की सारी आवश्यक चीजें आसानी से उपलब्ध हो। देश के लोगों को पूरा खाने को मिले, पहनने को मिले, रहने को मकान मिले, सब लोगों के लड़के लड़कियों की शिक्षा की सही प्रकार से व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था हो और अगर हम इनको बुनियादी तौर पर चाहते हैं तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता होगी।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस पर जोर दिया भी गया है दो योजनाओं में और खास तौर से दूसरी में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देश का पशु-धन और देश की खेती के जरिये से होने वाली वाली आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया जाय ।

हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमने कृषि के मद में करीब साढ़े छः-सात करोड़ की धनराशि खर्च करने की बात को सोचा था मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस योजना में इस धनराशि को और भी ज्यादा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान जो २३६ करोड़ का था और जिसको कोर में हम २०८ करोड़ का मानकर चलते हैं उसमें कृषि के मद में भी कटौती की थी। परन्तु भारत सरकार की तरफ से जो हमें आज सहायता मिल रही है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये और जो आज लोगों की चिन्ता है सरकार को चिन्ता है। हम इस बात को मानकर चलते है कि अगर हमने कृषि के उत्पादन को तेजी के साथ में नहीं बढ़ाया तो जिस तेज रफ्तार के साथ इस देश की आबादी बढ़ रही है उसको हम पूरे तौर से खिला भी नहीं सकेंगे तो देश के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की बात आसान बात नहीं होगी। हम यह भी मानते हैं कि इन सब बातों को एक शांतिमय क्रांति के जरिये करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए जो प्रजातन्त्र का हमने सहारा लिया है इस प्रजातन्त्र की जो संस्थायें हैं और जिस माध्यम से हमें इस काम को पूरा करना है तो लोगों में एक नया विचार और विचारधारा की क्रांति को करना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के एक माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने कुछ खेती की बातों को लेकर यह कहा कि इस सरकार की नीति किसानों के बारे में एक सही प्रकार की नीति नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर के प्रॉडक्शन में कई प्रकार की बाधायें आ रही हैं। उन्होंने आज इसका खुलासा किया है, इसके पहले भी कहा है लेकिन आज खुलासा किया है। हालांकि माननीय सदस्य ने जिस बात की चर्चा की उसका सीधा सम्बन्ध कृषि विभाग से नहीं है। उसका सीधा सम्बन्ध रेवेन्यू विभाग से है। याने कि भूमि के बारे में किसानों के लिए क्या नीति रही है उसकी उन्होंने कुछ चर्चा की थी। एक दो और माननीय सदस्यों ने इसकी ओर संकेत किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि किसानों के दिमाग में आज अनसर्टेन्टी है। उसको इस बात का ख्याल नहीं है कि आज जो खेत और जमीन उसके पास है वह जमीन उसके पास कल रहने वाला है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमिसुधार का एक क्रम लगातार पिछले दस वर्षों से इस राजस्थान में चल रहा है और मैं सदन के माननीय सदस्यों को ज्यादा उसके विस्तार में नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि स्वयं बहुत से लोग सारे कार्यक्रमों में हिस्सेदार रहे हैं। हो सकता है कुछ माननीय सदस्यों को उसमें शुरू से हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला हो लेकिन जो शुरू से क्रांति इस सिलसिले में रही है मैं शुरू से हिस्सेदार रहा हूँ। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भूमि सुधार का क्रम करीब करीब पूरा किया जा चुका है और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राजस्थान के किसानों को जो कुछ आज तक मालूम होना चाहिये वह सारा मालूम हो चुका है, हो जाना चाहिये और उसमें कोई अस्थिरता का प्रश्न नहीं है। ठीक बात है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि यह जो क्रांति हुई है उससे वाकिफ न हों ..

श्री केसरीसिंह (पाली) : फिर यह १७ वां अमेन्डमेन्ट क्यों लाया जाता है वह समझा दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अमेन्डमेन्ट लाना बहुत जरूरी है। उसमें यही है कि किसान की जमीन और वह जमीन जिसका ज्यादा अच्छा उपयोग किया जा सकता है किसान की जमीन को दूसरे अच्छे यूज में रखना है और किसी जमीन की आवश्यकता है तो उसको लिया जा सकता है।

श्री केसरीसिंह : कॉम्पारेटिव्ह में रखना बैटर यूज़ है ? उसका कम्पन्सेशन कितना दें उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते इसका क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा आपके इन्टर-प्रिटेशन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जमीन एक्वायर की जाये कभी भी इस विभाग की मन्शा नहीं है।

श्री केसरीसिंह : तो फिर प्रोविज़न क्यों किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस लिये कि कुछ जरूरी काम हों जिसके लिये जमीन की ज्यादा आवश्यकता हो और खास तौर से उद्योगों के विकास के लिये अगर किसी जमीन को लेने की आवश्यकता है तो उसके लिये रीजनेबल कम्पन्सेशन देकर ली जा सकती है। यही उस अमेन्डमेन्ट की मन्शा है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह किसानों के दिमागों में अस्थिरता है आज और पहले नहीं थी तो इसको मैं नहीं मानता। पहले तो किसान का कुछ था ही नहीं। न किसान को जमीन का पता था, हर साल उसकी जमीन को बदला जा सकता था। जो वहां के जागीरदार थे वह उनकी जमीनें होती थीं या जो उसका मालिक था उसकी थीं या जो वहां का बिस्वेदार होता था उसकी जमीन होती थी। यह हालत आज से दस वर्ष पहले थी। आज किसान को पता है कि उसकी खातेदारी में जमीन है वह उसकी है। आज किसान जिस जमीन का मालिक है उसको बेच सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, इम्प्रूव-मेन्ट कर सकता है, मकान बना सकता है, उसके दरख्त काट सकता है, उसको काम में ला सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक स्पष्टीकरण चाहिये

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कृपा कर बैठें। आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। आप महरबानी करके शांति से बैठे रहिये। मैंने किसी भाई के बीच में खड़ा होकर एक शब्द नहीं कहा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि एक क्रम भूमि-सुधार के दौर से हम गुजर रहे हैं और उसके जरिये इतना सब कुछ मालूम है। जिस आदमी को मालूम नहीं है-आज वह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिक्कत में हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है और वह सोचते हैं कि यह जमीन जानी नहीं चाहिये। और जमीन के बारे में इस देश के लोगों के दिमाग में एक प्रकार की भूमिका रही है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा जमीन लेने से मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उसमें उत्पादन हो या नहीं, पर कब्जे में ज्यादा जमीन रहनी चाहिये, यह हमारे देश का एक नोशन रहा है। इसको भी हमें बदलना होगा। ज्यादा जमीन से ज्यादा पैदा हो या ज्यादा बड़ा आदमी कहलाये, वह वक्त बदलता जा रहा है। दुनिया के अन्दर ऐसे देश के लोगों की खेती देखी और मैं तो हिन्दुस्तान की बात करता हूँ, यहां के किसानों की जमीन दो-दो और तीन-तीन एकड़ जमीन के ऊपर, पूना के आसपास और हैदराबाद के पास, किसानों ने एक-एक फसल में तीस तीस हजार रुपये की खेती की है, अंगूरों की खेती करके। इसलिये ज्यादा जमीन रखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

किसानों के पास जमीन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाये, बढ़िया से बढ़िया उत्पादन किया जाये, उस जमीन में ज्यादा से ज्यादा सही प्रकार से इन्वेसमेन्ट किया जाये, उस जमीन के ऊपर एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाये। यह इस प्रकार की बातें हैं जो कि किसानों के सामने हमें रखनी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को कहना कि किसानों के दिमाग में कोआॅपरेटिव फार्मिंग की बात की जाती है वह अनिश्चितता की बात है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह किसानों के लिए कोई अनिश्चितता की बात नहीं है। कोआॅपरेटिव फार्मिंग के बारे में इस देश की जो नीति है वह साफ है। जो लोग वॉलिन्ट-रीली अपनी जमीनों पर पर्टीकुलर टाइप से खेती करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार के मौके, अच्छे अच्छे साधन दिये जायेंगे, उनको ज्यादा फेसेलिटीज दी जायेंगी लोगों के लिए इस प्रकार से वॉलिन्टेरीली करने के लिए लोगों के सामने रखा गया है और जो लोग अपनी मर्जी से इस प्रकार के फार्मिंग को करना चाहते हैं उनको करने के लिए आजादी है और जिन लोगों ने सही प्रकार से किया है, निश्चित रूप से उनको इस प्रकार के करने से प्रोडक्शन बढ़ा है और इससे जो लाभ मिलने चाहिये, वह मिला है। इसलिए कोआॅपरेटिव फार्मिंग के द्वारा कुछ विरोधी पक्ष के लोग जो अस्थिरता का वातावरण किसानों के दिमाग में लाना चाहते हैं मैं किसानों से अपील करूंगा कि इस प्रकार की गलतफहमी में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीलिंग के बारे में जो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान में जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं उनका उपयोग सही तौर से नहीं हो रहा है और जमीनें पड़ी हैं।

(१.०० म.प.)

जमीनों के अंदर कुछ उत्पादन नहीं किया जा रहा है। वे जमीनें सरकार के पास आईं और सरकार के मार्फत उन जमीनों का उप-योग हुआ। जिसके लिए ज्यादा चारे का उत्पा-दन सरकार कुछ करके फार्मस बनाए, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दे । जिन लोगों के पास जमीनों की अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं, उन्हें इकानॉमिक होल्डिंग्स बनाया जाय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि आप आज जिन होल्डिंग्ज को अनइकोनॉमिक होल्डिंग्ज मानते है वे हमेशा अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स रहेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता । अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को इकानॉमिक होल्डिंग्ज बनाया जा सकता है विज्ञान के जरिए, टेक्निक के जरिए । आज किसी आदमी के पास अगर पांच बीघा जमीन में सही प्रकार की पानी की सिंचाई की व्यवस्था कर दें, उसके लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है जो कि हम अपने देश में पंचायती राज के नीचे बनाने जा रहे हैं तो उनके मार्फत जो खेती की हालत होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । जो पुरानी पद्धति है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा ।

उसके बाद जो नीति की ओर इशारा किया उसका मैंने थोड़ा सा ही विवेचन किया, जो पिछले १० साल के अन्दर समय समय पर माननीय सदस्यों ने नियम बनाए और बहुतसों का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका और बाकी करना है । निश्चित तौर से किसान को जो ट्रेस्पासर्स थे, उनको रिलीफ दिया, उनका जमीनों पर अधिकार हो गया । राजस्थान के अन्दर जो यहां प्रकरण चला है उसके जरिए किसान को फिक्सीटी ऑफ टेन्येर, फिक्सीटी ऑफ रेन्ट, उनके ऊपर जो राइट्स हैं, वे हैं । इस संबंध में क्या सुधार हो सकते हैं इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता । मैं आपके जरिए यह निवेदन करूं कि यह कहना कि किसान के दिमाग में अनिश्चितता है और इसकी वजह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, सही नहीं है । उसके दिमाग में निश्चितता है और उसका परिणाम यह है कि किसानों को जब से खातेदारी के हक सारे राजस्थान में मिले, काश्तकार अपनी जमीन के अंदर नए नए कुएं बना रहा है और हजारों की तादाद में हर साल कुएं बनते हैं, कुंओं से सिंचाई बढ़ रही है, छोटे बांध और बड़े बांध बन रहे हैं और राजस्थान के अंदर पिछले १०-१२ वर्षों में पहली योजना से लेकर आज तक, राजस्थान में करीब साढ़े नौ लाख एकड़ जमीन के नए साधन जुटाए गए । उसके लिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उसका यूज नहीं हो रहा है । मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो सिंचाई को पोटेन्शियल साढ़े नौ लाख एकड़ बनाया है, उस साढ़े नौ लाख पोटेन्शियल में से नौ लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई का पोटेन्शियल यूज़ हो रहा है, याने ५ हजार एकड़ ऐसी है जिसे ऊपर पानी फैलाया जा सकता है, पर आज पानी नहीं पहुंच रहा है, उसके कई कारण है । मुख्य कारण चंबल का एरिया है । मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाकर जहां पर कमान्ड एरिया करीब ६-१० लाख एकड़ जमीन हो, जिसका इरिगेशन ५-६ लाख एकड़ जमीन में होता हो, इतने बड़े इरिगेशन को इतने बड़े प्रोजेक्ट में डेवलप करने के लिए कम से कम ७-८ साल का पीरियड होना चाहिए । किसानों को कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं उनमें सिंचाई की आदत नहीं रही, सिंचाई किस प्रकार की जाय, नहरों का उपयोग कैसे किया जाय, कई प्रकार के टंटे पैदा होते हैं फिर भी राजस्थान के इरिगेशन का पोटेन्शियल यूज़ करने की जहां तक बात है जो पोटेन्शिल आज तक बना है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसका ६५ परसेन्ट पोटेन्शियल राजस्थान के अंदर यूज हो रहा है, जबकि औसत सारे भारत का इरिगेशन के पोटेन्शियल का यूज ७८ परसेन्ट है। राजस्थान के अंदर इरिगेशन पोटेन्शियल यूज होने के बारे में जो माननीय सदस्य क्रिटीकल हैं, मैं उनके क्रिटीकल होने की सराहना करता हूं और प्रेरणा लेता हूं कि यह पांच परसेंट छः हजार बीघा जमीन जो कि इरिगेट की जा सकती है वह क्यों नहीं की जाती है। विभाग के कर्मचारियों को रोज सतर्क किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जहां तक भी बैठ सके, बिठाओ, एक एकड़ बाकी है वह भी नहीं छोड़ना चाहिए।

राजस्थान में जो भी २२ रियासतें थीं, वह एक पिछड़ा हुआ इलाका था, जहां कृषि विभाग नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बाद एक कृषि विभाग बना। मैंने सिंचाई का अभी थोड़ा सा जिक्र किया है, अभी तो हमें एक दिन मिलेगा २४ तारीख। उस समय कई बातों का जिक्र करूंगा। आज तो कृषि विभाग के संबन्ध में उठाए गए मुद्दों पर कुछ कहना चाहता हूं। इस विभाग के जरिए बीज और खाद के उपयोग के बारे में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। यह नया विभाग बना। विभाग का एक्सपेन्शन किस गति से हुआ, आप लोगों के सामने नक्शा है। आज करीब ५०० आदमी इसमें काम करते हैं। ग्राम सेवक, सामुदायिक विकास योजनाओं के नीचे काम करते हैं और अब तो कृषि उत्पादन के सिलसिले में आपने नया हुक्म राजस्थान सरकार ने जो जारी किया है वह देखा होगा। किस प्रकार से पंचायत लेवल पर, किस प्रकार से ग्राम पंचायत लेवल पर, किस प्रकार स्टेट लेवल पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग महकमें से जो इससे संबंधित हैं, कोआॅर्डिनेशन किया जाय। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन-कम-एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रीएट कर रहे हैं, जिससे बेटर कोआॅर्डिनेशन हो और सीड्स और फर्टिलाइजर्स, जिसकी आप बात कर रहे थे, का इंतजाम हो सके। हमने सोचा सीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम और फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम सहकारी समिति करे, फिर हमने तय किया कि पंचायत समिति करे और जहां तक हो सके सहकारी संस्थाओं के मार्फत करें। जिन सीड मल्टीप्लीकेन्स फार्म्स की आपने आलोचनाएं की, मैं मानता हूं कि सबकी चैकिंग होनी चाहिए और जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। कई सिंचाई के साधनों की कमी है। हमारे पास एक एक फार्म का एनेलिसेस है। एक एक फार्म को अच्छा बनाने के लिए किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, किस प्रकार के टेक्निकल लोगों की कमी है, उसे पूरा करने की बात है, हम एक एक डिटेल में जाकर कमियों को देखेंगे ..

श्री केसरीसिंह : कब तक प्रोफिटेबल रनिंग हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज भी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म ६० परसेंट प्रोफिट में चल रहे हैं और उनके जरिए जो सीड पैदा किया जा रहा है और जो उत्पादन किया जाता है उसके जरिए काफी बड़े पैमाने तक, व्हीट सीड और बार्ली सीड राजस्थान में ८० परसेंट सेचूरेशन तक पहुंच गया है और बीकानेर के उन इलाकों के अंदर जहां कम है उसको और तेजी के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

साथ किया जायगा। इस प्रकार से मैं फर्टि-लाइजर्स की बात कह रहा था।

तो इस प्रकार फर्टिलाइजर की बात कही थी। १० साल पहले फर्टिलाइजर नाम की चीज को कोई नहीं जानता था। हमने यह लक्ष्य रखा है कि इस तीसरी योजना के अन्दर हमने एडिशनल १५ लाख टन फूड पैदा करने के लिए १ लाख टन नाइट्रोजन फर्टीलाइजर को यूज करना है, १५००० टन फास्फेटिक फर्टिलाइजर को यूज करना है। और, उपाध्यक्ष महोदय, इस साल जो हमने लक्ष्य रखा है जब कि पिछले साल हमने ४० हजार टन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का लोगों को काम में लेने और बांटने का इन्तजाम कर देना चाहिए था, और मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले साल जो कि बरसात की कमी का साल था और बरसात की कमी होने की वजह से खरीफ की जैसी फसल होनी चाहिए थी नहीं हुई, रबी की जैसी फसल होनी चाहिए थी, नहीं हुई और जो ४० हजार टन का जो लक्ष्य रखा था उसमें से करीब ३५ हजार टन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का इस साल यूज कर सकेंगे, ऐसी हमारी आशा है और हम इसका पूरा कर सकेंगे। ४० के बजाय ३५ हजार टन नाइट्रोजेनिक फर्टिलाइजर राजस्थान में इस साल में यूज हो रहा है। उसके मुकाबले में जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है वह करीब करीब १० हजार टन से हमने शुरुआत की थी। उसको हम करीब करीब १३–१४ हजार टन के लगभग तक पहुंचा चुके हैं।

यह नाइट्रोजेनिक और फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स किसानों को जा रहे हैं। तब उसके सिलसिले में डिमॉन्स्ट्रेशन की बात आती है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी और ग्रामसेवक और दूसरे लोग जितने अच्छे तरीके से पहुंचने चाहिए और जैसा चाहिए उस प्रकार प्रेक्टिकल डिमॉन्सट्रेशन देकर लोगों को समझाना चाहिए, उतने बड़े पैमाने पर जैसा कि होना चाहिए नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्षजी, जो कोई इस बात को मानकर चलता है कि जो कुछ हो रहा है वह आइडियल हो रहा है उसके आगे सुधार की आवश्यकता नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। हमने इस बात को माना है और मैं रोज अपने महकमे के लोगों पर जोर देता हूं कि हर एक्स्टेन्शन ऑफिसर या जो सुपरवीजन करने वाले ऑफिसर हैं उनको यह निश्चित ड्यूटीज दी जाय, टार्गेट दिये जायं कि लोगों के पास जाकर कितने फर्टिलाइजर्स के डिमॉन्स्ट्रेशन, कितने सीड के डिमॉन्स्ट्रेशन और एग्रीकल्चर के सुधरे हुए तरीकों का डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों के खुद के खेतों में जाकर रखें। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि जिनसे उनको संतोष हो कि लगातार हम इसमें प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। ६१–६२ में ११००० डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। दो–तीन सालों के आंकड़े हैं कि इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों के खेतों पर हमारी वेरियस एक्स्टेन्शन एजेन्सीज के लोगों की मार्फत किये गये हैं। ६२–६३ में वह आंकड़े १४००० डिमॉन्स्ट्रेशन के लगभग पहुंचे हैं, और इस साल में वही डिमॉन्स्ट्रेशन के आंकड़े १८००० के लगभग हैं। मैं चाहता हूं कि इस

Page No. 109

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशन १८००० ही नहीं हों क्योंकि जहां किसानों के परिवार लाखों की तादाद में हों और जहां पर एक्स्टेन्शन का वर्क जिस गति से लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन लाखों की तादाद में हों। मैं चाहता हूं कि ग्रामसेवक और एक्स्टेन्शन ऑफिसर इन कामों में ज्यादा तेजी लायें और ऊपर के ऑफिसर्स का उस पर सुपरवीजन हो, उनमें कोआर्डिनेशन हो। सब प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट्स अलग अलग तरह के किसी में बेटर सीड का, किसी में जमीन का, किसी में फर्टिलाइजर का कि कौनसा आइडियल फर्टिलाइजर होगा, कौन सा आइडियल इम्प्लीमेंट होगा जिससे कि उत्पादन बढ़ सकता है।

श्री केसरीसिंह : बताइये कोई डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप घूमें और देखें तो पता लगेगा।

श्री केसरीसिंह : मैं प्रधान हूं इसलिए फिरता ही रहता हूं, लेकिन कन्विन्सिंग डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने हेमावास का फार्म देखा है ?

श्री केसरीसिंह : ठीक है वहां!

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने देखा होगा कि हेमावास में कैसी जमीन ली थी आपसे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान को स्टेट में ही, जिसके बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे थे, राजस्थान सरकार की एक नीति रही है जब कि दूसरी रियासतों में जो फार्म बनाये है उन्होंने किसानों की बढ़िया जमीन छांटकर एक्वायर किया है, जब कि राजस्थान के अन्दर इस दृष्टिकोण से नहीं बनाये हैं, क्योंकि जब किसान की अच्छी जमीन एक्वायर करते है तो एक परिवार का नुकसान करते हैं और दूसरा उन जमीनों के अन्दर किसी प्रकार और इन्वेस्टमेंट करके बढ़ा हुआ एग्रीकल्चर उत्पादन बताना आसान बात है, लेकिन राजस्थान के अन्दर स्टेट फार्म में उन जमीनों को लिया हुआ है जो या तो सरकार की थीं....

श्री जुझारसिंह (चेचट) : आपने जो १४ हजार डिमॉन्स्ट्रेशन किये हैं उनका एनेलेसिस किया है कि कितने सक्सेसफुल हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग से बतला सकता हूं, एनेलेसिस किया है कि फेल कितने हुए है और सक्सेसफुल कितने हुए हैं, वह भी रेकार्ड में। वह इस वक्त जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ७५ परसेन्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वह सक्सेसफुल हुए है और २५ परसेन्ट फेल हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था स्टेट फार्म के बारे में कि हमने राजस्थान में जो १००-१०० एकड़ के फार्म बनाये हैं जब कि दूसरी स्टेट्स में २५-२५ एकड़ के फार्म बनाये गये हैं। हमने बड़े फार्म इसलिए बनाये है कि बड़े फार्म इकोनोमिक हो सकते हैं। जो फार्म बनाये हैं वह ऐसी जमीन में बनाये हैं जा कि सरकारी जमीनें थीं और जो नेग्लेक्टेड जमीनें थीं उनको हमने खुद ने रिक्लेम करके, इन्वेस्ट करके, उनको किया है, ताकि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनकी मार्फत हम कह सकें कि रफ से रफ जमीन पर इस तरह से करके अच्छी से अच्छी फसल की जा सकती है और उसके मार्फत अच्छे से अच्छे बीज पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको बताता हूं कि बाहर का आकर यह नहीं कह सके कि किसानों की तैयार की हुई जमीनों पर किया गया है। इसलिए हमने कहा कि किसानों की तैयार की हुई जमीनों को एक्वायर नहीं की जाय और सरकार की पड़ी हुई जो जमीनें हैं और जो आसानी से एवेलेबल हो सकती हैं उन पर फार्म तैयार किये जाय। किसी हालत में एवेलेबल नहीं हों तो किसानों की जो घटिया और बेकार की जमीनों को लेकर स्टेट उस पर अपने साधन खुद जुटायेगी और जमीन को इम्प्रूव करेगी और सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बना कर रखेगी, तो यह एक मिसाल होगी।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हेमावास फार्म को देखा है तो वहां पर पहले बड़ी रफ जमीन थी उसको हमने लिया तो वहां पर किसान हम पर हंसते थे। उसी तरह से सुमेरपुर का फार्म है, उसके लिए लोग कहा करते थे कि इस लैण्ड पर कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है, लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि उस फार्म के अन्दर हमने इस साल ६० एकड़ व्हीट किया है और ६० एकड़ में कम से कम २५ मन फी एकड़ के हिसाब व्हीट कम नहीं होगा। इस प्रकार के डिमांस्ट्रेशन को वहां पर लोग रोजाना देखते हैं।

श्री केसरीसिंह : लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनमें घाटा है. पाली के फार्म को मैं जानता हूँ कि वह अच्छा है, लेकिन उस में नुकसान है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका गलत ख्याल है, उसमें बिल्कुल घाटा नहीं है। इस साल में नहीं हुआ है।

श्री केसरीसिंह (पाली) इस साल भी घाटा रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : घाटा रहेगा तो वर्क आउट कीजिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात को जानते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने जो फार्म तैयार किये है तो उन फार्मों को किस तरह से किसानों से लिया होगा........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बीच में भाषण दे रहे हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह ठीक नहीं है। यह क्वेश्चन आवर नहीं है।

मैं एग्रीकल्चर के और दूसरे मुद्दे जो कि सदन में उठाए गए हैं, उनकी तरफ ज्यादा डीटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं कुछ बातें पशुपालन और खास तौर से ट्यूबवेल्स के बारे में........

श्री केसरीसिंह : रिग्स के बारे में आपने नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि पाली में रिग्स नहीं है। दो महीने हो गए कि फालना में काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के

(श्री नाथूराम मिर्घा)

ट्यूब वेल में काम हो रहा है। ट्यूब वेल खोदने का काम किसान अकेला नहीं कर सकता। आप रुपया जमा करवाए; हम बनवा देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि ट्यूबवेल बनाना हरेक किसान के लिए आसान बात नहीं है। किसानों को एक समूह में आकर अपने इलाके मे ट्यूब वेल्स बनाने चाहिये। तो इसमें सरकार ने कहा है कि ५० परसेंट लोन हम देंगे ट्यूब वेल बनाने के लिए। उसका प्रावधान हमारे पास मौजूद है इस योजना में। कोई भी किसान सामूहिक रूप से खेद की जमीन में ट्यूब वेल बनाना चाहे तो उस पर जो धन-राशि खर्च होगी उसका ५० परसेंट लोन का प्रावधान भी हमने अपनी योजना में किया है।

श्री आनन्दसिंह (करणपुर) : गंगानगर जिले में........ (अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्घा : गंगानगर में ट्यूब वेल्स बनाने के लिए अलग योजना है और महीने में पहुँच रही है। वहां के किसानों ने रुपया भी जमा करा दिया है। गंगानगर में ट्यूब वेल बनाने का काम आने वाले १५-२० दिनों में शुरू हो जायगा। ट्यूब वेल्स के बारे में चर्चा होती है कि ये बनाए जायं, लेकिन यह काम इतना आसान और सुलभ नहीं कि जहां चाहें एक ट्यूब वेल शुरू कर दें क्योंकि राजस्थान की धरती के अन्दर, किस धरती के नीचे पानी है, कितना है, मीठा है या खारा है, इन सब बातों की जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं ज्योलोजिकल सर्वे वह होता है। उसके लिए भारत सरकार की एजेंसी है, उसके मार्फत सर्वे होता है। उसने राजस्थान के कई हिस्सों का सर्वे किया है। राजस्थान के करीब १०-१२ जिलों के अन्दर सर्वे किया है और वहां पर इसका सर्वे करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट ट्यूब वेल बोर करने का काम हाथ में लिया। ७५ ट्यूब वेल बोर करने के थे। ४० बोर किए हैं और उनमें से करीब जैसलमेर में ११-१२ और अलवर में एक और इस प्रकार से नागौर में एक जिसमें से करीब ६ हजार गैलन पानी निकलता है। इस प्रकार करीब १९ वेल्स ऐसे हैं। आज जितने भी कुए उन्होंने बोरे किए हैं राजस्थान में वे सब कामयाब होकर निकले हैं और केवल ऐसे इलाके जो कि वाटर के अन्दर आ चुके हैं, वहां पर पानी मौजूद है। ऐसे इलाके भी हैं जहां ट्यूबवेल बने हुए हैं और बन चुके हैं खास तौर से जयपुर डिस्ट्रिक्ट। उसमें जो इलाका एप्रूव्ड है, पानी निकाला गया है। वहां तो अगर कोई भी आदमी आज प्राइवेट ट्यूब वेल बनाना चाहे तो हम प्राइवेट भी बना सकते हैं। यदि हमें इस बात का विश्वास हो कि पानी निकल जायगा और हम कामयाब होंगे, किसान को रिटर्न्स भी मिलेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ट्यूब वेल्स बनाने की मशीनें हैं जो पहले राजस्थान में कम थीं। करीब ७-८ रिग्स थीं ४ नए रिग्स और ली हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : दो महिने से आई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां। हम आपको नया दे दें। अब तक १२ रिग्स हैं। जितो एरियाज एप्रूव्ड हैं उन एरियाज में कोई प्राइवेट किसान बनाना चाहे या समूह बनाना चाहे तो हम ट्यूबवेल बनाने को तैयार हैं। उसका रेट हिंदुस्तान में सबसे कम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, हम एक फुट ट्यूबवेल के लिए किसान से ५१-५२ रुपए लेते हैं जबकि वे प्राईवेट एजेन्सी हिंदुस्तान में १००-१२५ रुपए से कम नहीं लेती। हम तो नो प्रोफिट नो लास बेसिस पर काम करना चाहते हैं। यह आर्गेनाइजेशन हमने इसलिए बनाया कि यह आर्गेनाइजेशन दो तरीकों से काम करता है - ट्यूबवेल्स बनाता है और उसके साथ ही साथ जो कुएं किसानों के हैं उनको गहरा भी करते हैं रिग्स के जरिए और ब्लास्टिंग के जरिए, कम्प्रेशर्स के मार्फत। ब्लास्टिंग के प्रोग्राम को हम बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में इस आर्गेनाइजेशन के जरिए काम करना चाहते हैं और उससे काश्तकार को काफी लाभ हुआ है, एक साल में करीब ५ हजार से लेकर ७ हजार कुंओं में ब्लास्टिंग का काम करते हैं। जिन काश्तकारों को इसकी जानकारी नहीं उनको जानकारी दिलाकर कि किस प्रकार से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर सिंचाई के साधन बढ़ाए जा सकते हैं, हम इसमें प्रगति करते रहेंगे। अब मैं पशुपालन .....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जो अपने यहां से, राजस्थान से, ट्रेनिंग के लिये पंजाब गये वे कृषि विभाग के अधिकारी थे या प्राइवेट थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब कृषि विभाग के अधिकारी थे और कुछ कॉलेज के लेक्चरार्स थे, वे ट्रेनिंग में गये। इसके बराबर कमेटी में स्क्रीनिंग होकर जो लोग ट्रेनिंग में जाने के हकदार हैं उनको भेजा जाता है। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है और न करने की बात है।

श्री केसरी सिंह (पाली) : मैंने अर्ज किया था कि आप जो सीड डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पंचायत समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप जो पैसा देते हैं तो उसी दिन से ब्याज लगाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका हल निकाल दिया है। हम आपको दो रुपये एक मन के पीछे इम्प्रूव्ड सीड्स देंगे और उस सबसिडी की वजह से जिस नुकसान की पंचायत समिति को आशंका थी और डर था कि ब्याज का भुगतान समय पर नहीं हो सकता, उस स्कीम को हमने इस साल से लागू कर दिया है। पंचायत समिति के घाटे में होने की आशंका नहीं रहेगी।

मैं आपकी मार्फत पशुपालन विभाग के संबंध में .....

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है। क्या सदन को यह मन्शा है कि जब तक यह मांग पारित हो जाय जब तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ। पशुपालन विभाग से संबंधित जो मुद्दे यहां उठाए गये हैं उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर योजनाओं को लागू होने के बाद जो कुछ भी धन-राशि इसमें खर्च कर पाये हैं, वह पहली योजना में नहीं कर पाए।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पहली योजना ५०–६० लाख रुपये की थी। दूसरी योजना में करीब दो करोड़ रुपये खर्च कर पाये। तीसरी योजना में हम इस काम पर ३–३ १।२ करोड़ खर्च करेंगे। कुल मिलाकर ५–६ करोड़ की धन-राशि इन तीन योजनाओं में लगाई गई है। पशुपालन के सुधार के अन्दर बुनियादी ४ बातों की आवश्यकता होती है। जानवरों को अच्छा चारा मिले, घास मिले, जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये नर जानवर उनके हुडर्स के अन्दर दिये जायं, तीसरे इनको बीमारियों से बचाया जाय और चौथे, रद्दी, घटिया किस्म के जानवरों की बीडिंग की जाय। इन्हीं सिद्धान्तों को पूरी तरह से लागू करने के लिये राजस्थान के अन्दर जो स्कीम्स इस विभाग की चल रही हैं, हमको देखना है कि उनकी दिशायें सही हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि इस विधान सभा के किसी माननीय सदस्यों को इस बारे में कि दिशायें सही हैं या नहीं, कोई एतराज नहीं है।

दिशायें हमारी सही हैं। अच्छे जानवर हमारे यहां होने चाहिये, हमारी गायें अच्छी होनी चाहिये, हमारे घोड़े अच्छे होने चाहिये, हमारे ऊंट अच्छे होने चाहिये, हमारी भेड़ें अच्छी होनी चाहिये। हमारे सभी जानवर अच्छे होने चाहिये। हम इन सभी सिद्धान्तों को मानते हैं और उनके लिये हमने प्रयत्न किये हैं कि विलेज की स्कीम १८ केन्द्रों में चल रही है। एक-आध केन्द्र सेटिस्फेक्ट्री नहीं चल रहा है, मुझे भी उससे संतोष नहीं है। लेकिन १६, १७ केन्द्रों की प्रगति के बारे में देखेंगे तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हजारों की तादाद में कृषि गर्भाधान जानवरों में, गायों में किया जाता है। इसके सेन्टर्स के राउन्ड अबाउट १०-१२ गांव जुड़े हुये हैं। जो अधिकारी वहां पर काम करते हैं वे रात दिन जानवरों के हित में काम करते हैं। जो रिज़ल्ट्स आये हैं वे बहुत अच्छे आये हैं। जो बछड़े पैदा हुये हैं उनसे सन्तोष है। अच्छे पेडिग्री टाइप के होते हैं लोगों के लिये उनका उपयोग है। लोगों ने उनसे लाभ महसूस करना शुरू किया है।

इसके साथ ही बुल्स की स्कीम है, सब्सिडी देने की स्कीम है उसके बारे में यहां जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि सब्सिडी कम है, १०) देते हैं उसका सही उपयोग नहीं होता है। जैसा आपने कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जितना रुपया देते हैं उसका सही उपयोग है, लेकिन फिर भी जैसे अच्छे साल भर में बछड़े बनते हैं, तगड़े बनते हैं उनको हमने खरीदा है, लोग भी उनको पंचायत समितियों में ले गये हैं। वह बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ४० हजार अच्छे सांड हमको राजस्थान में चाहिये। गांवों के लिये पेडिग्री बुल्स का लोगों का प्रयत्न है जिसके जरिये १०००,१५०० तक नंबर पहुंचता है। अब भी हमारे यहां १५, १६ हजार अच्छे पेडिग्री बुल्स हैं। आधे करीब हैं और उतनों ही की और जरूरत है। यह प्रोग्राम बहुत बड़ा है और कई वर्षों तक चलाने की आवश्यकता रहेगी।

इसी तरह से ज्यादा अस्पताल खोलने की जरूरत है, जानवरों को बीमारी से बचाने की जरूरत है, माता या रिन्डरपेस्ट की बीमारी से बचाने की जरूरत है। इसी तरह से घटिया किस्म के जानवरों को बधिया करने की जरूरत है। कम-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जोर नस्ल बीधया करने से पैदा नहीं हो सकती। रिन्डरपेस्ट के टीके लगाने से यह बीमारी काफी कम हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांवों में जाकर काफी सेवा की है। जो रोग पहले होते थे उनमें बहुत कमी आई है। किसानों ने सहयोग दिया है, किसान समझे हैं, इसलिये उनके जरिये निश्चित तौर से जानवरों में बीमारी कम हुई है। निश्चित तौर से अच्छे सीड पहुंचे हैं। फिर भी कमी है, ज्यादा पहुंचाना है। ज्यादा मेहनत से अॉफिसरों को काम करना है, विभाग को काम करना है। ज्यादा केपिटल इम्प्यूट करना है। हमारे यहां ३।। करोड़ जानवर हैं; जिनमें भेड़े भी शामिल हैं। चराई के स्थान की कमी है लेकिन चराई के लिये वह पुराना पैटर्न अब नहीं रह सकता, घास के लिये खुले प्लाट्स अब नहीं रहे हैं। चराई के पुराने पैटर्न को अब सुधारना पड़ेगा। अब किसान अगर मवेशी पालता है तो उनके लिये उसको अपने ही खेत में चारा और नाज पैदा करने के साधन जुटाने पड़ेंगे। अच्छा इम्प्रूव्ड खाद देने के लिये, अच्छे बीज देने के लिये, इस महकमे का बहुत बड़ा हिस्सा काम कर रहा है। नये प्रकार के बीज के जरिये नेपियार घास काफी पैमाने पर लगाई है लेकिन अभी पैमाना कुछ नहीं है। इतनी खेती है, इतने जानवर हैं, जमीन पर ज्यादा घास पैदा करते हैं तो जानवरों को खाने को अच्छा मिल सकता है वरना पुराने जमाने की तरह खुली जमीन नहीं है, जैसी पहले जागीरदारों के जमाने में थी, पहले जागीरदारों के जानवर चरते थे और फिर किसानों के चरते थे, अब वह बात तो है नहीं। जमीन अगर किसी खातेदार की है तो वह दूसरों के जानवरों को आने देना पसन्द करेगा नहीं, इसलिये किसानों को देखना होगा कि उसको कितने अच्छे जानवर रखने हैं, कितना दूध बढ़ाना है, कितनी ऊन बढ़ानी है, उसी हिसाब से वह अच्छा खाद और बीज देकर अपने लिये और पशुओं के लिये खाने की व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। इसलिये बदले हुए जमाने में हमें भी बदलना होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंजिल दूर है। हमारी दिशाएं सही हैं उनकी मार्फत हम आगे बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आगे बढ़े हैं। इतनी बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं इससे ही हमें सतोष हो गया हो, इसको मानने वाले भी हम नहीं हैं। हमें सुधार करना चाहिये, ज्यादा चीजें बढ़ानी चाहिये। अब तक कुछ हुआ ही नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है। उत्पादन को लेते हैं तो १०० मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन बढाना था, अब तक ८०.८५ मिलियन टन तक ही पहुंचे हैं। लोगों को पेट भर खाने के लिये अनाज उपलब्ध नहीं कर सकेंगे तो और बातें तो गौण हैं। हमें चिन्ता नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, चिन्ता है। सभी दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है, गति तेज करने की आवश्यता है और इन्वेस्टमेन्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास सीमित साधन हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो उसके लिये उद्योग करना है। मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। जो कुछ बातें कटौती प्रस्तावों के जरिये कही गई और जो बातें रह गई हैं समय की कमी के कारण जवाब नहीं दे पाया हूं, मुमकिन है कई माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर नहीं दे पाया हूं, तो समय की कमी के कारण मजबूरी है। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रेस नहीं करेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं जानकारी चाहता हूं मंत्रीजी ने कहा कि कोई जमीन बेच दी, मैं जानकारी देता हूं .

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी नहीं दें, क्लेरिफिकेशन करवा सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कंसोलिडेशन ग्राफ होल्डिंग्ज के बारे में ग्रापने कहा कि कंसोलिडेशन ग्राफ होल्डिंग्ज चल रहा है उसको बंद करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बंद करने की कोई बात नहीं है । जहां पर लोग चाहते हैं इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के लिये इरिगेशन फेसिलिटीज नहीं हैं वहां कंसालिडेशन की वेल्यू है, जहां किसान चाहते हैं, जहां इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, बारानी है, वहां किसान कंसोलिडेशन नहीं चाहते हैं तो हमें जबर्दस्ती नहीं नहीं करना है ।

श्री महेन्द्रसिंह गावड़ी (दीगोद) : मंत्रीजी यह महसूस करते हैं कि जो नये प्रोजेक्ट एरियाज़ चालू किये जाते हैं तो किसानों को वहां की भूमि को डेवलप करने के लिए कम से कम ८ वर्ष चाहिये, लेकिन सरकार के द्वारा शुरू से ही बेटरमेन्ट लेवी लेने की कोशिश की जाती है । क्या मंत्रीजी इस बात का ग्राश्वासन देंगे कि बेटरमेन्ट लेवी उन्हीं से ली जायगी जिस जमीन का विकास हो गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बेटरमेन्ट लेवी के बारे में मैंने निवेदन किया था कि ग्राज भी चम्बल एरिया में १ लाख ८० हजार एकड़ भूमि को डेवलप कर चुके हैं जो जमीन डेवलप हो चुकी है ग्रौर जहां किसानों को लगातार दो तीन साल से पानी मिल रहा है ग्रौर जिस जमीन के बारे में पूरा यकीन हो चुका है उस जमीन की बेटरमेन्ट लेवी लेंगे ।

श्री महेन्द्रसिंह गावड़ी : क्या ग्राप कह सकते हैं कि चम्बल एरिया में जहां पानी दिया जा चुका है वहां सब जगह बराबर पानी मिल ही रहा है ? कहीं कहीं पर पानी नहीं पहुंच रहा है, सीपेज है, उस एरिया में चम्बल का पानी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी इरिगेशन बराबर नहीं होता, वहां भी बेटरमेंट लेवी लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी फेसिलिटीज़ देने के लिये इरिगेशन रेट्स काफी घटाई है, किसी किसी में तो १/४ भी नहीं रही है, खास तौर से चांवल, धनिया, शुगरकेन, इनकी रेट घटाई है, तकावी ज्यादा दे रहे हैं, दूसरी फेसिलिटीज़ ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उसके साथ ही जो वाजिब ड्यू हैं वह लेना सरकार का काम है ।

श्री ग्रब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : One more point......

श्री उपाध्यक्ष : That's all.

श्री ग्रब्दुलजब्बार : Only one question. वह है कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग के सबंध में, यह राजस्थान सरकार की रिपोर्ट पर ग्राधारित है । मंत्रीजी ने फरमाया था कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग के लिए, मैं दो लाइन्स इसमें से पढ़ कर सुना देता हूँ.......

Page No. 116

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ने नहीं दूंगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : केबिनेट की रिपोर्ट है, उसके आधार पर कोआपरेटिव फार्म नहीं होते है उनको तकावी देने का रेस्ट्रिक्शन रखा जाय, नहीं दी जाय, इस किस्म की धारणा केबिनेट में रही है । जहां किसान के डेवलपमेन्ट का सवाल आता है तो एक तरफ तो कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग को प्रेस नहीं करते और दूसरी तरफ बगैर कोआपरेटिव फार्मिंग के आप तकावी नहीं देना चाहते । आपकी यह राय कैसे फोर्म हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपको गलत फहमी हो गई है कि कोआपरेटिव फार्मिंग बगैर लोन नहीं दिया जाता; दिया जाता है । हमने यह कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे, उससे विशेष लोन देंगे । ओरीजिनल लोगों को लोन देते हैं सो तो देते ही है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २, ४५, ५७, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण का योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८, ८५, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशु पालन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८०,७८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. १.४१ बजे दिनांक २१ मार्च, ६५ के म. पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक २० मार्च, १९६४)

स्तम्भ

(१) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

फसल को नुकसान-जिला बांसवाड़ा ।

भोलाजी कातालाब, तहसील चित्तौड़गढ़ ।

हाउस टैक्स असेसमेंट के विरुद्ध अपीलें-बांदीकुई ।

अजमेर सागर के तालाब की पाल-सब-तहसील सरमथुरा ।

पुलिस थाना बनेड़ा में दर्ज एफ. आई. आर. ।

राजस्थान केनाल के मजदूरों को खांड का कोटा ।

सस्ते गल्ले की दुकानें—जयपुर ।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जयपुर ।

पुलिस विभाग में सर्किल इन्सपेक्टर्स के पदों पर नियुक्तियां ।

सीकरी थाने के भवन की मरम्मत ।

बाढ़ से हानि—कस्बा बाली ।

दलपति, होम गार्ड एवं राइफल ट्रेनिंग ।

भाखरा के पानी का हिस्सा ।

स्तम्भ

सी० आई० पुलिस, डीग के विरुद्ध शिकायतें ।

बाण गंगा पर पुल—ग्राम बामौरी ।

माकेदारों का ग्रेड ।

हरीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी ।

भूमि की बिक्री—तहसील पीपलदा ।

पुलिया का निर्माण—ग्राम रारे ।

हक नम्बरदारी ।

काप्रेन माइनर के टूटने से हानि-तहसील पाटन ।

पसायतेदारान को मुआवजा—जिला जालोर ।

माला बारंडी—जिला कोटा ।

पहाड़ी जमीन का अलॉटमेन्ट—जिला उदयपुर ।

भूमि पर नाजायज कब्जा—ग्राम मोही ।

पटवारी द्वारा गबन तथा भ्रष्टाचार-तहसील सराडा ।

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४८

सेन्ड स्टोन प्लाट्स का वितरण भीलवाड़ा।

झुंझुनू जिले के गावों में अकाल स्थिति।

होम गार्ड्स ट्रेनिंग।

बांधों का निर्माण-गिरवा क्षेत्र।

जयपुर में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा प्लाटों का वितरण।

मेडिकल फैसिलिटीज़ पर वार्षिक व्यय।

हैल्थ सेंटर पर डाक्टर की कमी।

गंग नहर क्षेत्र।

३. स्थगन-प्रस्ताव ५९

(१) कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड, कोटा के सम्बन्ध में श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा के स्थगन-प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। ५९

श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में दिनांक २१ मार्च, १९६४ को एक वक्तव्य देंगे।

(२) भीम तहसील में अकाल की स्थिति के सम्बंध में श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई। ५९

(३) बूंदी में मंहगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा धरना दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकिशन सदस्य विधान सभा, के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई। ६१

४. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ६३

श्री हरिश्चन्द्र, उद्योग मंत्री ने निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखे:—

(१ राजस्थान वित्तीय निगम (The RaJasthan Financial Corporation] का छठा, सातवां एवं आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं तत्संबंधी लेखों के विवरण।

(स्टेट फाईनेन्शियल कारपोरेशन अधिनियम, १९५१ की धारा ३७ (७) व धारा ३८ (३) के अन्तर्गत)

(२) राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज़ (लोन्स) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज अधिनियम, १९६१ की धारा ८ (२) के अन्तर्गत)

५. आय-व्ययक १९६४-६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान ७८

(१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि

(२) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण योजनाओं पर पूंजी की लागत

(३) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन

उपरोक्त मांगें श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गईं। इन मांगों पर कुल १६५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं।

शनिवार, दिनांक २१ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाडियों पर कर

(२) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७–सड़क तथा जल परिवहन योजनाएं

(३) मांग संख्या ४५ मुख्य शीर्षक ११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ का उत्तर देखिये)

List of clerks whose service weres transferred in executive side of Police Department in the year 1952-

S.No.	Name of Clerk	Post on which transferred.
1.	Shri Kunj Behari Lal	P. I.
2.	Shri Ram Chander	P. I.
3.	Shri Triloki Nath	P. I.
4.	Shri Devi Lal Ojha	P. I.
5.	Shri Man Singh	C. I.

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बाण गंगा पर पुल-ग्राम बामोरी

५६६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल नहर का पानी बामोरी गांव (तहसील मांगरोल) के पास बाण गंगा नदी में डाल देने से नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है व ग्रामीण जनता के आवागमन के साधन रुक गये हैं ?

(२) क्या सरकार बाण गंगा पर पुल बन्धवाने व आवागमन की सामान्य व्यवस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

(३) चम्बल नहर का पानी नालों में छोड़े जाने की वजह से और कौन कौन सी और कितनी जगहों पर ग्राम रास्ते रुक जाने की शिकायत आई है और इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां, पुल बनवाने का तखमीना बना लिया गया है; चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड से इस की स्वीकृति मांगी गई है । स्वीकृति आने के बाद काम प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

(३) नहरों का पानी नालों में छोड़ा जाने से कोटा से खेरा, रसलपुर, कोटा, चन्देलसल मार्ग, मांगरोल से मऊ व बमोरी कलां तथा मांगरोल-सुरथडा सड़क, ज्योती कलां, नया गांव, नोताड़ा के पास पानी ऊंचा आ जाने से रास्तों में रुकावट आई है, इन सब स्थानों पर पुलियायें बनाने के लिये तखमीने बना लिये गये हैं । रकम की स्वीकृति के लिये चंबल कंन्ट्रोल बोर्ड को लिखा गया है ।

नाकेदारों का ग्रेड

५६७. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पूर्व नाकेदारों को जो भूतपूर्व रियासतों के कस्टम्स एण्ड एक्साइज विभाग में काम करते थे उक्त विभाग समाप्त होने पर पटवारियों में रख लिया गया था ? यदि हां, तो कितने नाकेदारों को किस ग्रेड में नियुक्त किया गया और वार्षिक वृद्धि कितनी और कब तक मिलती रही ? यदि कुछ व्यक्ति इससे वंचित हैं तो क्यों और कब से ?

(२) क्या इन नाकेदारों का ग्रेड ए. जी. जोधपुर द्वारा सन् ५० से ५८-३-८० का स्वीकार हो चुका था ? यदि हां, तो इन नाकेदारों को पटवारियों के पद पर नियुक्त करने के बाद उन्हें नाकेदारों का जो ग्रेड था उसके अनुसार सालाना ग्रेड इन्क्रीमेन्ट क्यों नहीं दिया गया और सीनियोरिटी के लिहाज से पदोन्नति क्यों नहीं की गई ? यदि हो गई, तो कितनों को दी गई और बाकी क्यों वंचित रहे ?

उत्तर

(१) जी हां । ६२२ नाकेदार व कस्टम्स एन्ड एक्साइज विभाग के कर्मचारियों को पटवारी के पद पर पटवारी के ग्रेड ४०-१-५० इ. बी. २-६० में रखा गया है और वार्षिक वृद्धि ग्रेड के अनुसार होती रही है कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहा ।

(२) जी हां । जबकि कस्टम्स एण्ड एक्साइज का विभाग टूट गया और नाकेदारों की कोई पोस्ट ही नहीं रही और इनके कर्मचारियों को पटवार पद पर लगा दिया गया तो फिर नाकेदार के ग्रेड का वार्षिक वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठाता । जिन कर्मचारियों को पटवारी के ग्रेड से यानी ६०) से ऊपर तनखा मिलती थी उनकी वह तनखा पर्सनल पे मान ली गई । सीनियरिटी का ध्यान रखा गया है योग्यता और नियमानुसार ७० कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया गया है ।

हरीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी

५६८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) हरीपुरा डिस्ट्रिब्यूटरी (भाखरा प्रोजेक्ट) तहसील हनुमानगढ़, जिला गंगानगर को सन १६६० के आस-पास कितना बढ़ाया गया था तथा उसको बढ़ाने में कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त डिस्ट्रीब्यूटरी के बढ़ाये हुये हिस्से को समाप्त कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेवार ठहराया गया ?

उत्तर

(१) हरिपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी भाखरा प्रोजेक्ट को सन् ६० के आसपास बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है ।

(२) जी नहीं ।

भूमि की बिक्री-तहसील पीपलदा

५६६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कोटा जिले की तहसील पीपलदा में कोलोनाइजेशन विभाग ने कितने काश्तकारों को कितनी कितनी भूमि बेचान की ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उक्त बेचानशुदा भूमि में से कितने व कौन कौन से काश्तकारों की बेचान को डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन ने अनकमान्ड चरागाह बताकर कनफर्म नहीं किया ?

(३) उक्त बेचान कब हुए थे, तथा डाइरेक्टर ने कब उन्हें कनफर्म करने से इन्कार किया ?

(४) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को भूमि दिए जाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

१) ३३११ व्यक्तियों को कोटा जिले की तहसील पीपलदा के ग्रामों में कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा रकबा २०३६१।२ बेचान किया गया है।

२) उक्त भूमि बेचान शुदा में से ६८ व्यक्तियों को ६१८ बीघा भूमि अनकमान्ड चारागाह तहसीलदार कॉलोनाइजेशन ने बेचान कर दी थी जिसको डाईरेक्टर, कॉलोनाइजेशन ने कनफर्म नहीं किया।

३) उक्त बेचान दिसम्बर सन् १९६२ से अप्रेल सन ६३ तक हुए थे जिनकी मिसले तहसील द्वारा डाइरेक्टर कालोनाइजेशन के दफ्तर में पेश होने पर अप्रेल, सन् ६३ में कनफर्म करने से इन्कार किया।

४) जी नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुलिया का निर्माण-ग्राम रारे

५७०. श्री अमृतलाल (हिन्डोन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जगर बांध से सूरोठ की तरफ जो नहर गई है उससे ग्राम रारे व हाडोली खेडो जाने वालों को काफी परेशानी होती है?

(२) क्या यह भी सही है कि ग्राम रारे वालों की खेती नहर की दूसरी तरफ होने के कारण उनको खेती बोने व खेती का अनाज आदि लाने, लेजाने में कई मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है?

(३) यदि हां, तो सरकार ऐसी परिस्थिति में ग्राम रारे के पास में पुलिया कब बनवा रही है?

उत्तर

१) जी नहीं।

२) जी नहीं।

३) वहां तीन पुलिया बन चुकी हैं और एक बन रही है; ग्राम रारे के पास पुलिया बनाना आवश्यक नहीं है।

हक नम्बरदारी

५७१. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या खेतड़ी तहसील, जिला झुंझुनू के समस्त नम्बरदारों को सम्वत् २०१६ तक की छूट (हक नम्बरदारी) अदा कर दी गई?

(२) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. कलेक्टर के पास फंड के अभाव के कारण पूरा भुगतान नहीं हो सका। पूरा भुगतान करने की आवश्यक कार्यवाई का जा रही है।

कापरेन माइनर के टूटने से हानि, तहसील पाटन

५७२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की पाटन तहसील में कापरेन माइनर स्टेशन बूंदी रोड चेन ६४० टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इससे मसूर के खेतों में नुकसान हुआ जिसका मुआवजा नहीं दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि श्री फताजी ओंकारजी मीणा, साकिन चड़ी का खेत खसरा नं० ६६ में ६।१ बिस्वा मसूर नष्ट हुई और उनसे पिलाई वसूल कर ली गई ?

(४) क्या यह सही है कि अनरेठा में रामनारायण लुहार, गणेशराय गूजर व अन्य किसानों के खेत में जलोदा माइनर पूरी नहीं खोदने से खेतों में फसलों का नुकसान हुआ है और पिलाई वसूल की जा रही है ?

(५) पाटन तहसील में कौन २ से ग्रामों में कितने कितने किसानों के खेतों में नहर का पानी गया है जिससे फसलें नष्ट हो गई और उनके मुआवजे देने की कार्यवाही चल रही है ?

(६) क्या यह सही है कि घटा का बराणा व देईखेड़ा में भी नुकसान हुआ है और पिलाई वसूल की जा रही है और किसानों के द्वारा इसका विरोध करने पर कुर्कियां वारन्ट द्वारा वसूल कर ली गई ?

उत्तर

१-जी हां। कुछ नुकसान नहीं हुआ है।

२-जी नहीं। सिर्फ १६ बीघे रकबे में मसूर की फसल को नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा चुका दिया गया है।

३-जी नहीं।

४-जी नहीं।

५-सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

६-जी हां। कुछ रकबे में नुकसान हुआ था जिस पर कोई पिलाई नहीं लगाई गई।

सूची

सूची काश्तकारान तहसील पाटन जिनको फसल क्षति होने का मुआवजा दिया जा चुका है या दिया जाने वाला है:—

क्रम संख्या नाम ग्राम	संख्या काश्तकारान	नुकसानी फसल बीघा में	रकम मुआवजा	विशेष विवरण
		फसल रबी १९६०—६१		
१—घाटे का बराना	११	१०२	३०६१.५०	कुछ मुआवजा दिया जा चुका है।

२—दही खेड़ा	५	४१-५	१२३७.०० (१५०)	के अलावा बाकी कुल मुआवजा दिया जा चुका है।
३—केशवरायपाटन	१	३	६०.००	कुल मुआवजा दिया जा चुका है।

फसल रबी १९६१—६२

१—घाटे का घराना	६	३३-४	६६६.००	,,
२—घड़ी	१६	११-१	५७१.४०	सिवाय १ काश्तकार के जो मर गया है शेष कुल मुआवजा दिया जा चुका है, केवल ४.५० न०पै० उसके बाकी है।
३—कमोलर	७	१३	३६४.५०	कुल मुआवजा दिया जा चुका है।
४—बकांदा	२	३-५	६७.५०	,,
५—पीपा	१	५	१५०.००	,,
६—मापजी का घराना	१	२१-६	६३६.००	,,
७—ईश्वर नगर	५	३-१०	११५.५०	,,
८—केशवराय पाटन	५	४-१८	१४७.००	सिवाय दो काश्तकारों के जिनका सही नाम का पता न होने से ६०) रु० सिर्फ मुआवजा देना अभी शेष है, बाकी सब दिया जा चुका है।
९—दोडियो का खेड़	१	१३-१२	४०८.००	कुल मुआवजा दिया जा चुका है।

पसायतेदारान को मुआवजा-जिला जालोर

५७३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला जालोर में पसायतेदारान को अब तक कितने गांवों में मुआवजा वितरित किया गया है और कितने गांवों का मुआवजा देना बकाया है ?

(२) बाकी गांवों के पसायतेदारान को मुआवजा निश्चित तौर पर कब तक दे दिया जावेगा ?

(३) पसायतेदारान को मुआवजा देने में इतनी देरी के क्या कारण हैं ? इस देरी के लिये जिम्मेदार कौन है ?

उत्तर

(१) ७८ गांवों में दिया जा चुका है। ३७० गांवों में देना बकाया है।

(२) लगभग ६ मास में।

(३) देरी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

नाला बारंडी जिला कोटा

५७४. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दिगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम घोरी मर्सपुरया, तहसील दिगोद, जिला कोटा के पास एक नाला बारंडो नामक आबादी व खेतों के बीच से निकलता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नाले में चम्बल की मैन कैनाल के दोनों तरफ के सीपेज के पानी को ड्रेनेज खोद कर डाला गया है, जिससे यह नाला हमेशा काफी गहरा बहता रहता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि यह नाला खेत व आबादी के बीच होने से व मुतवातिर बहते रहने से उक्त ग्रामवासी फसल को ग्रामों में लाने से बिल्कुल असमर्थ हो गये हैं ? यदि हां, तो फिर इस नाले को पक्का क्यों नहीं बनाया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं। कोई असमर्थता नहीं है ।

पहाड़ी जमीन का अलॉटमेंट-जिला उदयपुर

५७५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिला अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है ?

(२) क्या यह सही है कि पहाड़ी जमीन नियमानुसार अलॉट नहीं की जा सकती तथा नियमानुसार बीड़ व घास के लिए भी जमीन नहीं दी जा सकती जिससे इस जिले में अधिकतर भूमि बिला नाम पड़ी है जिसका कोई उपभोग नहीं होता ?

(३) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्र की इस प्रकार की भूमि को भविष्य में अलॉट कराना चाहेगी जिससे घास की समस्या हल हो सके ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

पहाड़ी जमीन में से जो जमीन काबिल काश्त उपलब्ध हो उसको काबिल काश्त में परिवर्तित कर वास्ते काश्त नियमानुसार अलॉट की जाती है, केवल घास के लिये जमीन अलॉट करने का एलाटमेंट रूल्स में प्रोविजन नहीं है ।

(३) पहाड़ी क्षेत्र की इस प्रकार की भूमि को भविष्य में ऐलॉट करने के लिए सरकार द्वारा आदेश पहले ही प्रचलित किये जा चुके हैं ।

भूमि पर नाजायज कब्जा-ग्राम मोही

५७६. श्री शंकरलाल (सादड़ी):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री जोधसिंह भाटी, निवासी मोही, तहसील राजनगर ने भूतपूर्व ठाकुर सा० मोही के गुजर जाने के बाद संबंधित अधिकारियों से मिल कर आराजी करीब १२० बीघा पर नाजायज कब्जा कर लिया और अपने नाम दर्ज करा दी थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को पहले कुछ भड़भोपे जाति के व्यक्ति काश्त करते थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले के विषय में ग्राम पंचायत मोही तथा कांग्रेस कमेटी ने भी प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों के पास प्रस्तुत किये थे, मगर कोई निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं और अब इस विषय में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

(४) क्या यह सही है कि श्री जोधसिंह भाटी राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं और पटवारी के पद पर है ?

उत्तर

१) जागीरदार मोही के फौत हो जाने के पश्चात् श्री जोधसिंह भाटी का १२० बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं है।

श्री जोधसिंह भाटी के नाम मौजा बाडी-लाई तहसील राजसमन्द में ४५। बीघा भूमि सं. २०१० से दर्ज है एवं इनके भाई श्री नारायण सिंह के नाम ८० बीघा भूमि मौजा मंडीलाई में संवत् २०१० से दर्ज पाया जाता है।

२) यह भूमि संवत् २०१० के पूर्व बन्दोबस्त में बिलानाम दर्ज है।

३) यह सही है कि उक्त मामले में ग्राम पंचायत मोही एवं कांग्रेस कमेटी ने प्रार्थना-पत्र पेश किये। संबंधित पटवारी श्री जोधसिंह दि० ८ ८ ६० से निलम्बित है, उनके प्रति विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

४) यह सही है कि जोधसिंह भाटी पटवारी है, मगर वह उक्त कार्यवाही में दिनांक ८.८.६० से निलम्बित है।

पटवारी द्वारा गबन तथा भ्रष्टाचार तहसील सराड़ा

५७७. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या तहसील सराड़ा में कुछ ऐसे पटवारी हैं जिनके विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टचार की शिकायतें तहसील में हुई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि पालबलवा के मोठालाल पटवारी ने अलाटमेन्टशुदा जमीन नापने में फीस के नाम पर आदिवासी काश्तकारों से रिश्वत ली है ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों से फीस के नाम पर रिश्वत ली है ?

(३) क्या उक्त पटवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या काश्तकारों की औरतों व पुरुषों के पहिनने के चांदी के गहने गिरवी रख कर रिश्वत ली है ?

उत्तर

(१) जी हां। एक पटवारी के विरूद्ध गबन की और तीन पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं सभी शिकायतों पर कार्यवाही जारी है।

(२) ऐसी शिकायतें २० आदिवासियों ने की हैं। जाच की कार्यवाही जारी है।

(३) जांच हो रही है, शिकायत साबित होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

(४) पूर्ण तथ्य जांच समाप्त होने पर मालूम हो सकेगा।

❀ शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, २० मार्च, १९६४)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	४	म. पू,	म.पू.
६	अन्तिम से ६	श्री विजयसिह	श्री विजयसिंह
१८	२१	श्री मथुरेश ।बह्वारा	श्री मथुरेश बिहारी
२२	१५	दुकानें जयपुर	दूकानें, जयपुर
२६	अन्तिम से ७	कालाबादल"	"कालाबादल"
३१	प्रथम	श्री निरजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
३२	८	आडर्स	ऑर्डर्स
३३	६-७	(कमां [श्री सांवलिया राम रूपवास-सु०)	(कामां) [श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०)
४७	६	वैर):	(गैर):
५५	शीर्ष	——	(श्री भैरोंसिंह)
"	१७	फेसेलिटीज	फैसिलिटीज
५७	शीर्ष	——	(श्री स्वास्थ्य मंत्री)
"	अन्तिम से ६	गग	गंग
"	" " ८	२ ३	२०३
५६	" " ६	मत्रो]	मन्त्री]
६१	शीर्ष	——	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
"	१३	एक द्वारा धरना	धरना
६३	शीर्ष	——	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
"	प्रथम	पर धीजी	पर गांधीजी
६५	शीर्षक	इन्डस्ट्रीयल	इन्डस्ट्रियल
७२	"	१९६	१९६४
७३	अन्तिम से ४	(बहिगमन)	(बहिर्गमन)
७६	प्रथम	श्री उमरावसिंह	श्री उमरावसिंह
"	१२	सयम	संयम
७८	१३	श्री मथु ।दास	श्री मथुरादास

१	२	३	४
७६ से २३२	शीर्षक	नोट : इन स्कम्भों में "मांग संख्या १८, ४० –२० मार्च, १९६४— व १६ कृषि इत्यादि " अथवा और कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया निम्नलिखित पढ़ें : "मांग संख्या १८, ४० व १६—२० मार्च, १९६४ – कृषि इत्यादि"	
८०	२	श्रा उम्मेद्‌सिंह	श्री उम्मेद्‌सिंह
८७	१५	श्री माणिकचंद्द	श्री मानिकचंद्द
६६	शीर्ष	(श्री गोंकुलप्रसाद	(श्री गोकुलप्रसाद
१०५	अन्तिम से ५	श्रा दुर्गालाल	श्री दुर्गालाल
१०७	शीर्ष	[श्री हरटत्तसिंह]	(श्री हरदत्तसिंह)
"	६	नसीराबाद)	(नसीराबाद)
६६	अन्तिम से ३	श्री गाविन्दसिंह	श्री गोविन्दसिंह
१७३	१६	श्री भेंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१८३	प्रथम	श्री उपाध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
१८४	४	श्री गगासिंह	श्री गंगासिंह
१९८	२३	श्री माथूराम करोल	श्री नाथूलाल करोल
२००	१२	श्री पाध्यथ	श्री उपाध्यत्त

※ विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।